हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

10/03/2016/1100/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2807

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें लिफ्ट इरीगेशन स्कीम मझैरना के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। कई दिनों से यह लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बन्द पड़ी हुई है और सरकार ने लाखों रुपये इस लिफ्ट इरीगेशन के लिए खर्च किए हैं लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही बैजनाथ विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जो कूहलें बन्द पड़ी हैं उस संबंध में भी सही जानकारी नहीं है कि कब तक इन कूहलों में पानी चालू किया जाएगा? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार कब तक कार्रवाई करेगी और कब तक लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा तथा बन्द पड़ी हुई कूहलों में कब तक पानी मुहैया करवाया जाएगा?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। प्रश्न के "क" व "ख" भाग की सूचना सभा पटल पर रखी हुई है परन्तु मैं माननीय सदस्य को काफी विस्तार से बताना चाहूंगी कि उठाऊ पेयजल योजना मझैरना को 30 जुलाई, 1981 को 15 लाख 51 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस योजना का कार्यरूप 29 लाख 10 हजार रुपये की राशि खर्च करके वर्ष 1992-93 में पूर्ण हुआ। योजना की वितरण प्रणाली दो भागों में बटी हुई है। एक भाग खुली कूहलों का है और दूसरा भाग 250 मिली मीटर पाइप का है। परन्तु आर0सी0स0 पाइप वाली वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई है और काम नहीं कर रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस योजना की राइजिंग मेन पत्थरों के गिरने व लैण्ड स्लाइडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हुई है जिसको बदला जाना अपेक्षित है। इस स्कीम का कार्य करने के लिए स्कीम का संवर्द्धन आवश्यक है जिस पर लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपये का आकलन किया जा रहा है। इससे पहले भी माननीय विधायक महोदय जी ने यह मामला माननीय सदन में प्रश्न संख्याः 1830 के तहत दिनांक 30 मार्च, 2015 को उठाया था जिसका उत्तर यह दिया गया था कि इस स्कीम के संवर्द्धन को विधायक प्राथमिकता में डाला जाए। इस साल माननीय विधायक से फिर अनुरोध किया जा रहा है कि इस योजना को विधायक प्राथमिकता के माध्यम से वर्ष 2016-17 में डाला जाए क्योंकि यह

रेगुलर बजट से संबंधित नहीं है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

10.03.2016/1105/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2807 :-------जारी---------

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः------जारी------

इसके अतिरिक्त बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र में 15 कूहलें हैं, जिनमें से 8 कूहलें सरकारी तथा 7 निजी हैं। सरकारी कूहलों में से 2 कूहलें कार्य कर रही हैं और 3 कूहलों का पानी स्कीम के मुताबिक अन्तिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है। शेष 3 कूहलें काम नहीं कर रही है। 7 कूहलों के कार्य की लाभार्थियों द्वारा ही देख-रेख की जा रही है। ____(व्यवधान)____ माननीय सदस्य मैं अपनी बात कर रही हूं यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो जिन्होंने प्रश्न किया है वह सुनना चाह रहे हैं। इन कूहलों की देख-रेख और इन पर कार्य करने का निर्णय लिया गया था, इनमें से 6 कूहलें काम कर रही हैं। ये उपरोक्त कूहलें काम नहीं कर रही हैं। इन स्कीमों के तहत कुछ काम किया जाना शेष है। इसके लिए धन की आवश्यकता रहेगी। माननीय सदस्य आपको चिन्ता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस बारे में आपने मुझसे पहले भी बात की थी उसके मुताबिक आपका काम बाकायदा चल रहा है। आपको अगर अलग से बात करनी है तो इसका पूरा हिसाब मैं आपको दे सकती हूं। धन्यवाद।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का धन्यवाद करना चाहूंगा उन्होंने विस्तृत जानकारी माननीय सदन को दी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.03.2016/1105/जेएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 2808

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि नगर परिषद, मनाली के द्वारा जो गौ सदन संचालित किया जा रहा है वह कब से प्रारम्भ किया गया है? प्रारम्भ में इसके निर्माण के लिए कितना पैसा कहां से खर्च किया गया और जब से प्रारम्भ हुआ तब से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद से खर्च की गई?

ख-भाग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नगर परिषद के द्वारा इसका जो संचालन किया जा रहा है इसमें आपने उत्तर दिया कि 200 पशु हैं, यह कितनी भूमि पर बना है और एक गाय के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है?

ग-भाग में आपने कहा है कि जब से यह बना है तब से लेकर अभी तक सरकार ने इसका न तो पंजीकरण किया है न ही कोई नियमावली बनाई है, क्या सरकार इसका पंजीकरण करवाएगी, नियमावली बनाएगी? पशु पालन विभाग के द्वारा जो गौ सदन बनना चाहिए उसके आधार पर पशु पालन विभाग को सरकार क्या यह आदेश देगी कि उसी आधार पर गौ सदन का निर्माण करें ?उसके लिए जितनी धनराशि अपेक्षित होगी क्या सरकार उस धनराशि को उपलब्ध करवाएगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, यह गौ सदन वर्ष 2012-13 में शुरू हुआ है। उस वक्त नगर पालिका के अध्यक्ष, श्री रूप चन्द नेगी, उपाध्यक्ष, श्री चमन कपूर तथा सभी पार्षदों ने मिल करके यह फैसला किया कि गौ सदन बनाया जाए। उसको चलाने के लिए इन लोगों ने भी कंट्रिब्यूट किया और मनाली के व्यापार मण्डल, होटल एसोसिएशन व अन्य के प्रयासों से और सहयोग से भारी बर्फबारी तथा बारिश के मौसम में आवारा पशुओं को ठिठुरने से उनके बचाव के लिए एक मानवीय आधार पर यह गौ सदन चलाया गया।

10.03.2016/1105/जेएस/एजी/3

इन पशुओं को इकट्ठा करके रांगड़ी नामक स्थान पर पहले एक अस्थाई शैड बनाया गया और उसमें इन आवारा पशुओं को रख करके उन आवारा पशुओं का पालन-पोषण हो रहा है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं माननीय हाई कोर्ट ने सभी म्युनिसिपल कमेटिज़ को, पंचायतों को निर्देश दिए कि हर नगर परिषद में एक गौ सदन का होना आवश्यक है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

10.03.2016/1110/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2808 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

तो उसके बाद फिर इन्होंने सरकार की सहायता से और पालिका फंड से रांगड़ी नामक स्थान पर एक परमानैंट शैड बनाया है। जिस पर 26 लाख 27 हजार रुपये की धनराशि खर्च हुई है और जिसका संचालन स्थानीय जनता के सहयोग से किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि इसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन हमने उनको हिदायत दी है कि इसकी दो महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दी जाए। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं और जानते हैं कि वहां गुलाबा, मढ़ी, रोहतांगपास में जितने चरागाह हैं गर्मियों में इन पशुओं को उनमें छोड़ दिया जाता है। जैसे ही सर्दी आती है तो उनको ला करके रांगड़ी में रख दिया जाता है।

Speaker: Please be brief.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि क्या पशुपालन विभाग को आप यह निर्देश देंगे कि इतनी गायों के लिए जो स्टैंडर्ड गौसदन चाहिए, उसके मुताबिक उसका सारा नक्शा, प्राक्कलन इत्यादि बनाये? उस पर

जितनी भी धनराशि खर्च होगी तो क्या सरकार उस धनराशि को उपलब्ध करवायेगी?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये कहा कि अभी जो पशुधन है उसको गुलाबा, मढ़ी इत्यादि स्थानों पर छोड़ेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वर्तमान में वहां पर इंसानों के जाने पर भी रोक है तो क्या इस पशुधन को वहां पर छोड़ने दिया जायेगा? इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो उत्तर है यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूंगा कि एक महीना पहले मैं स्वयं उस गौसदन में गया और मेरे सामने वहां पर आठ पशु मरे पड़े थे। उनके कंकाल पड़े थे, ऐसा लगता था कि यह मुर्दघाट है। न वहां पर सफाई की व्यवस्था थी। न वहां पर बिजली की व्यवस्था थी। न वहां पर पशुओं

10.03.2016/1110/SS-AS/2

के लिए पानी की व्यवस्था थी। वहां पर केवलमात्र चार कर्मचारी थे। क्या सरकार उन कर्मचारियों की तनख्वाह का प्रबंध कर रही है? वहां पर बहुत दुर्दशा थी और उसको जब हमने थोड़ा-सा खींचा तो वहां पर कुछ चीज़ें ठीक आई हैं। लेकिन उस सब को ठीक करने के लिए सरकार युद्धस्तर पर क्या कदम उठायेगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य जी ने कहा है कि क्या यह नॉर्म्ज़ के मुताबिक बना है और रोहतांग में आदमियों के जाने पर रोक लगी है। वह रोक ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई है तो क्या गऊओं के चरान पर रोक है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से पशुओं के चराने पर कोई रोक नहीं है। आप जानते हैं कि वहां पर भेड़-बकरियां भी चरती हैं, पशु भी चलते हैं। गुज्जरों की भैंसें भी जाती हैं और ये जो आवारा पशु रांगड़ी में होते हैं वे गर्मियों में पिछले दो-तीन सालों से वहां पर जा रहे हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि क्या यह नॉर्म्ज़ के मुताबिक है। पशुपालन विभाग का डॉक्टर समय-समय पर उन पशुओं की जांच करने के लिए रांगड़ी गौसदन में आता है। दूसरा, सरकार ने गौवंश संरक्षण बोर्ड अभी फरवरी 2015-16 में गठित किया है। जो गौसदन के नार्म्ज़ हैं उसको रेगुलेट करने के लिए गौवंश बोर्ड का गठन किया

गया है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह अच्छा कार्य म्युनिसिपल कमेटी, मनाली ने चलाया है मैं समझता हूं कि दूसरी म्युनिसिपल कमेटियां भी इसके लिए आगे आएं।

Speaker: that's all. काफी हो गया है। चलो आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब सरकार कहती है कि गौ संरक्षण बोर्ड बनाओ, इस पर हमारी प्राथमिकता है तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि इसको बनाने के लिए जितना पैसा लगेगा, चाहे 60, 70 लाख या एक करोड़ लगेगा, उस पैसे का प्रबंध सरकार करेगी?

दूसरा, माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि वहां पर भेड़, बकरी, गाय सब चरती हैं वे पिछले सालों में

जारी श्रीमती के0एस0

10.03.2016/1115/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2808 जारी----

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी---

पुलिस द्वारा रोके गए हैं और वहां से बैरियर क्रॉस नहीं करने दिया गया है, यह वास्तविकता है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगें कि अगर ऐसा हुआ तो क्या वहां पर लोगों को नहीं रोकने दिया जाएगा? क्योंकि पिछले वर्षों में लोगों को रोका गया है। लोगों को, महिला मण्डलों व युवक मण्डलों को जो वहां जा रहे थे उनको वहां से खदेड़ा गया है। क्या आप वहां के लिए धन का प्रावधान करेंगें ताकि उसका स्टैंडर्ड बढ़े। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम वहां गए, हमने थोड़ी सख्ती दिखाई फिर डिस्ट्रिक्ट शेयर से 20 लाख रुपये उस दिन जिलाधीश के माध्यम से हमने जारी करवाया। वहां पर गऊएं इतनी तेज़ गति से मर रही थीं। हम स्वयं डॉक्टर को ले कर गए। डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि नदी के किनारे हैं और ठंडी हवाओं के कारण वहां पशु लगातार मर रहे हैं। वहां पर इतनी घोर व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सबकी व्यवस्था ठीक प्रकार हो, इसके लिए आपको सख्ती से आदेश देने चाहिए। केवल मात्र बचाव और कागजी रिपोर्ट पर आधारित ही जवाब न दें। और जो आप कह रहे हैं कि कागजी रिपोर्ट है, डॉक्टर भी वहां तब पहुंचे हैं जब हम वहां पर गए और हमने हल्ला किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर भेड़-बकरियों व पशुओं के जाने पर रोक है। मेरे ख्याल में ऐसी रोक ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नहीं लगाई है। यह ठीक है कि गाड़ियों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जरूर रोक लगाई है और डिज़ल की गाड़ियों पर ज्यादा रोक है और कहा है कि एक हजार गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां उस क्षेत्र में नहीं जा सकती लेकिन यह जो गऊ सदन है, यह 8-9 पंचायतों के लिए बनाया गया है। जहां तक यह बाकायदा ठीक तरीके से बनें, निश्चित तौर पर मैं विभाग को कहूंगा और पशु-पालन विभाग को कहूंगा कि जो भी गऊ सदन के नॉर्मज़ हैं, एक गाय कितना स्थान घेरती है, उसके

10.03.2016/1115/केएस/एएस/2

लिए हम हिदायत देंगें और जो भी नए गऊ सदन है या उसमें एक्सपैंशन की, एक्सटैंशन की बात होगी, उसको हम निश्चित तौर पर करेंगें और उस गऊ सदन के लिए पैसा भी उपलब्ध करवाएंगें।

10.03.2016/1115/केएस/एएस/3

प्रश्न संख्या: 2809

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके अनुसार कहा गया है- जी नहीं। हालांकि ऐसे मामलों को अपरिहार्य कारणों के मध्यनज़र गुण-दोष के आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति बारे भारत सरकार को विचार करने हेतु भेजा जा सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अनेकों जगह इस प्रकार के

शमशान घाट और कब्रीस्तान है जिनका उल्लेख 1880 की सैटलमैंट रिपोर्ट में है कि इस जगह का इस्तेमाल इस कार्य के लिए होगा और उसके बाद भी कई बनें हैं जिनका कि उल्लेख नहीं है लेकिन 50-100 वर्षों से लेकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। समस्या यह उत्पन्न हुई है क्योंकि यह वन भूमि है विशेषकर कुल्लू जिला में हर जगह जहां जंगल भी नहीं है, वह भी तृतीय वन भूमि है। वहां पर जब इन जगहों पर भट्ठी इत्यादि बनाने के लिए पैसा मंजूर होता है तो सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी लाईटली यह बात कहते हैं कि क्योंकि यह तृतीय वन भूमि है, यहां कोई विकास नहीं हो सकता। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ऐसी समस्या है, उसके समाधान हेतु सरकार कौन-कौन से पग उठा रही है क्योंकि अन्त्येष्टि भी एक ट्रैडिशनल कार्य है और वह आवश्यक है। चाहे कब्रीस्तान है चाहे वह शमशानघाट है।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की जो चिन्ता है, यह हम सभी की चिन्ता है लेकिन जहां फ्यूनरल ग्राऊंड हैरीडिटी बने हुए हैं और 50-100 सालों से बने हुए हैं वहां न तो फोरैस्ट वाले और न रेवन्यू वाले रोकते हैं न कोई और रोकता है। यह बात माननीय सदस्य ने ठीक कहीं कि जब विकास खण्ड अधिकारी या

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2016/1120/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 2809---------- क्रमागत

वन मंत्री---------- जारी

सरकारी पैसा आता है तो वहां अगर उसको बनाना चाहे तो उसमें वन भूमि आती है। भारत सरकार ने जो 13 स्कीमों के लिए ऐक्ट में प्रावधान किया हुआ है कि हिमाचल सरकार इन-इन स्कीमों को बना सकती है लेकिन इसका जिक्र इसमें नहीं है। जहां तक आप मुस्लिम या इसाई की बात कर रहे हैं उसका प्रावधान 1900 ऐक्ट के मुताबिक है। उन्होंने बाकायदा उसको चारदीवारी किया हुआ है और आईडैंटिफाईड है तथा वहां पर वे दबाते हैं। लेकिन जहां पर वन भूमि है वहां पर लोगों को सैटलमैंट राइट्स हैं। उनके रैवन्यू रिकॉर्ड है, लोगों को वहां अधिकार है। वहां पर पेड़ भी काट सकते हैं तथा आज

दिन तक उनको कभी किसी ने मना नहीं किया है क्योंकि ये पुराने रिकॉर्ड है। जहां तक विकास के लिए जो पैसा आता है तो उसको खर्चने के लिए बी.डी.ओ. या सरकार मना करती है इसलिए उसके लिए एफ.आर.ए. का केस बनाना पड़ेगा। हमने जो डी.एफ.ओ. को एक हैक्टेयर की पावर दी हुई है वह उसमें भी नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए भी एफ.सी.ए. केस बनेगा जैसे दूसरी चीजों के लिए बनता है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर जरूर गौर करेगी तथा इस पर अमल किया जायेगा।

अध्यक्ष : इनका प्रश्न यह था कि शमशान घाट की भट्ठी बनाने के लिए बी0डी0ओ0 पैसा देता है मगर उसके लिए बी0डी0ओ0 सर्टिफिकेट मांगता है। क्या आप वह सर्टिफिकेट देंगे?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारियों को ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि उसका वह एन0ओ0सी0 जारी कर सकें जब तक कि उसका एफ0आर0ए0 केस नहीं बनता। इसका एफ0सी0ए0 केस बनेगा तब जाकर वह पैसा खर्च हो पायेगा।

अध्यक्ष : मैं पुराने केसों की बात कर रहा हूं जो आपने रिपेयर करने हैं।

10.3.2016/1120/av/dc/2

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि एन0ओ0सी0 नहीं दे सकते। मगर जब सरकार के ध्यान में ये सारी बातें हैं तो आप उसको यह कह सकते हैं कि कम-से-कम आपत्ति तो न करें और भट्ठी बनने दें। भट्ठी आवश्यक है, जैसे आपने कब्रिस्तान में कहा। उसके ऊपर फिर स्ट्रक्चर बनता है, कब्रिस्तान में ऐसे नहीं छोड़ देते। वैसे ही अगर वहां पर स्ट्रक्चर बनता है तो ऐसा करने से आपकी जंगलात की लकड़ी भी बचेगी। इसलिए कम-से-कम उनको मौखिक रूप से तो कहा जाए कि यहां पर आपत्ति न करें। दूसरा, जिस ऐक्ट की आपने बात कही मैं मंत्री जी का ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहूंगा। भारत सरकार का जो फॉरैस्ट राइट ऐक्ट 2006 है, मैं उसको साथ लेकर आया हूं। इस पर समय बहुत लगेगा और मुझे लगता है कि आपने भी पढ़ा होगा। उसके अंतर्गत 14 दिसम्बर, 2015 को सरकार ने एक स्पष्टीकरण मांगा था जो कि आ चुका है। आप इस ऐक्ट के पृष्ठ 6 पर यह पढ़ें जिसमें यह स्पष्ट किया हुआ है कि

"Any other traditional right customarily enjoyed by the forest dwelling Scheduled Tribes or other national forest dwellers, as the case may be, which are not mentioned in clause A to K, but excluding the traditional right of hunting". शिकार नहीं खेल सकते बाकी काम हो सकते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या आप इन चिन्हित स्थानों के केसिज बनाकर भेजेंगे ताकि यहां पर सारे विकासात्मक कार्य हो सकें?

वन मंत्री : अगर जन प्रतिनिधि या दूसरे लोग ऐसी कोई बात हमारे जहन में लायेंगे कि फलां जगह से शिकायत आ रही है तो उस पर गौर फरमाया जायेगा।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो यहां पर अभी अनुपूरक प्रश्न किया तथा मंत्री जी ने जो जवाब दिया, यहां पर राजस्व मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। सरकार ने अभी यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक हैक्टेयर तक कि परमिशन डी0एफ0ओ0 स्तर पर ही दे दी जायेगी। उस योजना के अंतर्गत क्या शमशान घाटों के लिए भी शामिल किया जायेगा कि जब शमशान घाटों का निर्माण करना है तो एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस के लिए तो आपने डी0एफ0ओ0 को पावर दे रखी है क्या इनको भी इस योजना में सरकार शामिल करेगी?

टी सी द्वारा जारी

10/03/2016/1125/TCV/DC/1

प्रश्न संख्याः 2809-----क्रमागत

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक है कि यह पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। हम इसको करने की कोशिश करेंगे और जो -जो जगह होंगी, उनको आइडेंटिफाई करके We will send it to the Central Government and we will have a permission. जैसे बाकियों को दी हुई है। जो डी0एफ0ओ0 को पॉवर दी हुई है, वह केवल उन 13 चीजों के लिए पॉवर दी है। हम कोशिश करेंगे,सैंक्शन के लिए लिखेंगे और यदि वहां से सैंक्शन आ जाएगी तो इसमें शमशान घाटों को भी शामिल करेंगे। जैसे एक हैक्टेयर का

आया है। There is no problem.

10/03/2016/1125/TCV/DC/2

प्रश्न संख्या 2810

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश कालिया जी ने जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहती हूं, I would like to say few things. Swan River Flood Management Project from Daulatpur Bridge to Gagret Bridge in main Swan River and all tributaries joining Swan River from Daulatpur Bridge to Santokhgarh Bridge in District Una amounting to Rs, 928,48,50,000/-only has been approved by the Advisory Committee of the Ministry of Water Resources in its 18th meeting held at New Delhi on 30.07.2013. The investment clearance of this project has also been accorded by the Planning Commission, Government of India on 20.9.2013 as per approval. The project is to be completed in all respects in four years.

So, I would also like to give you some more information. You know the funding of this project under Flood Management Progremm of Government of India has also been approved by the Inter Minister Committee, Ministry of Water Resources in the meeting held on 19.12.2013 at New Delhi in which 70% of the estimated cost i.e. Rs. 645.74 crores will be released by Government of India as a central assistance and 30% i.e. Rs. 276.75 crores will be the State share. You can now remember कि गगरेट विधान सभा क्षेत्र की जो चैनेलाईजेशन की बात आप कर रहे हैं, उसके अन्तर्गत 28 खड्डों का चैनेलाईजेशन किया जाएगा। इस कार्य में मु0 1425 करोड़ रूपये खर्च होंगे। जिसमें से 158 करोड़ रूपये अब तक खर्च किए जा चुके हैं। हम आपको सभी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और बताना चाह रही थी। जो प्रश्न आपने दिया था To complete the balance work, Rs. 577.60 crores is required. Thank you.

10/03/2016/1125/TCV/DC/3

Shri Rakesh Kaliya: Speaker Sir, I want to know from Hon'ble Minister whether some of the contractors of the Swan channelization have gone to the High Court for their remaining funds? I also want to know from the Hon'ble Minister is the Government willing to go to the High Court or the Supreme Court for the remaining funds stopped by Government of India?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री: इसके बारे में मैं अभी आपको सूचना नहीं दे पाऊंगी। आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी।

अगला प्रश्न श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

10.03.2016/1130/RKS/AG/1

प्रश्न संख्या: 2811.

श्री कुलदीप कुमार : प्रश्न हमने वन विभाग से किया है, बीच में मैंने पूछा था कि 'पर्यटन' के लिए, लेकिन इन्होंने पर्यटन विभाग का जवाब दे दिया। वहां पर लिखा है 'जी नहीं'। क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वन विभाग ने कोई ईको टूरिज्म पोलिसी बनाई है? अगर नहीं, तो जो फोरैस्ट रेस्ट हाऊस या फोरैस्ट हट्स बगैरा टूरिजम के लिए दिए जा रहे हैं, वे किस नीति के तहत दिए जा रहे हैं?

वन मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2005 की पॉलिसी है, उसको सरकार रिव्यू करने जा रही है और जल्दी ही उसका फैसला कर लिया जाएगा। उसके बाद जो साईट्स अडंटिफाई की है और जहां-जहां हमारे रिप्रिजेंटिड लोग चाहेंगे, टूरिस्ट प्लेस जो हमें बताएंगे, उनको उसमें शामिल किया जाएगा। जब पॉलिसी फाइनलाइज होगी उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी हम बड़ी जल्दी रिव्यू करके फाइनलाइज करने जा रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल और विशेषकर जो वन विभाग के मंत्री हैं, वे अक्सर जहां-जहां जाते हैं, वहां- वहां यह घोषणाएं करते

हैं कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना 'ईको टूरिज्म' लाने जा रहे हैं। पहले यह कहा गया कि वर्ष 2016 के लिए ईको टूरिज्म पॉलिसी बना दी गई है। अगर यह पॉलिसी नहीं बनाई गई है तो इसकी इतनी वाईड पब्लिसिटी करने की क्या आवश्यकता है? वर्तमान में ईको टूरिज्म के लिए जगह-जगह जो स्थान चिन्हित हुए हैं, जैसे क्यारीघाट में चिन्हित हुआ है, वन विहार बने हुए हैं या कहीं दूसरी जगह बने हुए हैं, उन योजनाओं को विकसित करने के लिए और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। क्या माननीय मंत्री जी उसके बारे में इस सदन को बताने की कृपा करेंगे? इसके साथ ही वर्तमान में जो वन विहार या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जगह-जगह स्पोट्स है उनको ज्यादा इफैक्टिव बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

10.03.2016/1130/RKS/AG/2

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने यहां बताया है कि टूरिज्म वालों ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। यह इसका उत्तर चाह रहे थे। जहां तक ईको टूरिज़म की बात है, सरकार वर्ष 2005 की पॉलिसी को रिव्यू कर रही है और वर्ष 2016 में लागू करने जा रही है। उसमें जो-जो तरमीमें करने वाली हैं, जिससे हिमाचल के नौजवानों को पी.पी.पी. मोड पे, सोसाईटी मोड पे और डिपार्टमेंट मोड पे उन साईटों को चलाया जाए। करीबन 54 साईटें हमनें चिन्हित की थी। इसके अलावा भी लोगों की मांग आ रही है कि ये-ये साईटें प्रदेश में होनी चाहिए, उन साईटों को भी हम चयनित करने जा रहे हैं। चयनित तब करेंगे, फाइनल तब करेंगे जब पॉलिसी रिव्यू करके, उसको फाइनल करके नोटिफाइड करेंगे। इस पॉलिसी को बहुत जल्दी हम नोटिफाई करने वाले हैं।

श्री महेन्द्र सिंहः आदणीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में बहन आशा कुमारी जी का प्रश्न दिनांक 7.08.2014 को लगा था और जो वर्तमान आज का प्रश्न है जिसमें माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंन पर्यटन विभाग के बारे में पूछा था। मूल प्रश्न वन विभाग का है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जो ईको टूरिज्म की पॉलिसी 2005 की है, जो फोरैस्ट डिपार्टमेंट की है, इसकी प्रतिलिपि यहां पर है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

10.03.2016/1135/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 2811...जारी

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

जो वन विभाग की ईको टूरिज्म पॉलिसी है, जिसमें आप एक्सटैंशन दे रहे हैं; पीछे आपने 6 पार्टियों को एक्सटैंशन दी है, आप कह रहे हैं कि हम बड़ी जल्दी हाऊस में ईको टूरिज्म पॉलिसी ला रहे हैं। हाऊस 7 अप्रैल तक चल रहा है, क्या आप इस पॉलिसी को तब तक इस हाऊस में ले कर देंगे? क्या ईको टूरिज्म पॉलिसी बनाते समय आप प्रदेश में पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, एन.जी.ओज. और चुने हुए विधायकों की राय लेंगे और सबकी राय लेने के बाद इस पॉलिसी को फाईनल करेंगे या इस पॉलिसी को फाईनल करने से पहले ही आपने यह सारी राय कलैक्ट कर ली है ताकि इसी सत्र में हाऊस में आप इस पॉलिसी को ले कर सकें?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी तो तभी ले की जाती है जब वह फाईनल होती है। विधायक महोदय कह रहे हैं कि सभी विधायकों, मंत्रियों, पंचायतों और पब्लिक को इन्वाल्व करके पॉलिसी को बनाया जाए। यह पॉलिसी वर्ष 2005 उनको इन्वाल्व करके ही में बनाई गई है। उसके बाद इस पॉलिसी में जो खामियां पाई गई हैं, उनको दूर करके कैबिनेट में ले जाएंगे और इसको फाईनालाईज करेंगे। उसके बाद ही आगे के कदम उठाए जाएंगे कि इसमें क्या-क्या करना है। जब पॉलिसी ही नहीं है तो हम आगामी कदम क्या उठाएंगे? When policy will come over, then we will start the process.

10.03.2016/1135/sls-ag-2

प्रश्न संख्या : 2812

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लैंड सैटलमैंट की पीरियोडिसिटी क्या है और कितने साल बाद यह ज़रूरी होती है? अगर इसमें देरी हुई है तो उसका कारण? यह भी जानना चाहूंगा कि प्रदेश में पिछला लैंड सैटलमैंट कब हुआ था? मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में लैंड सैटलमैंट सैटिलाईट के माध्यम से भी किया जा रहा है। जो लैंड सैटलमैंट सैटिलाईट के माध्यम से किया जा रहा है वह कितना सही है और उसमें कितना वक्त लगता है? क्या यह मैन्वल सैटलमैंट से सस्ता पड़ता है और क्या इससे मैन पॉवर की कमी करना संभव है? अगर यह फास्ट तरीका है और सस्ता है तो प्रदेश में लैंड सैटलमैंट सैटिलाईट के माध्यम से ही क्यों नहीं किया जाता?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत तौर पर लिखित उत्तर दिया है। हिमाचल प्रदेश में दो सैटलमैंट ऑफिसर्ज़ हैं। एक धर्मशाला में है जिसके अंतर्गत हमीरपुर, ऊना, मण्डी तथा कुल्लू जिले आते हैं। दूसरा शिमला में है जिसके अंतर्गत शिमला, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन जिले आते हैं। सैटलमैंट एक लंबा प्रोसैस है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो सैटलमैंट कई सालों से चल रहा है उसमें ज़रूर देरी हुई है क्योंकि हमारे पास सैटलमैंट के लिए स्टॉफ की कमी थी। अभी हमने 245 पटवारी केवल सैटलमैंट के लिए स्लैक्ट किए हैं। वह ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। इन्होंने पूछा है - satellite method of settlement i.e. more costly. लेकिन मैंने अभी भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय से व्यक्तिगत तौर पर यह मामला उठाया था कि सैटिलाईट सैटलमैंट ज्यादा सही है और इसकी ऐक्युरेसी 100 परसैंट है। पारंपरिक सैटलमैंट में एक-दो ज़रेब का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। एक कानूनगो निशान एक जगह देता है जबकि दूसरा दूसरी जगह देता है। इसलिए हमारी कोशिश है और मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जो Satellite System of Settlement है, उसमें अगर

जारी ..गर्ग जी

प्रश्न सं. 2812 --- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----क्रमागत

90% भारत सरकार देती है और 10% हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो उसके आधार पर सैटेलमेंट किया जा सकता है। अभी तक हम जो सैटेलाईट से सैटेलमेंट कर रहे हैं उनमें सिरमौर जिले के पच्छाद में 47 मुहाल को उसके अन्तर्गत लिया गया है, शिलाई के 16 मुहालों का सैटेलाईट के माध्यम से सैटेलमेंट किया जा रहा है, इसी तरह हमीरपुर जिले के सुजानपुर तहसील के 16 मुहाल, मण्डी जिले के जोगिन्द्रनगर तहसील के 15 मुहालों में सैटेलाईट के माध्यम से बन्दोबस्त का कार्य किया जा रहा है। शेष स्थानों पर अभी तक पारम्परिक तरीके से ही सैटेलमेंट किया जा रहा है। हमने विभाग को कहा है कि जल्दी-से-जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए और जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि सैटेलमेंट कितने साल के बाद होता है, तो मैनुअल के मुताबिक 40 साल के बाद फ्रैश सैटेलमेंट होना चाहिए।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछला सैटेलमेंट कब हुआ था ताकि हमें पता चले कि इसमें कितनी देरी हुई है और सैटेलमेंट में देरी होने के कारण भू-मालिकों को कितना नुकसान होता है, कितना कष्ट होता है? कृपया यह भी माननीय मंत्री जी बताएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कई स्थानों पर इसको हुए 40 साल से ज्यादा भी चुके हैं, लेकिन अगर कहीं कोई डिस्प्युट न हो, लोगों की मांग न हो, पंचायत के प्रस्ताव न हों, तो सैटेलमेंट ठीक चलता है। **लेकिन हमारी कोशिश है कि जिन स्थानों पर सैटेलमेंट नहीं हुआ है उन स्थानों पर सैटेलमेंट किया जाए, उनकी मुसाबी बनाई जाए, उनकी मोमी बनाई जाए ताकि लोगों को लेटेस्ट सैटेलमेंट हो और फिर हम record of right को ऑन लाईन भी कर रहे हैं ।**

10/03/2016/1140/RG/AS/2

प्रश्न सं. 2813

अध्यक्ष : माननीय शहरी विकास मंत्री ने माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को प्राधिकृत किया है।

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में नगर निगम, शिमला के अन्तर्गत पिछले तीन सालों में लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की मैटलिंग का कार्य हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री एव माननीय मंत्री जी तथा साथ में अधिकारीगण का भी धन्यवादी हूं जिन्होंने पिछले तीन सालों में अभूतपूर्व काम किया है जो पिछले दस सालों में नहीं हुआ। वर्ष 2016-17 के लिए 4,92,989/-रुपये की मैटलिंग करने का कार्य नगर निगम, शिमला में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम लोग नगर निगम की लिमिट्स के अन्दर नई सड़कों का निर्माण करें। क्योंकि पिछले कई सालों में नई सड़कें नहीं बन पाई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि न्यु शिमला में सड़कों की कनैक्टिविटी के लिए बहुत समस्या है। उसके लिए नए विकल्प ढूंढे जाएं और उन पर शीघ्रातिशीघ्र काम शुरू हो।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, नगर निगम, शिमला में कुल 261 सड़कें हैं जिनमें पक्के रास्तें भी शामिल हैं। **वर्ष 2016-17 के लिए हमने 83 सड़कें मैटलिंग एवं टारिंग के लिए ली हैं इनकी निविदाएं भी हो चुकी हैं और ये टैण्डर्ज जल्दी ही अवार्ड किए जाएंगे। जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्मी आएगी, तो इनकी टारिंग एवं मैटलिंग का काम शुरू किया जाएगा।**
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने न्यु शिमला के लिए कहा है, तो वहां 15-16 कनैक्टिविटी के छोटे लिंक रोड्ज हैं उनके लिए भी 35 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया गया है और उन लिंक रोड्ज को भी ठीक कर दिया जाएगा, पक्का कर दिया जाएगा।

एम.एस. द्वारा अगला प्रश्न शुरू

10/03/2016/1145/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2814

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह जो अधिसूचना रद्द की गई है क्या यह राजनैतिक आधार पर की गई है क्योंकि इसका लोकार्पण अक्तूबर महीने में मेरे द्वारा शाहपुर के लोगों के लिए किया गया था? उस समय इस सी0एच0सी0 को प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने मैरिट के आधार पर नागरिक अस्पताल का दर्जा इसलिए दिया था क्योंकि जो वहां पर number of OPDs and number of deliveries की संख्या थीं, वे नुरपूर और धर्मशाला के बराबर थीं। तो उस मैरिट के आधार पर इसको दिया था। आप अंगुली से मना कर रहे हैं लेकिन मेरे पास इसकी प्रति है। उसको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस जरूरत को समझते हुए इसे दिया गया था। यह स्वास्थ्य केन्द्र नेशनल हाइवे के ऊपर स्थित है और यह एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। सभी दुर्घटनाओं के केस वहीं पर आते हैं। वहां पर कई किलोमीटर तक अन्य कोई अस्पताल नहीं था इस आधार पर इसको अपग्रेड किया गया था। मैं इसके बारे में बीच में चर्चा भी लाई थी और आपने उस समय आश्वासन भी दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष जी, इस सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल का समय हो गया है। शाहपुर की जनता उस स्वास्थ्य केन्द्र को उसी स्तर पर चाहती है। आपने जो उसका स्तर कम किया है उसके बारे में मैंने सुना है कि शायद कैबिनेट में कोई डिसीजन इस बारे में लिया गया है। यदि ऐसा कोई डिसीजन कैबिनेट में लिया गया है तो उसके बारे में हमें जानकारी दें। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में सिविल अस्पताल शाहपुर को इसका दर्ज़ा मिला था क्या आप उसके बारे में शीघ्र ही कोई विचार करेंगे?

Health and Family Welfare Minister: Speaker, Sir, let me make it very clear that our government does not take decision on a political consideration. It is always demand driven. Let me tell this House that during the regime of Prof. Prem Kumar Dhumal, 23 PHCs were opened, 1 CHC and 2 Civil Hospitals were created. I will read the copy of the notification which provides that

"The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the upgradation of Community Health Centre, Shahpur, District Kangra as a Civil Hospital with

10/03/2016/1145/MS/AS/2

immediate effect in public interest. Further, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the shifting of 2 posts of Medical Officer and one post of Ward Sister from Zonal Hospital, Dharamsala to Civil Hospital with immediate effect."

This PHC was opened with the following staff i.e. Doctor, Pharmacist and Class-IV. When a CHC is upgraded, there is provision of posts also, but no posts were created and only the shifting of staff was done. So, this notification is itself wrong. Now, I have asked the Department about the feasibility report. Of course, Shahpur is an important place. A Sub-division has also been created in Shahpur. So, there is justification. I don't say that there is no justification. As soon as the feasibility report will come, definitely the Government will consider it sympathetically and favourably.

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी सरकार में राजनैतिक भेदभाव से ही काम किया जाता है, जो आप सिविल अस्पताल की बात कर रहे हैं? जो आप एस0डी0एम0 ऑफिस की बात कर रहे हैं वह तो पहले ही शाहपुर में था। आपने तो सिर्फ अपने कांग्रेस शासनकाल में समय की बर्बादी की है। आपने एस0डी0एम0 ऑफिस को भी डाउनग्रेड किया और आपने सिविल अस्पताल को भी डाउनग्रेड किया है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि आपने यह कहा कि क्या वहां पर उस समय नुरपूर और धर्मशाला के बराबर ओ0पी0डीज0 थी कि नहीं थी या वहां पर number of OPDs and number of deliveries उतनी होती थी। मैं बताना चाहती हूं कि उसके आधार पर ही उसको सिविल अस्पताल का दर्ज़ा मिला था। क्या यह सच्चाई है कि आपने राजनैतिक आधार पर उसका दर्ज़ा कम किया जबकि यदि आप पुरानी कॉपी निकालकर देखें तो उसमें ओ0पी0डीज0 बिल्कुल उसके बराबर थीं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

10.03.2016/1150/जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2814ः------जारी----

श्रीमती सरवीन चौधरीः-----जारी-------

और आपने उसको डीनोटिफाई क्यों किया उसका कोई सॉलिड रीजन था या केवल पोलिटिकल रीज़न ही आपका था?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय , मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी सरकार कभी राजनीतिक आधार पर फैसलें नहीं लेती है। यह पूरे गुण और दोष के आधार पर फैसला लिया गया है । अगर ये बड़े सीरियस थे और माननीय सदस्या उस वक्त मंत्री थे वे केबिनेट में कह सकते थे कि इसके साथ पोस्टें भी क्लीयर करो। चुनाव से दो-तीन महीने पहले ही यह फैसला लिया गया था। सरकार ने जो 6 महीने पहले के फैसलें थे उनको रिव्यू किया और उसमें देखा गया कि न तो वहां पर डॉक्टर की पोस्ट, न फार्मासिस्ट की पोस्ट, न कोई वॉर्ड सिस्टर की पोस्ट और न कोई क्लास-IV की पोस्ट है। उस आधार पर उस संस्थान को हमने डीनोटिफाई किया और उसको गुण व दोष के आधार पर किया गया। यह बात भी गलत है कि इनकी ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 नूरपुर और पालमपुर के बराबर है। यह उनसे बहुत कम है, लेकिन मैंने कह दिया है कि गुण व दोष के आधार पर हमने इसकी फीज़िबिल्टी रिपोर्ट मांगी है उसके मुताबिक इस पर हम कार्रवाई करेंगे। हमने वहां पर एस0डी0एम0 का दफ्तर खोला। पहले वहां शाहपुर में कोई एस0डी0एम0 का दफ्तर नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी है इसमें टाईम लगेगा कि ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 कितनी किस-किस साल में रही है? **लेकिन मैंने आपको कह दिया है कि सरकार ने फीज़िबिल्टी रिपोर्ट मांगी है और निश्चित तौर पर इसमें सरकार विचार करेगी।**

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के सफेद झूठ पर बहुत हैरान हूं। बिल्कुल सीधा-सीधा आप झूठ बोलते हैं। आप मुझे यह बताईये आपने

एस0डी0एम0 की बात कही। अगर शाहपुर में एस0डी0एम0 नहीं बैठा हुआ था तो क्या यह सत्य नहीं है कि मैंने और आपके वहां से जो आपके उम्मीद्वार श्री विजय सिंह मनकोटिया

10.03.2016/1150/जेएस/डीसी/2

ने अपने पेपर फाईल किए वह धर्मशाला में नहीं किए थे बल्कि शाहपुर में किए थे। अगर एस0डी0एम0 था तो तभी हमने वहां पर पेपर्ज़ फाईल किए थे। आप अपने डिपार्टमैंट की बात मेरे साथ करिये। आपने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड हैं मैं बता दूंगा तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? शाहपुर में वर्ष 2012 में कितनी ओ0पी0डी0 थी? कितनी ओ0पी0डी0 नूरपुर में थी और कितनी ओ0पी0डी0 धर्मशामला में थी? आपके पास रिकॉर्ड है। मैं आपको कॉपी दे दूंगी। हमने इसका लोकार्पण भी किया हुआ है। उसमें प्लेट भी लगी हुई थी और सब कुछ था। क्या साढ़े तीन साल में सरकार इतनी निकम्मी रही कि वहां पर डॉक्टर और वॉर्ड सिस्टर भी नहीं दे सकी। इसकी मेरे पास भी कॉपी है। उसमें था विद् इमिजिएट इफैक्ट। वह आपने अगली वाली लाईन नहीं पढ़ी। आपने अपने मतलब तक ही लाईन पढ़ी है। आप इसका ज़वाब दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नूरपुर और जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला से कम्पेयर किया। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सी0एच0सी0 शाहपुर ओ0पी0डी0 वर्ष 2014 की है 88,117 है और आई0पी0डी0 है 2,872 है। वर्ष 2015 की है ओ0पी0डी0 70,997 और आई0पी0डी0 2,460 है। प्रत्येक दिन की 293 ओ0पी0डी0 है वर्ष 2014 और 2015 में 230 ओ0पी0डी0 है। अध्यक्ष महोदय जिला हॉस्पिटल धर्मशाला में 2,41,432 ओ0पी0डी0 है और आई0पी0डी0 है 37, 375 । वर्ष 2015 में 2,34, 602 ओ0पी0डी0 है और आई0पी0डी0 1 लाख 427 है। यह कितना फर्क है और यह कहना झूठ है । झूठ तो आप बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं। मैं इनको यह जानकारी रिकॉर्ड से दे रहा हूं। **मैंने आपको कह दिया है कि निश्चित तौर पर सरकार ने शाहपुर की फीज़िबिल्टी रिपोर्ट मंगवाई है अगर हुआ तो निश्चित तौर पर शाहपुर हॉस्पिटल का दर्ज़ा बढ़ाने में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।**

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

10.03.2016/1155/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 2814 क्रमागत

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी काफी स्मार्ट हैं कई बार ऑवर स्मार्ट प्ले करते हैं। दो बातें जो इन्होंने सदन में कहीं कि वहां पर एस0डी0एम0 ऑफिस खुला नहीं था, उस झूठ का भांडा फोड़ हो गया जब माननीय सदस्य ने यह बताया कि इन्होंने शाहपुर में अपने पेपर फाइल किये थे।

दूसरा, आपने कहा कि धर्मशाला से दो डॉक्टर्ज़ और बाकी स्टाफ की पोस्टें शिफ्ट की थीं क्योंकि धर्मशाला में टांडा मेडिकल कॉलेज के बाद प्रैशर कम हो गया था। तो यह सितम्बर में हुआ, दिसम्बर में तो चुनाव थे। इसलिए तीन पोस्टें उस टाइम पर ट्रांसफर कर दी गईं। अभी जय राम जी का एक प्रश्न इनके चुनाव क्षेत्र के बारे में था, उसका आपने ही उत्तर दिया कि वहां पी0एच0सी0 का उद्घाटन हो गया और आपने बड़े दावे से कहा कि हम तो पहले ही पोस्टें क्रियेट कर देते हैं। इनकी कांस्टीचुऐंसी के बारे में पिछले सप्ताह आपका उत्तर है। वहां पर ताला लगा हुआ है, उद्घाटन हो गया है। कोई पोस्ट क्रियेटिड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स और कम्पाउडर नहीं है और विभाग को जानकारी नहीं है। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें तो जानकारी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये इसका उत्तर देंगे लेकिन मंत्रियों को डायरेक्शन दी जाए कि सदन में जो सूचना दें वह सत्य पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो और हाउस को मिसलीड न करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सूचना दी है वह तथ्यों पर आधारित है। एस0डी0एम0 दफ्तर का मुझे पता नहीं था। एस0डी0एम0 का दफ्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 25 जनवरी को जयसिंहपुर में एनाऊंस किया। अब एस0डी0एम0 का दफ्तर वहां खुला है। --(व्यवधान)-- वह होगा, उसका मुझे पता नहीं है। यह जी0ए0डी0 वाले करते हैं। जी0ए0डी0 वाले एस0डी0एम0 का दफ्तर खोलते हैं न कि रेवेन्यू और हैल्थ वाले करते हैं। जहां तक आपने जय राम जी की बात कही है --(व्यवधान)--

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, अगर एस0डी0एम0 ऑफिस नहीं था तो वहां पर एम0एल0ए0 के पेपर कैसे फाइल हुए?

10.03.2016/1155/SS-DC/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः एस0डी0एम0 का दफ्तर हो सकता है मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे इसलिए जानकारी नहीं थी क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर एस0डी0एम0 का दफ्तर एनाऊंस किया तो मैंने सोचा कि पहले वहां एस0डी0एम0 का दफ्तर नहीं था। जहां तक आपने जय राम जी की बात की है जो तीन पी0एच0सी0 हमने खोले हैं उनमें डॉक्टर्ज़ भी सैंक्शंड हैं, फार्मासिस्ट भी सैंक्शंड हैं और क्लास-IV भी सैंक्शंड हैं लेकिन यह सही है कि वह उद्घाटन बिल्डिंग का किया है न कि पी0एच0सी0 का। अभी नयी पी0एच0सी0 है वह अभी फंक्शनल नहीं हुई है। यही मैंने उस वक्त भी कहा कि वह पी0एच0सी0 फंक्शनल नहीं हुई है।

अध्यक्षः जय राम जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर ज़िक्र आया है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं। जब वह उद्घाटन किया तो उस दिन पोस्टें सैंक्शंड नहीं थीं। जब पी0एच0सी0 का उद्घाटन किया जाता है मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश भर में ऐसा होता है? पी0एच0सी0 का उद्घाटन उसी वक्त होता है जब वहां पर बिल्डिंग बन कर तैयार हो जाए। बिल्डिंग का उद्घाटन तो तब होगा जब बिल्डिंग बन कर तैयार हो जाए। इसको हमको समझाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? सच्चाई यह है कि वहां पर पंचायत भवन में फट्टा लगा दिया गया। वहां पर मुख्य मंत्री जी का नाम लगा दिया गया और उसके बाद न वहां पर फार्मासिस्ट है, न दवाई है और न वहां पर डॉक्टर है और आज तक खोलानाल और बागाचनोगी पी0एच0सी0 में ताले लगे हुए हैं। हम इस बात का जवाब चाहते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत तौर पर बताया था कि बहुत नये पी0एच0सीज़0 खोले हैं वे अभी फंक्शनल नहीं हुए हैं। इन्होंने कहा कि किसी ने उद्घाटन कर दिया। मैंने यह कहा कि हमें उसकी जानकारी नहीं है लेकिन यह बात

गलत है कि पोस्टें सैंक्शन नहीं हुई हैं। इनके तीनों पी0एच0सीज़ में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लास-IV की पोस्टें विभाग ने कैबिनेट से एप्रूव करवाई हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि पोस्टें सैंक्शन नहीं

10.03.2016/1155/SS-DC/3

हैं। पोस्टें ऑलरेडी सैंक्शंड हैं। अभी हमने फैसला लिया है कि नये पी0एच0सीज0 को फंक्शनल नहीं करेंगे, जितने हमारे ऑलरेडी पी0एच0सीज़0 हैल्थ इंस्टीट्यूशन्ज़ हैं उनको स्ट्रैंथन करेंगे। उसकी कंसोलिडेशन करेंगे।

अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त। आप (श्री जय राम ठाकुर) इनसे अलग से बोल लेना। No, no. प्रश्नकाल खत्म हो गया। आप इनसे अलग से लिखकर ले लेना। प्रश्नकाल खत्म हो गया, आप इसको छोड़िये।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी ऐसा जबाव देंगे तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। --(व्यवधान)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जब आपने इसी माननीय सदन में कहा कि हमको जानकारी नहीं है

जारी श्रीमती के0एस0

10.03.2016/1200/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2814 जारी----

श्री जय राम ठाकुर जारी----

दो पी.एच.सीज़. के बारे में आपने बात की, तो वहां पर जो आपके बी.एम.ओ. गए थे, जो अधिकारी वहां पर गए थे, जिनको आपके चेयरमैन अपनी गाड़ी में अपने साथ ले गए थे, उनकी उपस्थिति में वह उद्घाटन किया तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगें? जब विभाग के मंत्री को जानकारी नहीं है और विभाग के अधिकारी उस उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं तो क्या आप इस सारे मामले पर उन पर कार्रवाई करेंगें?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत तौर पर इनके प्रश्न के जवाब में उस दिन कह दिया था कि हमारे ध्यान में नहीं था न हमसे कोई परमिशन ली गई थी और हमने यह भी फैसला किया कि जितने नए पी.एच.सी. खोले हैं, उनको हम फंक्शनल तभी करेंगें जब हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध होंगें। अभी जो हमारे पी.एच.सी. पुराने चले हुए हैं, उनकी कंसोलिडेशन का प्रासैस हमने शुरू किया है। हमने 80 फार्मासिस्ट भरने बारे सबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड को मामला भेजा हैं, जब उनकी भर्ती आएगी तो निश्चित तौर पर हम उनको भी फंक्शनल करेंगें।

प्रश्नकाल समाप्त

10.03.2016/1200/केएस/एजी/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगें। ----(व्यवधान)---- No, no. Question Hour is over. No exchange. Kindly adhere to the rules. अभी प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। आप किसी और विषय पर बोल लेना। ----(व्यवधान)---- अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कांगज़ात सभा पटल पर रखेंगें। ----(व्यवधान)---- No, no.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, प्वाईंट ऑफ ऑर्डर।

Speaker: I will not let this Question come after the Question Hour. This is a part of the question. I don't allow after 12'O clock. (Interruption) There is not a Point of Order after the Question Hour. Regarding Question, there is no Point of Order. (Interruption) The matter can be taken up later on. आप प्रश्नकाल को मत बढ़ाएं। ----(व्यवधान)---- यह प्रश्नकाल ही है। This is a question pertaining to the Question Hour. और आप उसको एक्सटैंड कर रहे हैं। बात हो गई। आप इनसे बाद में पूछ लेना कि क्या बात है। You can ask anytime from the Minister. ----(व्यवधान)---- अब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह नहीं

होगा, यह गलत बात है।क्वैश्चन के बारे में नहीं होगा।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन के बारे में नहीं होगा लेकिन जो जवाब दिया है उसके बारे में तो होगा।

Speaker: I will not allow any point to be raised regarding any question which has been taken up in the Question Hour. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी आप पढ़िए।

10.03.2016/1200/केएस/एजी/3

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय,मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 कीधारा 23 (6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम,

हमीरपुर की 34वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

10.03.2016/1200/केएस/एजी/4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (**वर्ष 2015-16**), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :

i. समिति का 126वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 127वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 205वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 51वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.7 से 3.14 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

10.03.2016/1200/केएस/एजी/5

अध्यक्षः अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

और

ii. समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 20वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्रीमती अ0व0 की बारी में---

10.3.2016/1205/av/ag/1

<u>नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी नियम 62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 9 मार्च, 2016 को अमर उजाला समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "मणिमहेश में ग्लेशियर की चपेट में आए पांच युवक, दो लापता" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

दिनांक 7 मार्च, 2016 को शिवरात्रि के दिन चम्बा जिला के कुछ युवक शिवरात्रि का पर्व होने की वजह से मणिमहेश दर्शन के लिए जा रहे थे। उन 6 में से श्री अशोक शर्मा नामक युवक तो भरमौर से ही बनीखेत वापिस लौट आया। पांच युवक मणिमहेश के लिए निकले और हटसर के आगे से उनमें से तीन युवक भरमौर वापिस आ गये। दो युवक के लिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ग्लेशियर की चपेट में आकर के; क्योंकि आज तीसरा-चौथा दिन हो गया है। वे दोनों लापता युवक छोटी उमर के हैं तथा दोनों ही मेरे चुनाव क्षेत्र से सम्बंध रखते हैं। एक बनीखेत से है जिसकी आयु करीब 28-29 वर्ष है तथा एक मेरी ही पंचायत के पूर्व प्रधान श्री रमेश बेरी जी का लड़का है जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष है। यह पूर्व प्रधान जी का इकलौता बेटा है। ये बच्चे मणिमहेश दर्शन के लिए जा रहे थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एवालाँच आने की वजह से ग्लेशियर प्वाईंट पर हो सकता है कि वे बर्फ के नीचे दब गये। हो सकता है कि उन्होंने कहीं क्योंकि वहां पर बहुत सारी जगह में गुफाएं हैं; उसमें शरण ले रखी है या एयर पोकैट में ट्रैप्ड है। इस बात की अभी कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन बच्चों का क्या हुआ है। यह ठीक बात है कि जिला प्रशासन ने इसमें काफी मुस्तैदी से काम किया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जिलाधीश (चम्बा), ए0डी0एम0(चम्बा) और एस0पी0 (चम्बा) द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं। सरकार ने कदम उठाये, आर्मी को भी बुलाया। इसमें पठानकोट की युनिट के लोग गये मगर वे भी असफल रहे। मेरी सूचना के मुताबिक अब शायद आर्मी की उस युनिट को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है जो सियाचिन और कारगिल जैसी जगहों पर इस काम के लिए ट्रेन्ड है, ऐक्सपीरियंस्ड है और उनके पास इक्विपमैंट्स हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से और सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूं कि इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जाए जब तक कि उनका पता नहीं लगता।

10.3.2016/1205/av/ag/2

हम इसको दुर्घटना ही कहेंगे। इस दुर्घटना के बाद, the district administration acted in a very quick manner. As I have already said that I place on record the appreciation of the people of our area.

एक बात और सामने आती है कि जो भरमौर का प्रशासन है, जिन्होंने यह बात

हटसर की पंचायत के लोगों से कही थी कि वहां पर वॉर्निंग बोड्र्ज लगाये जाएं कि किस सीजन में ऊपर नहीं जाना चाहिए। किस सीजन में ऊपर जाने में खतरा है। यह मौसम यानि जब बर्फ पिघलती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे बताया गया कि यह हादसा दिन में लगभग ढाई बजे हुआ है यानि इस समय धूप अपनी चर्म सीमा पर होती है। ऐसा लगता है कि बर्फ पिघली और बर्फ पिघलने से एवालाँच ग्लेशियर में आया। जैसे नदियों के किनारे भी जब पानी ऊपर आ जाता है तो वहां पर उसके लिए सरकार ने वॉर्निंग साइन्ज लगाये हुए हैं। वहां लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप नदी के पास न जाएं।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2016/1210/TCV/DC/1

श्रीमती आशा कुमारी ----- जारी

वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उनको हिदायत दी थी कि यहां पर वार्निंग बोर्डज़ लगाये जाएं कि इस मौसम में ऊपर न जाएं । लेकिन लोगों को रोकना बहुत मुश्किल होता है और जिस एरिया में यह बर्फ फैली हुई है, वह बहुत बड़ा ट्रैक है, बहुत लार्ज़ एरिया है। यहां पर रैस्क्यू और रिसर्च ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। फिर भी जिस मुस्तैदी से सरकार ने इसमें कदम उठाए है, इसके लिए तो हम इनकी प्रशंसा करते ही है। लेकिन साथ ही इनसे यह भी निवेदन करती हूं कि जब तक उन बच्चों का पता न लग जाये, तब तक यह सर्च ऑपरेशन जारी रहे। हमारी जो टीम सियाचीन और कारगिल के गलेशियर में काम करती है, वह इनको जल्दी से जल्दी भरमौर/हडसर/गौरीकुंड और मणिमहेश तक पहुंचाने का प्रयास करें। ताकि यह सर्च ऑपरेशन कामयाब हो। ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं।

10/03/2016/1210/TCV/DC/2

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती आशा कुमारी, माननीय विधायिका द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रकार से हैंः-

दिनांक 07.03.2016 को ओम प्रकाश पुत्र श्री माधो राम, गांव लथराड़, डाकघर घनेड, तहसील चुराह, जिला चम्बा ने अपने दो साथियों श्री नूतन लाल निवासी तीसा व श्री अमित महाजन, निवासी गांव व डा0 बनीखेत, जिला चम्बा सहित राम 10:30 बजे पुलिस थाना भरमौर में सूचना दी कि वे दिनांक 6.3.2016 को अपने दोस्त विकास गुप्ता पुत्र सतीश गुप्ता, गांव व डा0 बनीखेत तथा विवेक बैरी पुत्र श्री रमेश कुमार गावं भटियात, डा0 डलहौजी कैंट के साथ भरमौर में चौरासी मंदिर गए थे। वे मणिमहेश जाना चाहते थे। इसलिए वे चौरासी मंदिर के बाद उसी दिन हड़सर चले गए।

दिनांक 07.03.2016 को प्रातः लगभग 5:00 बजे वे सभी मणिमहेश के लिए रवाना हुए। प्रातः करीब 11:45 पर जब वे सुन्दरासी पहुंचे तो अमित महाजन ने थकावट के कारण चलने में असमर्थता व्यक्त की, जिस कारण वह सुन्दरासी में ही ठहर गया तथा शेष चार व्यक्ति नूतन, विकास, विवेक और ओमप्रकाश गौरीकुंड की तरफ चले गए।

गौरीकुंड से आधा कि0मी0 पीछे से विकास और विवेक ने गंतव्य स्थान मणिमहेश पहुंचने के लिए बर्फ में रास्ता बनाना शुरू किया। उसके बाद करीब ढाई-तीन बजे विकास गुप्ता व विवेक ग्लेशियर गिरने से उसके नीचे दब गए। नूतन व ओमप्रकाश ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की परन्तु उन्हें ढूंढ न पाए। उसके बाद नूतन व ओमप्रकाश वापिस आ गए तथा वे अमित महाजन के साथ रात को करीब 9:30 बजे हड़सर पहुंचे। उन्होंने इस घटना के बारे में प्रधान, ग्राम पंचायत हड़सर को भी बताया।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

10.03.2016/1215/RKS/AS/1

मुख्य मंत्री द्वारा... जारी

इस सूचना के प्राप्त होने पर दिनांक 08.03.2016 को प्रातः प्रभारी, थाना भरमौर की अध्यक्षता में एक बचाव दल तथा श्री गौतम ठाकुर के नेतृत्व में एक पर्वतारोही दल घटना स्थल को रवाना किया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंच कर खोजने का प्रयास किया। सेना ने भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक चम्बा द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। High Altitude Warfare School, Gulmarg से भी एक 8 सदस्यीय विशेष बचाव दल आज दिनांक 10.03.2016 को लापता व्यक्तियों को ढ़ूढने के लिए घटना स्थल पर विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा एवं उपयोगी उपकरणों सहित पहुंच रहा है। गुम हुए व्यक्तियों को ढूंढने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

10.03.2016/1215/RKS/AS/2

अध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी आप कुछ पूछना चाहती हैं।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन किया था कि जो हटसर से ऊपर रास्ता जाता है, वहां चेतावनी बोर्डज लगाने के लिए प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई करनी थी, उसको करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे इस तरह के मौसम में लोग वहां न जाएं? कम से कम चेतावनी लगी हो, पता हो कि कौन सा सीजन खुला है और कौन से सीजन में न जाना पड़े। इसके लिए प्रशासन ने आदेश दिए हैं, मगर प्रशासन के आदेश के बावजूद भी वहां बोर्डज नहीं लगे हुए हैं। आगे इस तरह की घटना न हो, चेतावनी बोर्डज लगाने के लिए क्या मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे?

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः चेतावनी बोर्डज लगाने के लिए आदेश दे दिए जाएंगे, ताकि लोग खराब मौसम में उस ओर न जाए।

10.03.2016/1215/RKS/AS/3

कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज जी, कार्य-सलाहकार समिमि के दशम् प्रतिवेदन(बारहवहीं विधान सभा) को सभा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के दशम् प्रतिवेदन (बारहवहीं विधान सभा)को सदन में प्रस्तुत करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं कि यह मान्य सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने दशम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि यह मान्य सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने दशम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकार।

10.03.2016/1215/RKS/AS/4

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

अध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य कार्यदिवस है, सर्वप्रथम जो पिछले सत्र में श्री रिखी राम कौंडल जी का प्रस्ताव संकल्प के लिए चर्चा पर आया था, आज हम उस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में एक महत्वपूर्ण विषय जो हर गांव के किसान, बागवान से जुड़ा हुआ था ,उसको प्रस्तुत किया था।

(माननीय सभापति महोदया, श्रीमती आशा कुमारी पदासीन हुई।)

आज इस विषय पर मुझे चर्चा के लिए जो अनुमति दी है उसके लिए मैं आभारी हूं।

सभापति महोदया, मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं चाहे पानी हो, बिजली हो या भोजन की व्यवस्था हो, इस संसार में उनको पूरा करने के लिए ईश्वर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से समय-समय पर उस मनुष्य को जीवनयापन करने के लिए साधन उपलब्ध करवाए गए हैं।

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

10.03.2016/1220/sls-dc-1

श्री रिखी राम कौंडल ...जारी

इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उनके रहन-सहन के तरीके समय-समय पर बदलते गए। जैसे-जैसे आजादी के बाद हिंदुस्तान में पंचवर्षीय योजनाएं आईं, उनसे विकास के नए-नए तरीके खोजे गए। वह वैज्ञानिकों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा या बुद्धिजीवियों द्वारा खोजे गए। हम लोग पहले पानी बौड़ियों और कुंओं से लाते थे। फिर विकास योजनाएं आईं और पानी की स्कीमें बनीं।

मैं सौर ऊर्जा विषय पर चर्चा कर रहा हूं। जब बिजली का उत्पादन हुआ तो गांव-गांव और घर-घर में बिजली पहुंची। जब-जब जो-जो सरकारें इस देश और प्रदेश में आईं, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस देश और प्रदेश का विकास किया।

सभापति महोदया, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। इसमें बिजली के उत्पादन की आपार संभावनाएं हैं। इस प्रदेश के अंदर बिजली दोहन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। समय-समय पर सरकार ने उस दिशा में पग भी उठाए। कुछ लक्ष्य पूरा हुआ, कुछ पूरा करने को है। लेकिन आज वातावरण में बदलाव के कारण बेमौसमी वर्षा हो रही है, बड़े-बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियों में पानी के बहाव में फ़र्क आया है। जितनी वर्षा पहले होती थी, वह कम हुई है। आज देश के अंदर एक सोच आई है कि बिजली का उत्पादन पन-बिजली परियोजनाओं के बजाये सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाए। सूर्य देवता और पानी के माध्यम से ही हर व्यक्ति को, किसान को और इस संसार के अंदर रहने वाले हर प्राणी को जीवन मिलता है; वह अपना जीवन यापन करते हैं।

सभापति महोदय, सौर ऊर्जा का उत्पादन सीधे सूर्य की तपस से होता है। इस सौर

ऊर्जा के माध्यम से आज देश के अंदर नई-नई योजनाएं विकसित की गई हैं। मैं यह मानता हूं कि पन-बिजली परियोजनाओं के माध्यम से जो बिजली उत्पादन होता है, वह सौर ऊर्जा के मुकाबले महंगा पड़ता है। पर आज इस देश के अंदर यह सोच

10.03.2016/1220/sls-dc-2

आई है कि सौर ऊर्जा पर कुछ समय के लिए तो ज्यादा पैसा ख़र्च होता है पर आने वाले समय में धीरे-धीरे उसका लाभ होता है। एक या डेढ़ मैगावाट का सोलर प्लांट, जिसे लोग अपने रूफ पर लगाते हैं, उसके लगाने का ख़र्च 2.00 लाख रुपये पर-मैगावाट तक तो आ ही जाता है। यह केंद्र की योजना है। उसमें जो सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, अगर सारे देश के अंदर जो सब्सिडी मिलती है उसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो आने वाले 4-5 वर्षों के बाद 15-20 सालों के लिए इस सौर ऊर्जा से गांव के किसान को लाभ मिलेगा। जब हम किसान लोग फसलें काटते हैं तो इसी ऊर्जा के माध्यम से फसलों को सुखाते भी हैं, अनेकों कार्य इसी सौर ऊर्जा के माध्यम से करते हैं और हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसकी उपलब्धता रहती है।

सभापति महोदय, सौर ऊर्जा और सोलर कूकर के माध्यम से हमारे गांव के किसान, बागवान और दूसरे लोग अपना भोजन, दाल बनाने का काम और दूसरे अनेकों काम लेते हैं। और भी ऐसे अप्लाईंसिज हैं

जारी ..गर्ग जी

10/03/2016/1225/RG/DC/1

श्री रिखी राम कौंडल-----क्रमागत

जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बनाए जाते हैं जिनको हम अपने घरों आदि स्थानों पर इस्तेमाल करते हैं।

सभापति महोदया, जहां तक पन बिजली परियोजनाओं का प्रश्न है उसका और सौर ऊर्जा का दोहन यदि इस प्रदेश में किया जाए, तो आजकल के युग में जो हम रिजरवायर बनाते हैं उसके बनाने से जो वाटर फ्लो नीचे बंद होता है हमारे आज जितने भी पानी के स्रोत हैं जैसे बावड़ियां या अन्य पानी की स्कीमें हैं वे उससे प्रभावित

होती हैं। इसके अतिरिक्त जो बिजली के प्रोजैक्ट्स बनते हैं उनमें कई ऐसी दिक्कतें हमें आती हैं जिससे उनमें समय लग जाता है। इनके लिए पहले से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लो, फिर सरकार से लो, फिर जमीन की कीमत दो, उनमें कंस्ट्रक्शन का खर्च भी ज्यादा आता है, उनमें टरबाईन भी लगती हैं जिनमें ज्यादा खर्चा आता है। सोलर ऊर्जा जिसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, सारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी इसको विकसित करना चाहते हैं। मैं यहां थोड़ा सा इस बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कई गुणा ज्यादा बजट रखा है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट भी आज गुजरात में है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी सौर ऊर्जा के बारे में जो नीति बनाई है, मैं मानता हूं कि इस प्रदेश में सौर ऊर्जा को और बढ़ावा दिया जाए। यहां बैंगलोर की एक टीम आई थी उसने एक स्टडी की थी और उसने यहां कुछ क्षेत्र इसके लिए चिन्हित किए थे। दिसम्बर, 2010 में बैंगलोर की Scope of Renewable Energy Himachal Pradesh India Study Solar or Wind Resources, इन्होंने हमारे प्रदेश में एक सर्वे किया कि यहां सौर ऊर्जा का दोहन कहां-कहां ज्यादा किया जा सकता है। तो एक बाई एक स्क्वेयर मीटर एरिये में एक मेगावाट बिजली का उत्पादन एक दिन में सोलर के माध्यम हो सकता है और उन्होंने यहां पर 11 साइट्स चिन्हित की थीं। उनमें बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, भून्तर, धर्मशाला, डलहौली, मनाली और शिमला था। वैसे इससे पहले भी इस क्षेत्र में काम हुआ होगा, लेकिन जितना काम इस विषय पर होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब हिमाचल प्रदेश ने भी इस पर नीति बनाई है। मैं चाहूंगा कि इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदया, इस बारे में एक सर्वे हुआ और प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनी। बिलासपुर जिले में पिछली सरकार के समय में बहेड़ा गांव में सौर ऊर्जा का सर्वे हुआ और उसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई गई जिसकी स्वीकृति मिली। लेकिन जैसे ही

10/03/2016/1225/RG/DC/2

सरकार बदली उसके पश्चात इसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रोजैक्ट पर ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक International Agency for Solar Technology and Applications है जो सौर ऊर्जा पर आधारित 120 देशों का एक संयुक्त संगठन है जिसका शुभारम्भ फ्रांस द्वारा 30 नवम्बर, 2015 को पेरिस में किया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है जिसकी घोषणा सर्वप्रथम लंदन में वेम्बले स्टेडियम में उन्होंने उद्बोधन के दौरान की थी।

सभापति महोदया, हिन्दुस्तान में सौर ऊर्जा के लिए जितना बजट पहले होता था उससे 6 या 7 गुणा ज्यादा बजट इस बार देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बार रखा है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार भी उस पर ध्यान दे। क्योंकि आज इसकी आवश्यकता है।

एम.एस. द्वारा जारी

10/03/2016/1230/MS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी----------

आने वाले समय में प्रदूषण और यह जो गैसिज का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है इससे छुटकारा पाने के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से हम छोटे-छोटे यानी एक-एक मेगावाट तक के यदि सौर ऊर्जा के प्लांट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाएंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सभापति जी, आज इस देश और प्रदेश में आवश्यकता है कि सौर ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैंने चर्चा रखी है। बोलने को तो इस पर बड़ी लम्बी चर्चा हो सकती है लेकिन अभी अन्य माननीय सदस्यगणों ने भी इस पर बोलना है। मेरा सरकार से एक ही निवेदन रहेगा कि इस पर ज्यादा ध्यान दें और इस विषय को गम्भीरता से लें। आज इस चीज की आवश्यता है क्योंकि आने वाले समय में पानी की कमी आएगी, खड्डों में वर्षा की वजह से पानी कम होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स हमारे बने हैं उनमें कभी सिल्ट आ जाती है और कभी अन्य दिक्कतें आ जाती हैं। इन सबको दूर करने के लिए यदि इस प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया जाए तो सही रहेगा। हर

किसान और हर व्यक्ति को अपने-अपने घरों में एक-एक मेगावाट के सौलर प्लांट लगाने के लिए अगर सरकार मदद करे तो किसानों के लिए लाभदायी रहेगा। जो बार-बार बिजली की ब्रेक डाउन होती है, यहां पर ऊर्जा मंत्री बैठे हुए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पता नहीं यह एक नियम ही बन गया है कि जब भी खाना खाने बैठते हैं तब ही बिजली बन्द होती है। उस समय लोग बिजली वाले मंत्री और बिजली वाले विभाग को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी हमारा बचाव होगा।

सभापति जी, हिमाचल प्रदेश में 365 में से 250 से 300 दिन ऐसे हैं जिनमें सौर ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश में इसका अच्छा पोटैंशियल है। चाइना में आज सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का काम हो रहा है। उसके बाद जापान में और अगर हिन्दुस्तान के अंदर सौर ऊर्जा का दोहन किया जाए तो यह हिन्दुस्तान आज तीसरे नम्बर पर खड़ा है। इसलिए सभापति जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देश को ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ने का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश भी पहल करे ताकि हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति और किसान/बागवान सौर ऊर्जा के माध्यम से अपना लाभ प्राप्त कर सके। सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10/03/2016/1230/MS/AG/2

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): धन्यवाद। अब चर्चा में डॉ0 राजीव बिन्दल जी भाग लेंगे।

डॉ0 राजीव बिन्दलः सभापति जी, आदरणीय श्री रिखी राम कौंडल जी ने गैर सरकारी सदस्य दिवस पर जो अति महत्वपूर्ण विषय रखा है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
सभापति जी, ऊर्जा अति महत्वपूर्ण विषय है। यह न केवल भारत और हिमाचल के लिए अपितु दुनिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। उसमें भी नॉन पॉल्यूटिंग ऊर्जा और पर्यावरण को खराब किए बिना ऊर्जा, यह और भी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश सही अर्थों में पर्यावरण की अगर रक्षा नहीं करता है तो हिमाचल का भविष्य बाकी राज्यों की तुलना में और अधिक खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे प्राकृतिक

सौंदर्य और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर है। इसलिए सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा के बारे में जो आदरणीय कौंडल जी ने विषय रखा है, यह अति महत्वपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश में लगभग नौ महीने तक सूर्य पूरे वेग में होता है और जितने अच्छे एल्टीट्यूड के ऊपर हम लोग होते हैं उतनी ही ज्यादा सूर्य की तपिश रहती है। इसलिए सौर ऊर्जा का जितना अधिक दोहन हम कर सकते हैं उतना दोहन हमें करना चाहिए। सौर ऊर्जा का दोहन करने से अनेक प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। स्थानीय स्तर के ऊपर किसी एक गांव, पंचायत या किसी एक छोटे टाऊन के लिए हम सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाकर विद्युत उपलब्ध करवा सकते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

10.03.2016/1235/जेएस/एजी/1

डॉ0 राजीव बिल्दलः-----**जारी**--------

जो हाईड्रो पॉवर है कहीं पर 100 मैगावाट, कहीं पर 50 मैगावाट हैं, उसको हमें 1-2 हजार किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाईनें बिछानी पड़ती है। अगर हम सौर ऊर्ज़ा का दोहन करते हैं तो सही अर्थों में हम वहां के लोकल रेजिडैंट्स को बिजली उपलब्ध करवा सकते हैं। जिस समय सौर ऊर्ज़ा न हो उस समय हम एडिशनल जो हमारी हाईड्रो पॉवर है, उसका इनपुट दे करके वहां की लोकल रिक्वायरमैंट को पूरा कर सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारी हाईड्रो पॉवर है वह हमारी इकोनॉमी जैनरेशन का बहुत बड़ा साधन बन जाएगी। इस सौर ऊर्ज़ा के कारण हम बड़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को विकसित कर सकते हैं और स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं ।

सभापति महोदया, आवश्यकता इस बात की है कि सौर ऊर्ज़ा का उत्पादन आर्थिक रूप से वॉयबल हो। इकोनोमिकली वॉयबल हो, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। दुनिया में इसके ऊपर बड़ी मात्रा में काम हुआ भी है । पिछले सालों में हाईड्रो पॉवर 3 रूपये, 4 रूपये जैनेशन कॉस्ट होती थी अब हाईड्रो पॉवर की कॉस्ट

बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। कौंडल जी ने ठीक कहा कि 10-11 और 12-13 करोड़ रूपये तक उसकी लागत प्रति मैगावॉट जा रही है । जो सौर ऊर्ज़ा है अगर हम उसको इकोनोमिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं यह बहुत बड़ा विषय है । हमारा प्रश्न इसी विधान सभा के इसी सत्र में लगा हुआ था। उसके अन्दर केवल लाहौल-स्पिति में एक-दो स्थानों का चयन किया गया है। हमारा सरकार से आग्रह है कि बड़ी मात्रा में सारे जिलों के अन्दर एकमुश्त इसका ट्रायल होना चाहिए। वह ट्रायल बड़ी मात्रा में किया जाए। वह रूफ टॉप ट्रायल हो सकता है। हिल टॉप सलैक्ट करके ट्रायल हो सकता है। यह एक बहुत अच्छा साधन हिमाचल प्रदेश के लिए हो सकता है। स्वच्छ बिजली, पर्यावरण रहित बिजली और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक जैनरेशन के लिए बिजली। इतना ही मुझे इसमें कहना है। इसमें सरकार नीति बनाए और नीति बना करके उसके ऊपर काम करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

10.03.2016/1235/जेएस/एजी/2

सभापतिः अब श्री हंस राज, माननीय विधायक चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हंस राजः माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ऊर्ज़ा का अपना ही महत्व है। चाहे वह हाईड्रो पॉवर से मिले या किसी अन्य साधन से मिले। सोलर ऊर्ज़ा का भी अपना ही महत्व है। माननीय कौंडल जी ने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में लाया है। मैं भी अपनी तरफ से जो सोच रखता हूं, उसको माननीय सदन में रखने की कोशिश करूंगा। एक तरफ आज पूरा विश्व ओद्यौगिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है वहीं पर उन उद्योगों को चलाने के लिए एनर्जी की बहुत ही जरूरत है। इसके लिए हिमाचल जैसी हिल ट्रैक टॉप माऊंटेन्ज स्टेट्स हैं वहां पर हाईड्रो का दोहन हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे प्लेन इलाके हैं थर्मल पॉवर और इस तरह के अन्य सोर्सिज उनसे एनर्जी को संग्रहित करने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार के श्रद्धेय मोदी जी ने सोलर एनर्जी का कन्सैप्ट पूरे विश्व से ले करके और समझ करके भारत में इसका प्रचार-प्रसार करने की कोशिश की है। मैं भी

माननीय कौंडल जी और डॉ0 राजीव बिन्दल जी के विचारों से बिल्कुल अपने आपको सहमत रखते हुए इस चीज़ की भरपूर वकालत करता हूं कि हम लोगों को हिमाचल जैसे जहां पर सन्नी एरियाज़ हैं अमूमन सभी सन्नी एरियाज़ हैं वहां पर सोलर ऊर्ज़ा का उपयोग या सोलर ऊर्ज़ा के दोहन की तरफ हम लोगों को जाना होगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

10.03.2016/1240/SS-AS/1

श्री हंस राज क्रमागतः

साथ-ही-साथ सोलर ऊर्जा के इतने साइड इफैक्टस नहीं हैं परन्तु मैं इसमें वे भी चीज़ें लाना चाहूंगा कि हम लोगों को साइड इफैक्टस पर गहन चिन्तन करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जहां हम यूरोपीय देशों को देखते हैं, जिनको देख करके हम लोग सोलर ऊर्जा की तरफ जाने की कोशिश में हैं उनसे भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि वहां पर सोलर एनर्जी को एक महत्वपूर्ण वैपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है लेकिन जो उसके सोलर सैल्स या पैनल होते हैं जब सोलर लाइटस खराब हो जाती हैं तो उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, यह भी सीखना पड़ेगा। मतलब यह कि जब कोई पॉलिसी या ऐक्ट लाने का सरकार सोचे तो हम लोगों को यह भी सोचना पड़ेगा क्योंकि उससे जो नुकसानदेह चीज़ें निकलती हैं, जोकि वैज्ञानिक तथ्य है, उसको सही से डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। एक दिन मैं हाइड्रो के बहुत पुराने मैनेज़र या एम0डी0 के साथ बैठा था, वे इस पर चर्चा कर रहे थे। मैंने उनके साथ बड़ी वकालत की कि हाइड्रो की जगह अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं तो यह बहुत जल्दी हो जायेगा। परन्तु उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव मेरे साथ शेयर किया और मैं उसी को यहां पर शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने यही कहा कि सही मायनों में हाइड्रो एनर्जी एक ग्रीन एनर्जी है जोकि हिमाचल का रियल पॉटैंशियल है। मैं थोड़ा-सा कौंडल साहब और बाकियों से माफी चाहूंगा। मैं सोलर पर ही बोल रहा हूं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। इसके साइड इफैक्टस की तरफ भी ध्यान देना होगा। अगर कल परसों सरकार इस तरफ कदम उठाती है तो हमें ये दोनों चीज़ें साथ में लानी पड़ेंगी। एक तरफ इसका एडवांटेज है और दूसरी तरफ डिस-एडवांटेज भी है। एक तरफ यह हमको कॉस्टली पड़ेगी लेकिन एडवांटेज यह है कि एक सही ऊर्जा हमको मिल पायेगी।

इसका डिस-एडवांटेज यह है कि जो सैल्स, पैनल और अन्य इक्विपमैंटस इसमें यूज होते हैं विशेषकर जो प्लेट होती है जोकि सन लाइट को एब्जोर्ब करती है उसको डिस्ट्रॉय या डिसमैंटल करना इतना खतरनाक है कि यूरोपीय मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिये हैं। अगर हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो वह नुकसानदेह कार्बन या गैसिज़ का उत्सर्जन करेगी जो सराउंडिंग की सोसाइटी या समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमने अगर सोलर एनर्जी की तरफ कदम उठाने हैं तो इस विषय पर भी हमको गहन चिन्तन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चूंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश होने के

10.03.2016/1240/SS-AS/2

साथ-साथ जो हमारे प्लेन के इलाके हैं या जिनको हम समतलीय कहते हैं जोकि थोड़े से एडवांसड इलाके हैं वहां पर सोलन एनर्जी इसलिए भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि जो गली-मुहल्लों में या जहां पर हम लोग इस तरह की लाइटस को आसानी से नहीं पहुंचा सकते जोकि सनी एरियाज़ हैं उसमें हम लोग इसे ले आएं तो यह एक महत्वपूर्ण रोल एनर्जी के रूप में प्ले करेगा।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.03.2016/1240/SS-AS/3

सभापतिः माननीय सदस्य, धन्यवाद। अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय सभापति महोदया, भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम को वर्ष 1984 में प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा संरक्षण उपकरणों के अतिरिक्त सौर ऊर्जा पर आधारित विभिन्न संयन्त्रों जैसे सौर कुकर, सौर घरेलू रोशनियां, सौर लालटेन तथा सौर गली रोशनियों आदि का व्यापक तौर पर प्रचार किया गया ताकि इन उपकरणों की उपयोगिता तथा ऊर्जा संरक्षण में इनकी भूमिका के बारे में जनता में चेतना जागृत की जा सके। प्रारम्भ में इन उपकरणों को कबाईली इलाकों तथा दूरदराज के क्षेत्रों तक सीमित रखा गया। समय के साथ-साथ

अन्य क्षेत्रों में भी इन उपकरणों को अनुदान पर लोगों में वितरित किया गया। इन उपकरणों का वितरण भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत किया जाता रहा है। इनकी उपयोगिता तथा ऊर्जा संरक्षण में विशेष भूमिका के दृष्टिगत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के दोहन पर विचारविमर्श किया गया। इस कार्य को अन्जाम देने हेतु इसके लिए अलग से नीति बनाने संबंधी विभिन्न स्तर पर वार्तालाप एवं विशेषज्ञों की राय व भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सौर ऊर्जा नीति के अहम बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की अलग ऊर्जा नीति तैयार की गई ताकि सूर्य की किरणों में विद्यमान ऊर्जा का व्यापक रूप से दोहन किया जा सके। यह नीति 4.3.2014 को अधिसूचित की गई तथा इस नीति में कुछ संशोधन करने के उपरांत नई सोलर नीति दिनांक 23 जनवरी, 2016 को अधिसूचित की गई है।

जारी श्रीमती के0एस0

10.03.2016/1245/केएस/एएस/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जारी----

इसमें प्रावधान किया गया है कि हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के उपभोक्ता अपने भवनों/परिसरों में 1 किलोवाट से 5 मैगावाट क्षमता तक के Solar rooftop plant लगा सकते हैं जिसे net metering के माध्यम से ग्रिड से जोड़ा जाएगा। एक किलोवाट के सौर पॉवर प्लांट लगाने के लिए लगभग 12 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (HPERC) द्वारा net metering आधारित Solar rooftop plant लगाने के लिए वर्ष 2015 में अधिनियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। इसके अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में Solar rooftop plant से प्राप्त ऊर्जा को 5 रुपये प्रति युनिट के हिसाब से खरीदने का प्रावधान रखा है। हिमाचल प्रदेश में साफ आसमान व अधिक सोलर रेडिएशन के मध्यनज़र सभी विभागाध्यक्षों को वर्ष 2015 में अनुरोध किया गया है कि वह सरकारी भवनों पर ऐसी जगह चिन्हित करें जहां पर Solar rooftop plant लगाए जा सकते हैं। इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित चैनल पार्टनरों को हिमऊर्जा द्वारा रजिस्टर किया जा रहा है

जो कि भवनों पर जगह चिन्हित करेंगें जहां पर Grid Interactive Solar rooftop plant लगाए जा सकें। इस योजना को आम जनता तक पहुंचाने हेतु विज्ञापन व संगोष्ठी द्वारा समय-समय पर प्रचार किए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही के वर्षों में भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के दोहन की गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों में प्राथमिकता दी गई है। इस ऊर्जा के दोहन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्कीमें प्रारम्भ की गई है तथा इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के अनुदान की घोषणा भी की गई है। विभिन्न स्कीमों तथा उनके कार्यान्वयन हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः

10.03.2016/1245/केएस/एएस/2

Solar Roof Top : इस स्कीम के अधीन घरों, सरकारी भवनों, सार्वजनकि भवनों इत्यादि में छत पर सोलर पैनल की स्थापना करके सौर ऊर्जा का दोहन किया जाता है। इनकी निम्नतम सीमा 1 किलोवाट तथा अधिकतम सीमा 500 किलोवाट है। भारत सरकार इसके लिए घरेलू, सरकारी व अन्य सामाजिक भवनों में सौर पावर प्लांट लगाने के लिए 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है। यह अनुदान Industrial& Commercial Sector के लिए लागू नहीं है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.3.2016/1250/av/dc/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री---------- जारी

2. बेरोजगार युवकों तथा किसानों के लिए स्कीम : इस स्कीम के तहत बेरोजगार युवक तथा किसान एकल रूप से या ग्रुप में सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 84 मैगावाट का लक्ष्य आबंटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इसमें अनुदान की राशि 50 लाख रुपये प्रति मैगावाट प्रदान की जायेगी। आपने कहा कि एक मैगावाट दो लाख रुपये में बन जायेगा, यहां पर सब्सिडी सिर्फ 50 लाख रुपये है। सोलर पावर प्लांट की अधिकतम सीमा 5 मैगावाट होगी। इस स्कीम के तहत सोलर पावर प्लांट विद्युत बोर्ड के सबस्टेशन 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट या 66(11/33/66) किलो वोल्ट के नजदीक स्थापित किये जायेंगे।

3. सामान्य स्कीम : भारत सरकार द्वारा ऑफ ग्रिड कार्यक्रम के तहत सरकारी क्षेत्र में 90 प्रतिशत अनुदान राशि दी जा रही है व निजी क्षेत्र में 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस सम्बंध में प्रदेश सरकार द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्ताव को भारत सरकार गुणवत्ता के हिसाब से स्वीकृत करती है।

4. सोलर पार्क : इन पार्कों के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार न्यूनतम सीमा 500 मैगावाट रखी गई है। इन पार्कों को स्थापित करने के लिए भारत सरकार डी0पी0आर0 बनाने हेतु मु0 25 लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त मु0 20 लाख रुपये प्रति मैगावाट अनुदान का प्रावधान भी है।

वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा जिला लाहौल एवं स्पिति के धार गंगछुमी, तहसील स्पिति में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है जिसके लिए भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है तथा इसकी क्षमता 1000 मैगावाट है। इस परियोजना हेतु 2525 हैक्टेयर सरकारी भूमि का चयन किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को इस

10.3.2016/1250/av/dc/2

परियोजना के लिए नोडल ऐजैंसी नियुक्त किया गया है। राज्य में इस संयंत्र तथा अन्य सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने हि0प्र0स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटिड तथा सोलर ऐनर्जी कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक ज्वाईंट वैंचर कम्पनी की स्थापना की है। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मु0 25.25

लाख रुपये की धनराशि सोलर ऐनर्जी कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को इस परियोजना की डी0पी0आर0 बनाने हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। परंतु इस संयंत्र से उत्पन्न ऊर्जा को संचारित करने हेतु उपयुक्त ट्रांसमिशन की व्यवस्था स्थापित करना व उक्त ट्रांसमिशन लाइन की मैंटीनैंस को सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लगभग 35 किलोमीटर लम्बी प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन अति दुर्गम व बर्फानी क्षेत्रों में से होते हुए 400 किलोवाट का-डोगरी, जिला लाहौल व स्पिति सब-स्टेशन से जोड़ी जानी प्रस्तावित है व इसकी स्थापना पर आरम्भिक अनुमानों के अनुसार मु0 175 करोड़ रुपये का व्यय होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों में भी सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बंध में सभी जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी जगह चिन्हित करें जहां पर कि ये पार्क स्थापित किए जा सकते हैं।

सौर पावर प्लांट के अतिरिक्त सौर ऊर्जा पर आधारित अन्य उपकरण भी ऊर्जा संरक्षण तथा हरित वातावरण बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। इन उपकरणों में प्रमुखता निम्न उपकरण सम्मिलित हैः-

10.3.2016/1250/av/dc/3

1. सौर कुकर	अनुदान राशि -60 प्रतिशत लगभग
2. सौर घरेलू रोशनियां	अनुदान राशि -कोई नहीं
3. सौर गली रोशनियां	अनुदान राशि -90 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव मंजूर होने के बाद।
4. सौर लालटेन	अनुदान राशि कोई नहीं।
5. सौर गीजर	अनुदान राशि कोई नहीं

सौर गीजर पर भारत सरकार द्वारा अनुदान समाप्त किया गया है। इस अनुदान को पुनः

प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न स्तर पर भारत सरकार के साथ पत्राचार जारी है।

आदरणीय सभापति महोदया, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा के दोहन हेतु 1.00 लाख मैगावाट का लक्ष्य विभिन्न स्कीमों के तहत निर्धारित किया गया है जिसमें 20 हजार मैगावाट सोलर पार्क की स्थापना से प्राप्त किया जाना है। सोलर पार्क का लक्ष्य नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को आबंटित किया गया है। सोलर पार्कों की स्थापना हेतु बहुत सी जमीन की अनिवार्यता होती है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश में बहुत बड़ी क्षमता के सोलर

टी सी द्वारा जारी

10/03/2016/1255/TCV/DC/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री----- जारी

पार्क स्थापित करना संभव नहीं है। अतः भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार से 5 मैगावाट तक के छोटे-छोटे क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना हेतु आग्रह किया गया है जो भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक है। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनायमक आयोग द्वारा प्रदेश में Arya Bhatt Geoinformatics and Space Application Centre (AGISAC) तथा National Institute of Technology (NIT) Hamirpur को इस कार्य की Feasibility स्थापित करने हेतु चयनित किया गया है।

माननीय सभापति महोदया, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दे से प्रदेश सरकार वाकिफ है तथा भविष्य में इसमें और प्रगति की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापिस लेने की कृपा करें। मुझे उनसे एक और बात पूछनी है, मेरे विभाग के अनुसार एक मेगावॉट सोलर पॉवर के लिए कम से कम 5 एकड़ ज़मीन की जरूरत होती है। लेकिन आपने एक स्क्वेयर मीटर कहा है। या तो मैं अपने डिर्पाटमैंट को कॉरेक्ट कर लूंगा या फिर आप अपने आप को कॉरेक्ट कर देना। दूसरा, आपने कहा कि यह एक मैगावॉट दो लाख से बन जाता है। लेकिन यह दो लाख में नहीं

बनता है, यह 7 करोड़ में बनता है। धन्यवाद।

श्री रिखी राम कौंडलः सभापति महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर उस सोलर पैनल प्लांट को मकान पर लगाकर एक मैगावॉट बिजली पैदा करें तो 2 लाख रूपये खर्च आता है और सबसिडी लगाकर वह और भी सस्ता पड़ता है। 5 साल तक उसको इसका खर्च वहन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको 15-20 साल के लिए बिजली फ्री मिलेगी। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, Cabinet Committee of Economic Affairs, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जिसके अध्यक्ष है। उन्होंने इस योजना के लिए 500 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ का इस बार बजट में प्रावधान किया है। क्या माननीय मंत्री हिमाचल प्रदेश में आपने जो नीति बनाई है, उसके लिए आपने कितना बजट रखा है?

सभापतिः माननीय मंत्री जी कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे।

10/03/2016/1255/TCV/DC/2

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः सभापति महोदय, इसमें स्पष्टीकरण होता ही नहीं है और जो यह पूछ रहे हैं, इनको खुद ही पता नहीं कि ये क्या पूछ रहे हैं। ---व्यवधान---।

सभापतिः माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापिस लेना चाहेंगे।

श्री रिखी राम कौंडलः माननीय सभापति महोदया, नीति के मुताबिक एक स्क्वेयर किलोमीटर में एक किलोवॉट बिजली का उत्पादन होता है। माननीय मंत्री जी हॉउस को मिसलीड कर रहे हैं। इसको स्पष्ट करें । ---व्यवधान---। किलोवॉट नॉट मेगावाट।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः आपने मेगावॉट कहा था।

सभापतिः माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हैं।

श्री रिखी राम कौंडलःमाननीय सभापति महोदया, मैंने मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण मांगा था कि इस बार इस योजना के लिए कितना बज़ट रखा गया है? माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। फिर भी इन्होंने विस्तार से उत्तर दिया है। उस उत्तर को

मद्देनज़र रखते हुए, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

सभापतिः तो क्या सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस हो?

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प वापिस हुआ।

अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

10.03.2016/1415/RKS/AG/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अभी -अभी प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री जी ने कहा कि जो ईको-टूरिज्म पॉलिसी है, अभी तक उसको कॉलैक्ट किया जा रहा है। कॉलैक्ट करने के बाद वह कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट के बाद वह फिर अप्रूव होकर आएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है? अगर अप्रूव कर दी है तो माननीय मंत्री जी ने इस मान्य सदन को क्यों मिसलीड किया?

वन मंत्रीः जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कैबिनेट ने इस पॉलिसी को पास कर दिया है, इसमें कुछ खामियां थी। कैबिनेट में यह कहा गया था कि इन खामियों को इम्प्रूव करके लाओ। इसलिए इसको पुनः कैबिनेट में ले जाएंगे।

10.03.2016/1415/RKS/AG/2

उपाध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री इन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के युवाओं में नशीले पदार्थों

के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति व उससे आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को रोकने केलिए नीति बनाए।"

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी आप बोलिए।

श्री इन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल में अखण्ड भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। देश में हर तरफ खुशहाली थी। संस्कार-युक्त लोग ईमानदारी से अपना काम करते थे, सच बोलते थे और किसी किस्म का दुराचार समाज में नहीं होता था। उसका एक मात्र कारण था, उस समय जो गुरुकुल पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाती थी।

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

10.03.2016/1420/sls-ag-1

श्री इन्द्र सिंह ...जारी

उसका एक कारण था कि उस पद्धति के द्वारा श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते थे। उस पद्धति का लक्ष्य था कि ऐसे संस्कार शिष्यों तक पहुंचें। कालांतर में भारतीय समाज कई प्रकार के उतार-चढ़ावों से गुज़रा। राजा-महाराजाओं के अधीन व्यवस्थाएं चलीं और उन्होंने भी अपनी-अपनी समझ के मुताबिक समाज में बदलाव किए। मुगल काल में शराब, शबाब और कबाब की संस्कृति पनपी जिससे हमारे सामाजिक मूल्य काफी डिवैल्युएट हुए। उपाध्यक्ष महोदय, जो रही सही कसर थी वह अंग्रेजी शासन के हिंदुस्तान में आने पर उन्होंने पूरी कर दी। लार्ड मैकाले को ब्रिटिश दरबार की ओर से आदेश हुआ कि आप हिंदुस्तान में जाकर वहां की व्यवस्था को पढ़ें, देखें और हमें इनपुट दें ताकि अंग्रेज हिंदुस्तान में लंबे समय तक राज करते रहें। लॉर्ड मैकाले बड़ा shrewd पोलिटिशियन था। उसने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। 18 फरबरी, 1834 को उसने ब्रिटिश पार्लियामैंट में एक इनपुट दी कि हिंदुस्तान में अगर अंग्रेज लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो वहां की संस्कृति को बदलना पड़ेगा और संस्कृति तभी बदलेगी अगर वहां की शिक्षा प्रणाली को आप ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के मुताबिक ढालेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश आजाद हुआ लेकिन ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लदी रही। आज के समाज की हालत उसी शिक्षा प्रणाली की देन है। आज हमारा परिवार और समाज जिस दशा से गुजर रहे हैं उसका मूल कारण संस्कार विहीन समाज की रचना है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे शिक्षा संस्थान संस्कार रहित हो गए हैं, हम-सब मैकैनिकल हो गए हैं और हमारे शिक्षा संस्थानों में गुंडागर्दी एवं नशा हॉबी हो गया है। इसका जीता-जागता उदाहरण आपने 9 फरबरी की रात को दिल्ली में जे. एन. यू. कैंपस में देखा ही होगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब आज मैंने अख़बार में पढ़ा कि कन्हैया कुमार ने आज एक बड़ी विचित्र स्टेटमैंट दी है कि कश्मीर में इंडियन आर्मी रेप करती है। This is a very stupid statement he has made in the Press. मैं लेट नाईंटीज में 3 साल तक श्रीनगर में रहा हूं और पूरी वैली में घूमा हूं। मैंने अपने 3 साल के टैन्योर में एक भी

10.03.2016/1420/sls-ag-2

ऐसी घटना नहीं देखी। जो हमारे भटके हुए संस्कार रहित युवा लोग हैं, उनका नेतृत्व ही ऐसी बातें बोलता है, ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, वह भी आज नशे के दौर से बचा नहीं है। आज हमारे शिक्षा संस्थानों के अंदर नशे की सामग्री खुले रूप में बेची जा रही है। उस पर कोई चैक नहीं है। न पुलिस चैक करती है और न सामाजिक संस्थाएं चैक करती हैं। कुछ वर्ष पहले शिमला में सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का एक सर्वे किया गया कि इनमें कितने लोग नशा करते हैं और कितने नहीं। यह एक प्राईवेट संस्था ने किया जिनका सैंपल साईज 2000+ का था। आपको जानकारी हैरानी होगी कि उनमें से 55 परसैंट छात्रों और 25 परसैंट छात्राओं ने कहा कि हम नशे की चीजों का इस्तेमाल करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विचित्र-सी विडंबना है कि हमारा यूथ आज किस तरफ जा रहा है। यह शहरों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप गांवों में देखेंगे तो वहां भी शराब की दुकाने सुबह 5 बजे खुल जाती हैं और रात को 12 बजे तक खुली रहती है। वहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। यही नहीं तंबाखू की चीजें आम बिकती हैं। मैं मानता हूं कि धूम्रपान पब्लिक में कम हुआ है लेकिन घरों में धूम्रपान खुलेआम होता है,

इसमें कोई दोराय नहीं है। जब हम एक दृश्य देखते हैं कि दादा जी ने पोते को गोद में उठाया है और स्वयं बीड़ी पी रहा है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। उसमें इतनी जागृति नहीं है कि वह बीड़ी पी रहा है लेकिन उसका छोटा-सा पोता भी उसके साथ पैसिव स्मोकर बना हुआ है। समाज में इसके प्रति जागृति लाने की घोर आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंथैटिक ड्रग्ज आजकल आम हो गई हैं, इस पर भी कोई चैक नहीं है। हमारा युवा वर्ग और श्रमिक वर्ग

जारी ..गर्ग जी

10/03/2016/1425/RG/AG/1

श्री इन्द्र सिंह-----क्रमागत

सारा दिन काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन शाम को वे शराब के बिना नहीं रहते। दिन में बीड़ी तो पीते ही हैं, लेकिन शाम को शराब के बिना नहीं रहते। It has become a regular habbit of that stratum of the society. इसको भी रोकने की जरूरत है ! उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पूर्व तक तो ग्रामीण लोग बैलों से खेती करते थे। मैं अपनी बैल्ट की बात करना चाहूंगा। पूर्व में लोग बैलों से खेती करते थे। वे खूब मेहनत करते थे और उनके पास फालतू समय नहीं होता था। लेकिन आजकल मशीनरी से खेती हो रही है और जो काम हफ्तों में होता था वह काम आज घण्टों में हो रहा है। इसलिए उनके पास आजकल बहुत समय है। साथ में यदि मैं यह कहूं कि सब्सिडायज्ड राशन, घर में नलके में उन्हें पानी मिल जाता है और बिजली की सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आज जीवनशैली बिल्कुल बदल चुकी है। लोग बहुत आरामपरस्त हो गए हैं और उनके पास बहुत स्पेयर टाईम हो गया है। अब वे स्पेयर टाईम कहां यूटीलाईज करें? Where should they go? केवल मनरेगा से काम नहीं चलेगा क्योंकि वहां कितने आदमी कंज्यूम हो सकते हैं? ---(व्यवधान)---- Who will bell the Cat? समस्या तो यह है न। आज बेरोजगार गांवों में रैम्पैंट है और साथ में unoccupied youth का मेरे ख्याल में व्यसनों की तरफ तो झुकाव होना स्वाभाविक है। Unless you occupy them or they will occupy you and they have done it. इसके साथ ही आज नशे की सामग्री आम मिल जाती है। आप शिमला से रामपुर जाइए,

शिमला से चण्डीगढ़ जाइए, मनाली से रोहतांग की तरफ जाइए या कहीं-से-कहीं जाइए, हर ढाबे पर आपको नशे की चीजें या सामग्री उपलब्ध होंगी। यह हमारा बहुत दुर्भाग्य है और इस नशे की लत ने हमारे समाज के तार-तार बिखेर दिए हैं,। मैं ऐसा समझता हूं। मॉ-बाप, भाई-बहिन और जो हमारे पारिवारिक रिश्ते थे इस नशे की लत ने सारे-के-सारे खत्म कर दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज में तनाव, लड़ाई-झगड़े, चोरियां, दुराचार यह आज आम हो गया है। हर समाचार-पत्र में लिखा होता है, हर रोज हम सब यह पढ़ते हैं और क्राईम रेट बढ़ रहा है। अगर स्थिति यहां पंजाब की तरह हो गई, तो मैं समझता हूं कि यह मसला सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। आज पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में उसको 'चिट्टा' बोलते हैं, White Powder, synthetic drug वह रैंम्पैंट है। उसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है। मैं डिफैन्स फोर्सिज की बात करूं, तो डिफैन्स फोर्सिज में प्योर सिख रेजीमेंट्स हैं। आर्टिलेरी की कुछ फैक्ट्रीज हैं जो प्योर सिख हैं, आर्म्ड

10/03/2016/1425/RG/AG/2

कोर में स्क्वेडर्न हैं जो प्योर सिख हैं, तो वहां उनमें भर्ती करने के लिए आज पंजाब में जवान नहीं मिल रहे हैं। इसकी असली वजह यह नशा है। कहीं हिमाचल में भी ऐसा हो गया, तो क्या होगा? यह सही समय है,। I feel it is right time to curb this menace.

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा किन्नौर जिला सीमान्त जिला है, चाईना से इसका बॉर्डर मिलता है। यहां 85,000 के लगभग जनसंख्या है। लेकिन किन्नौर जिले के 85,000 जनसंख्या में 50% जनसंख्या 15 से 35 साल के युवकों की है और यह जनसंख्या, यदि मैं कहूं कि यह टोटली नशे के दौर में आ गई है। यह हमारा चाईना से लगता हुआ बॉर्डर जिला है। इसमें ऐसी हालत होना बहुत गंभीर समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग एक सौ टन भांग पैदा होती है और तीस टन के लगभग अफीम की खेती होती है। अब इतनी बड़ी प्रोडक्शन जब मिलेगी, तो कहीं-न-कहीं उसको मार्केट मिल ही जाता है और मार्केट कहां मिलेगा, इसके लिए हमारा यूथ उपलब्ध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 'कोटपा अधिनियम, 2003 i.e. Cigarette and

other Tobacco Products Act, 2006 लगा है लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसके तहत नाबालिक दुकान से तंबाकू या तंबाकू से बनी हुई चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन आज आप छोटे बच्चे को भेजिए, वह दुकान में पैसे देगा और सामान लेकर आ जाएगा। इस पर आज कोई पकड़ नहीं है, कोई चैक नहीं है। इस पर चैक लगाने की आवश्यकता है, मैं ऐसा समझता हूं। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण इसमें कोई परिणाम नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें केवल समाज का एक ही अंग जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए हमारे माता-पिता, अध्यापक, पुलिस, राजनीतिज्ञ, गैर-सरकारी संस्थाएं और बड़ी संख्या में समाज के दूसरे वर्ग का भी दायित्व हमारे यूथ को आगे लाने के लिए बनता है, मैं ऐसा समझता हूं।

एम.एस. द्वारा जारी

10/03/2016/1430/MS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह जारी----------

आर्ट ऑफ पेरेटिंग की किसी भी संस्थान में पढ़ाई नहीं होती है। इसकी पढ़ाई होना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कैसे रेज करना है। मुझे लगता है कि कई पेरेन्ट्स अनुशासन की तरफ ज्यादा जोर देते हैं और कई पेरेन्ट्स बच्चों को ज्यादा ढीला छोड़ देते हैं। कई दोनों का सम्मिश्रण करते हैं। मेरे ख्याल में एक फॉर्मल ट्रेनिंग पेरेन्ट्स को देनी चाहिए चाहे वह आशा वर्कर के माध्यम से ही दीजिए परन्तु कुछ-न-कुछ ट्रेनिंग दें कि how to bring up the children, I think that is a must in the present day scenario. उपाध्यक्ष जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का भी इसमें अहम रोल है क्योंकि 3 से 5 साल तक के बच्चे उनके पास रहते हैं। वे कैसे उन बच्चों को ब्रिंग अप करे, कैसे उनके साथ व्यवहार करे और क्या लर्न करवाए, यह बहुत जरूरी है। जब हम कभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाते हैं तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, अच्छी बात है। वे नमस्ते भी करते हैं, यह भी बड़ी अच्छी बात है। परन्तु मैं समझता हूं कि अगर उनको जय हिन्द करना भी सीखा दें तो कम-से-कम इस उम्र में राष्ट्रीयता की फिलिंग उनके बीच में आएगी। यह एक अच्छा कदम होगा, ऐसा मैं समझता हूं।

जहां तक टीचर्ज का प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग असैम्बली में उनको संस्कारों के बारे में जरूर बताना चाहिए। It should be a routine matter in every school for the Headmaster or the Principal to follow. बच्चों को पब्लिक लाइफ में कैसे कन्डक्ट करना है, वह उनको सीखाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जमा दो की पढ़ाई करने के बाद जो बच्चा स्कूल से निकले वह एक किस्म से परिपूर्ण और बैलेंस्ड नागरिक के रूप में निकले। वह समाज को कहे कि मैं आपको क्या दे सकता हूं न कि समाज से मांगे कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, जो आज हमारे बीच में हो रहा है।

10/03/2016/1430/MS/AG/2

स्कूल/कॉलेजों में योग प्रशिक्षण शिविरों का होना भी बहुत जरूरी है। परन्तु जब मैं योग प्रशिक्षण शिविरों की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि शिक्षा का भगवाकरण हो गया। हम इसको उस एंगल से न लें क्योंकि यह एक बहुत अच्छी सोच है जिसमें यह बात आई कि स्कूलों/कॉलेजों में योग प्रशिक्षण शिविर लगने चाहिए और नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए।

बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए अगर कड़े कदम उठाने पड़ें तो आप प्रिंसिपल्ज और हैडमास्टर्ज को पावर्ज और ऑथोरिटी दीजिए ताकि वे बच्चों के चरित्र निर्माण के विषय में सोच सकें।

हमारे स्कूलों में जिम होना चाहिए। मैं तो यह भी सुझाव देता हूं कि हर पंचायत में एक जिम होना चाहिए और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को हमें थोड़ा एन्करेज करना चाहिए और उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में ज्यादा ले आउट करना चाहिए क्योंकि आपने यूथ को ऑक्यूपाई करना है फिर उसको खेत में करें चाहे खेल में करें। अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो जरूरी है कि वह नशे की तरफ जाएगा। ऐसा मैं मानता हूं। साथ में टीचर्स को भी एग्जम्पलरी कन्डक्ट करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर टीचर्स फैकल्टी अपने गांव के नजदीक के स्कूलों में है। यदि टीचर घर में जाकर शराब पीकर शोर करेगा तो कल वह मॉनिंग असैम्बली में क्या भाषण देगा? इसलिए यह जरूरी है कि टीचर्स का कन्डक्ट भी ठीक होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक पुलिस का सवाल है जो कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम नशाखोरी को रोकने के लिए है, वह बहुत सार्थक हो सकती है। हर गांव और कस्बे में नशाखोरी रोकने के लिए कमेटियां गठित होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बजट भाषण में कहा कि स्कूलों में भी हम ऐसी कमेटियां गठित करेंगे ताकि बच्चों का ध्यान नशे की तरफ न जाए। पुलिस को हमें निष्पक्ष रूप से काम करने देना चाहिए। उसमें किसी भी राजनीतिज्ञ को इन्टरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो NDPS ऐक्ट है उसको सख्ती से लागू करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर पुलिस ऑथोरिटीज सुन रही हैं तो उनको यह बात करनी चाहिए।

10/03/2016/1430/MS/AG/3

जहां तक हम राजनीतिज्ञों की बात है तो जब हम जन-सम्पर्क कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहां जरूर नशे के बारे में बात करें। विशेष रूप से महिला वर्ग के साथ आप बात कीजिए। मेरा निजी अनुभव है कि मैं लगातार महिला वर्ग के साथ इस बारे में बात करता हूं और उसका परिणाम मेरे चुनाव क्षेत्र में हमारे सामने आ रहा है। पुलिस के काम में और स्कूलों के काम में राजनीतिक इंटरफेयरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम उस पॉलिटिकल इन्टरफेयरेंस को खत्म कर दें तो मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा काम तो अपने आप सोर्टआउट हो जाएंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब भी हाथ लगे तो सब ये काम करते रहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी हाल ही में अपने बजट भाषण में इस बारे में पासिंग रेफरेंस दिया परन्तु मुख्य मंत्री जी एडवाइज से ही अब सिर्फ काम नहीं चलेगा। आज शासन और प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

10.03.2016/1435/जेएस/एएस/1

श्री इन्द्र सिंहः ------**जारी**--------

इसमें ड्रग्ज के सोर्सिज को हम सख्ती से कन्ट्रोल करें। ड्रग्ज की अवेबिलिटी और लिक्कर का ढाबों में अनऑथोराईज्ड यूज़ बन्द करने की आवश्यकता है। हमारी जो

पुलिस फोर्स है उसको वहां पर निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए ताकि जो हमारे ढाबें हैं वहां पर जो अनऑथोराईज्ड लिक्कर और ड्रग्ज मिलती है। I must say that they may be coped ruthlessly. Also the unauthorized entry of local liquor from neighbouring states must be checked. अक्सर देखा गया है कि विशेष रूप में मैं अपनी बैल्ट की बात करूंगा। वहां पर चण्डीगढ़ से विकली एक ट्रक आता है और वह चण्डीगढ़ ब्रैंड कोई एक स्पेशल ब्रैंड है जो लेबर क्लास पीती है वह बहुत ही सस्ती ब्रैंड है । वह वहां पर रातों-रात सप्लाई करके खिसक जाता है और प्रशासन सब सोया रहता है। यह बिल्कुल एक किस्म की बीमारी लग गई है, मैं ऐसा समझता हूं। यह बहुत ही जरूरी है कि हम उसको रोके। उसको चैक करें। उसके एन्ट्री प्वाईंट चैक करें यह पुलिस फोर्स का काम है। जहां तक प्रदेश में भांग और अफीम की खेती खासतौर से ट्राईबल बैल्ट में होती है, जहां लोगों के लिए यह एक व्यवसाय है। मैं ऐसा समझता हूं कि उन लोगों को ऑलटरनेटिव लाईवलिहुड सरकार को देना चाहिए ताकि वे इस काम को बन्द करें। 100 टन के करीब भांग और अगर 30 टन के करीब खेती यहां होती है और उसकी मोस्टली प्रोडक्शन ट्राईबल एरियाज़ में होती है। शायद यह उनका व्यवसाय है। मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार ऑलटरनेटिव लाईवलिहुड की बात करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और जिसने युवाओं की नींद हराम कर दी है वह सोशल मीडिया है। जब सोने का टाईम होता है तो युवा उस समय सोशल मीडिया के चक्कर में अपने सैल फोन को ऑन रखते हैं और सैल फोन पर सारी रात काम करते हैं। उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। इसमें हम पेरैंट्स को समझाएं कि प्लस-2 तक बच्चों को सैल फोन देने की आवश्यकता नहीं है। उसको बन्द करने की कोशिश करें। इस सामाजिक बीमारी को कन्ट्रोल करने के लिए सरकार प्रीवैंटिव मैयर्ज़ के

10.03.2016/1435/जेएस/एएस/2

साथ-साथ क्युरेटिव मैयर्ज़ भी उठाए। जैसे माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हर जिला में ड्रग-डी ऐडिक्शन सेन्टर्ज बनाए हैं, उनको अगर और मज़बूत करने की आवश्यकता है तो उनको करिए। साथ में प्रिंवैंटिव मैयर्ज़ किसी भी तरीके से सभी संस्थाएं मिल करके करें तो अच्छा रहेगा, मैं ऐसा समझता हूं। साथ में एक ऐसा कानून बनें, वैसे कानून तो

बनें हैं और बहुत कानून बने हैं लेकिन उनकी इम्पलिमैंटेशन इफैक्टिव होनी चाहिए उसकी आज ज़रूरत है। उसकी इफैक्टिव इम्पलिमैंटेशन के लिए मैं समझता हूं कि समाज के हर वर्ग को साथ ले करके एक कॉम्प्रिहैंसिव पोलिसी सरकार बनाएं ताकि जो हमारा यूथ है उसको बचाया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात इस विषय में रखनी थी और मैं यह समझता हूं कि यह सामयिक विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो नशा है वह बड़ा ही धीमा ज़हर है। इससे हमारा समाज दिन-प्रति-दिन खोखला होता जा रहा है । इसलिए मैंने जो कुछ सुझाव दिए उसमें मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि इन सुझावों को सरकार इम्पलीमैंट करने की कोशिश करें ताकि समाज से यह बीमारी खत्म हो, खत्म तो यह नहीं हो सकती लेकिन कम हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अभी माननीय सदस्य ने जिला किन्नौर के बारे में यहां पर बात रखी है, उसमें आपने कहा कि 15 से 35 साल के युवा सारे नौजवान नशे में है, यह बात बिल्कुल गलत है और यह सूचना पता नहीं आपको किसने दे दी। दूसरी बात यह है कि जनजातीय सभ्यता में मदिरा पान बन्द नहीं है मगर वहां पर बड़ी शालीनता से, अनुशासन में और बड़े लोगों के साथ बैठकर इसका सेवन किया जाता है और आपकी तरह नहीं जैसे आपके यहां पर चोरी-छिपे पीते हैं। इसीलिए वहां पर इसका ज्यादा प्रकोप है।

अब श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

10.03.2016/1440/SS-AS/1

श्री कुलदीप कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने जो गैर-सरकारी संकल्प पेश किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नल साहब ने कई बातों से इसको शुरू किया कि हमारी संस्कृति में कुछ खोट आ गया और कुछ शिक्षा प्रणाली में हमारे इतिहास से लेकर आगे चले लेकिन बीच में चलते-चलते जे0एन0यू0 में घुस गये। जे0एन0यू0 का भूत पता नहीं काहे को सताता रहता है। हम बात कर रहे हैं नशे की। --(व्यवधान)--

Deputy Speaker: Please be quiet. Hon'ble Members, please don't disturb. इनको बोलने दीजिए।

श्री कुलदीप कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, जो नशे का इश्यु रेज़ किया गया, यह बड़ा गम्भीर इश्यु है। हिमाचल प्रदेश बड़ा शांतप्रिय प्रदेश है। देवी-देवताओं का प्रदेश है। लेकिन आजकल जिस तरीके से हमारा जमाना हाईटैक हो रहा है, कल्चर बदल रहा है, शिक्षा प्रणाली बदल रही है या जो हमारी घरों की और गांव की डेली एक्टिविटीज़ थीं, वे बदल रही हैं। जिस-जिस तरीके से सहूलियतें बढ़ती जा रही हैं, इन सहूलियतों से और हाईटैक जमाने की वजह से आज हमारी जनरेशन गलत आदतों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। आज हमें जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है उसको इन गलत आदतों से बचाने की जरूरत है। यह यूथ फोर्स और नौजवान फोर्स हमारे प्रदेश/देश की ताकत है। अगर यह जनरेशन गलत आदतों में पड़ गई तो हमारे देश/प्रदेश का बहुत नुकसान होगा। अब आपने देखा या सुना होगा कि हमारे बॉडरिंग प्रदेश पंजाब में अगली जनरेशन नशे की तरफ चली गई है और एक गम्भीर समस्या पंजाब में पैदा हो गई है। यह नशे की वजह से हुआ, नहीं तो वहां पर खेती पर आधारित किसान लोग रहते थे। वहां पर खुद खेतीबाड़ी करते थे। उनकी बड़ी-बड़ी जमीनें हुआ करती थीं। लेकिन जब से यह मशीनरी युग आया उसके बाद उनके नौजवान नशे की तरफ बह गये। जो हमारे बॉडरिंग इलाके हैं वे पंजाब के साथ सटे हुए हैं। उनमें भी हमें बड़ी गम्भीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में कई वहां पर हादसे हुए। दो-तीन मौतें नशे की वजह से हुईं और वहां पर कई जगह इन केसिज़ को पकड़ा गया। जब सरकार ने सख्ती से इसके बारे में कोशिश की तो काफी हद तक वहां पर कंट्रोल हुआ है और जो कई केसिज़ हुए थे वे भी आज एक-डेढ़ साल से काफी कंट्रोल

10.03.2016/1440/SS- AS/2

हुए हैं। लेकिन इसकी जड़ों तक जाने की जरूरत है। आज कॉलेजों के इर्द-गिर्द आप देखें, हम नशे के बारे में सुना करते थे, जैसे कर्नल साहब ने शराब की बात की है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो दूसरे नशे हैं जैसे कोई कोरैक्स पी रहा है, कोई एक चिट्टे का नाम नशा चला हुआ है, कई किस्म के नशे चले हैं। हमने कभी ये हिमाचल प्रदेश में नहीं सुने थे लेकिन वे आज सुनने को मिल रहे हैं। कॉलेज के इर्द-गिर्द ये चीज़ें आपको

देखने को मिल जायेंगी। इस करके जो हमारी नौजवान जनरेशन है उनकी ओर आकर्षित हो रही है। आज हालात ये हैं कि पहले जो नौजवान शराब पी कर जाते थे तो

जारी श्रीमती ए0वी0

10.3.2016/1445/AV//1

जारी श्री कुलदीप कुमार----------

उनके मुहं से स्मैल आती थी, घरवालों को पता लग जाता था कि यह शराब पीकर आया है। मगर उसका भी इन्होंने इलाज ढूढ लिया, अब ये दूसरा नशा करते हैं जिससे स्मैल नहीं आती है, उसको करके घर आते हैं। उसका पता नहीं लगता जबकि वे नशे में होते हैं। इस तरह से उनको एक गंदी आदत पड़ जाती है। अब तो हालात यह हो गये है, हमारे गगरेट में पुलिस वालों ने एक नशे वाला पकड़ लिया जिसकी जेब में नशे की चीज थी। उसको पकड़कर ले गये और अंदर कर दिया। वह नशे का इतना आदी था कि थोड़ी देर बाद ही धड़ाम करके पुलिस स्टेशन में ही गिर गया। पुलिस वाले घबराहट में सोचने लगे कि कहीं यह यहीं पर न मर जाये, फिर कहीं से थोड़ा सा ढूढ कर लाये और उसके मुहं में डाला तब जाकर वह उठा और उसको हाथ जोड़े कि यहां से भाग जा। हमारी सरकार ने इसके लिए काफी काम किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी इसके प्रति काफी गम्भीर है। आज कई माता-पिता तो यहां तक सोचते हैं कि किसी दूसरे नशे की बजाय यदि बच्चा शराब पी ले तो अच्छी बात है क्योंकि शराब का नशा इतना बुरा नहीं है जबकि दूसरी नशे की चीजें बहुत खराब है। यदि उनकी चपेट में बच्चा आ जाए तो उसकी जिन्दगी खराब हो जाती है और वह मौत की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए कॉलेजों के ईर्द-गिर्द जो बेड एनिमल्ज घूमते रहते हैं उनको रोकने की जरुरत है। वहां पर कुछ पुलिस के जवान सिविल ड्रैस में घूमते रहें ताकि उन बेड ऐनिमल्स पर कंट्रोल किया जा सके और वे समाज में इस तरह की चीजें न फैला सकें। इसी तरीके से हर पंचायत में नौजवानों को बीजी रखने के लिए जिम खोले जाएं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनका जो फ्री टाइम है वह उसमें बीजी रहे। हमारे गांव में कई लोग चाहते हैं कि वहां जिम या स्पोर्ट्स ऐक्टिविटी होनी चाहिए ताकि

बच्चों को उसमें बीजी रखा जा सके। अभी सरकार नशे के खिलाफ काफी पब्लिसिटी कर रही है लेकिन इसको और बढ़ाने की जररुत है ताकि इनके बुरे प्रभाव से लोगों को जागरुक किया जा सके। मैं यही कहना चाहता हूं क्योंकि यह एक बहुत बुरी बीमारी है और हमें आने वाली जनरेशन को इससे बचाना है। धन्यवाद।

10.3.2016/1445/AV/2

श्री बलदेव सिंह **तोमर** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने यहां पर जो प्रस्ताव लाया है कि 'प्रदेश के युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग की बढ़ती प्रवृति व उसके कारण आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई नीति बने।'

माननीय सदस्य ने आज इस सदन में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। हम अपने प्रदेश की बात करें, अन्य प्रदेशों में क्या स्थिति है सभी लोग जानते हैं। मगर जिस तरह से हमारा शांतिप्रिय प्रदेश है, जिसको देवभूमि कहा जाता है। आज इस प्रदेश में भी हमारे नौजवान साथी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में आज जो चोरी की घटनाएं या डकैती की घटनाएं हो रही है उन सबके पीछे कहीं-न-कहीं नशा है। मैं प्रदेश की बात न कहते हुए क्योंकि कर्नल साहब ने सारी बातें कहदी है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2016/1450/TCV/DC/1

श्री बलदेव सिंह तोमर ----**जारी**

अपने जिला सिरमौर के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारा जिला बॉर्डर एरिया से लगा हुआ जिला है। बॉर्डर में उत्तराखण्ड,उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर हमारे जिले से लगता है। अन्य जिलों से जिस तरह से नशे की सामग्री हमारे जिले में आ रही है, उससे हमारे जिले के नौजवान नशे की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। नशे में सबसे ज्यादा चरस हमारे जिले में पकड़ी जा रही है। लगातार कहीं एक किलो कहीं दो किलो और कही तीन किलो चरस पकड़ी जा रही है। हमारे जिले में भांग की खेती हो रही है। नौजवान उसको

बेच भी रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। उसको कहीं न कहीं रोकने की आवश्यकता है।

दूसरा, जो शराब का नशा है, जैसे यहां पर कहा गया कि हमारे जिले में विशेषकर हरियाणा से बहुत ज्यादा शराब ट्रकों में भरकर पता नहीं कैसे आती है। अब तो ऐसा सिस्टम बन गया है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में जो सरकारी शराब के ठेके हैं, वह तो केवल 2 या 3 ठेके हैं। लेकिन अब जो अवैध शराब आ रही है उसको गांव-गांव में पहुंचाने का काम वे ठेकेदार/शराब माफिया कर रहे हैं। गांव में परचून की जो छोटी-छोटी दुकानें है, उन दुकानों में शराब रखी जाती है और गांव के जो नौजवान है, वह शाम को वहां इक्ट्ठे होकर पैग के हिसाब से 10 रूपये या 20 रूपये जितनी भी उनके पास पॉकिट मनी होती है, उस हिसाब से वे लोग नशा कर रहे हैं। पुलिस को इसे कहीं न कहीं रोकने की आवश्यकता है। एक दूसरा नशा, जहां पर ट्रक युनियन्ज है, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र, सतौन में चुने के पत्थर की बहुत मण्डियां है। वहां पर बहुत दूर-दूर से ट्रक आते हैं और उन ट्रकों के माध्यम से वहां पर 'भूक्की' का नशा होता है। वह वहां पर कई क्विंटलों के हिसाब से आ रही है। भांग का एक दूसरा रूप होता है, जिसे ड्राईवर खाते है, वह नशा वहां पर आ रहा है। उसको भी नौजवान उपयोग कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे क्षेत्र सतौन के अन्दर कम से कम 3-4 नौजवानों की नशे के कारण मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो दवाई बाजारों में उपलब्ध हो रही है जैसे कॉरेक्स है, कैप्सूल हैं और इंजैक्शन्ज है, वे सभी प्रकार की दवाईयां बाजार में उपलब्ध है। उनको रोकने का भी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो कॉलेज़ और स्कूलों के

10/03/2016/1450/TCV/DC/2

आस-पास छोटी-छोटी दुकानें है, उन सभी दुकानों में नशे का कारोबार होता है। जो हमारी नाई की दुकानें हैं, उन पर भी नशे का कारोबार होता है। जो सिगरेट होती है उसके अन्दर चरस डालकर 40-50 रूपये की जो सिगरेट है, वह वहां पर मिलती है। ये सब चीजें रोकने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में और हमारे जिले में भी जो महिला मण्डल बने हैं, उन्होंने कई जगह नशे को बन्द करने का प्रयास

किया है। महिलाओं ने उसके लिए आंदोलन चलाए हैं। उसके माध्यम से कुछ न कुछ सफलता उनको मिली है। हमें महिला मण्डलों को भी उत्साहित करना चाहिए। ताकि वह गांव में जो नशा बढ़ रहा है और हमारे नौजवान नशे की ओर जा रहे हैं, उनको रोकने में सफलता मिलें। विशेषकर हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है, मेरे क्षेत्र में एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी तक कोई एक्साइज का बैरियर नहीं है और न ही वहां पुलिस होती है। वह बैरियर उत्तराखण्ड के साथ जौंगपुल है। वहां से कोई भी सामान/ नशे का सामान बे-रोकटोक जा रहा है। उसके रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर भी सरकार को चाहिए कि कोई पुलिस या एक्साइज बैरियर वहां पर लगाएं। ताकि इस तरह की सामग्री हमारे जिले, शहर,क्षेत्र या प्रदेश में न आएं। आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। कर्नल साहिब ने जो यहां पर प्रस्ताव रखा है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं और सरकार कोई ठोस नीति उसके बारे में बनाएं। धन्यवाद।

अगला वक्ता श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ।

10.03.2016/1455/RKS/DC/1

उपाध्यक्षः श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव)।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री इन्द्र सिंह जी ने आज यहां पर नियम-101 के तहत नशीले पदार्थों के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति व उससे आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए नीति बनाने की बात कही है। प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में काफी कड़े कानूनों का प्रावधान किया है। समय-समय पर पुलिस के माध्यम से केस भी दर्ज किए जाते हैं और सजा भी दी जाती है। फिर भी नशा पूर्णतः खत्म नहीं हो रहा है। दिन प्रति दिन इसका चलन-प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यह अपने आप में एक गंभीर समस्या है। बात यह है कि नशे को कैसे खत्म किया जाए? कानून के भी अपने नियम है, उनके अनुसार कार्रवाई होती है और सजा भी मिलती है। इसके बावजूद भी आज लोगों के अंदर कानून का भय नहीं रह गया है। सबसे पहले जो हमारे सांस्कृति कार्यक्रम है उनके अंदर जो नशे का प्रचलन है उसके ऊपर भी रोक लगाई जाने की आवश्यकता है। अभी शिवरात्री की बात है, बच्चों ने घोटा पिया। एक बच्चे की मौत हो गई और 10-12 बच्चे अस्पताल

में दाखिल हुए। महाशिवरात्री है, शिवजी भगवान का प्रसाद है, इसको पीते रहो और मरते रहो। इस प्रकार के जो हमारे कार्यक्रम है, अभी होली आने वाली है, उस दिन भी हमारे नौजवान साथी कोई घोटा बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं फिर उसके बाद वे ढोल-नगाड़े बजाकर उत्सव मनाते हैं। मैं समझता हूं कि इनकी रोकथाम होना बहुत जरूरी है। हमारे घर के अंदर का वातावरण ऐसा है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सिगरेट, शराब मत पीओ, लेकिन खुद पीते हैं और पीने के बाद घर में पत्नी से झगड़ा करते हैं। बच्चों के

10.03.2016/1455/RKS/DC/2

ऊपर धौंस जमाते हैं। अगर बच्चा शराब पी कर आ जाए तो उसकी पिटाई करते हैं। जब तक माता-पिता स्वयं अपने ऊपर नकेल नहीं डालेंगे तो मैं समझता हूं कि बच्चों का कोई दोष नहीं है। शादियों में शराब पीना शर्म मानते थे। आजकल गांव में भी शराबियों के लिए अलग सा टैंट लगा होता है। वहां पर विभिन्न प्रकार की शराब परोसी जाती है। उसके बाद डी.जे. के ऊपर डांस होता है फिर झगड़ा होता है और विवाह वहीं खत्म हो जाता है। विवाह की तो अलग बात है, आजकल जागरण में भी लोग शराब पीते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां पर भी शराब पीते हैं। हम सारे माननीय सदस्य यहां पर चर्चा करते हैं और अपने आपको माननीय कहते हैं। लेकिन जब हम अपने घरों में कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम वहां पर भी शराब का प्रचलन करते हैं। अगर हम अपने घरों से यह शुरूआत करें कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो हम शराब न पीएं, बीड़ी न पीएं, सिगरेट न पीएं नशे का कोई भी काम हम न करें। क्यो कोई ऐसा कर पाएगा?

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

10.03.2016/1500/sls-dc-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव) ...जारी

सबसे पहले तो यह देखते हैं कि सस्ती शराब कहां मिलेगी और 10 पेटियां सस्ती कौन देगा, उससे मंगवा लो। इसलिए कहीं-न-कहीं हमें अपने आप से शुरुआत करने की ज़रूरत है। चाहे हमारे पंचायत प्रधान हैं, जिला परिषद् सदस्य हैं, यह विधायक हैं, जब

तक हम स्वयं को इसके लिए आगे नहीं करेंगे, तब तक हम जनता से अपेक्षा नहीं कर सकते चाहे जितनी मरज़ी कानून बना लें। जब तक हम स्वयं कानून को तोड़ते रहेंगे तो यह चलता रहेगा। अभी उपाध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे कि ट्राईबल में ऐसा है। महोदय मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं लेकिन एक सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों को धीरे-धीरे बंद करने की आवश्यकता है। आज हम पढ़-लिखकर 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं। हम 21वीं सदी में तभी पहुंच पाएंगे अगर हम स्वयं कुछ करके दिखाएंगे। मेरा यही कहना है। हालांकि वर्ष 2006 में आदरणीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ने ढाबों, होटलों और स्कूल संस्थानों के आसपास सिगरेट और तंबाखू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन लोग इस प्रतिबंध को तोड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। कानून को न मानना हम हिंदुस्तानियों में एक बड़ा चलन है। जब तक हम स्वयं को नहीं सुधारेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसमें कानून भी कुछ कर पाएगा और सरकार भी कुछ कर पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जयहिंद।

10.03.2016/1500/sls-dc-2

उपाध्यक्ष : इस संकल्प के लिए केवल 45 मिनट का समय निर्धारित है और इस पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि केवल 2-3 मिनट में अपने सुझाव दें ताकि दूसरे अन्य दो संकल्पों को भी चर्चा हेतु लिया जा सके।

अब डॉ० राजीव सैजल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ० राजीव सैजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग के बढ़ने की प्रवृत्ति को लेकर हमारे मित्र कर्नल इन्द्र सिंह जी जो संकल्प लेकर आए हैं, मैं उस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं कर्नल साहब से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने ऐतिहासिक कालक्रम को लेकर कि किस प्रकार नशे की प्रवृत्ति हमारे समाज में फैली, उसके कारणों के ऊपर चर्चा की। यह बात

सही है कि प्राचीन काल से नशे की प्रवृत्ति हमारे देश में है। मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि बहुत-सा जो ऐसा साहित्य है और उसमें भी जो फिक्शन है, ऐसे साहित्य और फिक्शन का प्रचार-प्रसार हुआ जिसने नशे को ग्लोरिफाई किया; महिमा मंडित किया। ऐसा साहित्य भी नशे की प्रवृत्ति को फैलाने के लिए दोषी है।

चलचित्र या सिनेमा क्षेत्र में भी कई ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जिनमें नशे को एक अच्छी प्रवृत्ति के रूप में दिखाया गया है। निश्चित तौर पर उसका दर्शकों के ऊपर प्रभाव होता है। विशेषकर जो रॉ माईंड्ज हैं; जिनको भले-बुरे में अंतर करना मुश्किल होता है, जो हमारे युवा साथी हैं उनके ऊपर ऐसे चलचित्र का प्रभाव होना लाज़िमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, संगीत इस देश का इतिहास रहा है। हमारे देश में ऐसे संगीत की रचना हुई कि एक समय संगीत सिर्फ़-और-सिर्फ़ भगवान् को प्रसन्न करने के लिए होता था। भगवान् की अराधना के लिए ही इस देश में संगीत का सृजन हुआ था। इसमें विशेषकर हमारे देश के ब्राह्मण वर्ग से संबंधित संगीताचार्य, जो महान पंडित

10.03.2016/1500/sls-dc-3

होते थे; संगीत के ज्ञाता होते थे वह केवल-व-केवल भगवान् की अर्चना करना संगीत का लक्ष्य मानते थे।

मैं कर्नल साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि मुगल काल में बिलासिता का दौर बढ़ा। उससे पहले हमारी जितनी भी कलाएं थीं, चाहे वह नृत्य कलाएं थीं, उस समय नृत्य भी भगवान्के लिए होता था। देव दासियां और नर्तकियां किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने या किसी की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं नाचती थीं। उनमें जो अभिव्यक्ति होती थी वह देवताओं और भगवान् को खुश करने के लिए होती थी। नृत्य भी भगवान् के लिए होता था। विशेषकर जो विकृति आई, वह मुगल काल में आई जब बिलासिता का दौर बढ़ा। हमारे जो परंपरागत मूल्य थे, उनका खंडन हुआ। ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया जिनसे समाज में बिलासिता फैली। हमें ऐसे बादशाहों का ज़िक्र मिलता है जो चौबिसों घंटा नशे में रहते थे। इस देश में एक ऐसा बादशाह हुआ जिसका मैं नाम नहीं लूंगा; वह अफीम के नशे के लिए जाना जाता था।

जारी ..गर्ग जी

10/03/2016/1505/RG/AG/1

डॉ. राजीव सैजल-----क्रमागत

यहां तक उसके जो पैट्स थे वे भी नशे में चूर रहते थे। जैसा राजा होगा, वैसी प्रजा होगी। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति फैली। आज सच्चाई यह है और यह एक बहुत चुनौती का विषय है कि हमारे प्रदेश में हमारा युवा वर्ग नशे में डूबता जा रहा है और जब युवा पीढ़ी ही गुमराह हो जाएगी, नशे में डूब जाएगी, तो इस प्रदेश का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? इसका हम भलीभांति अनुमान लगा सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि कुछेक नशे जो युवाओं में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं उनमें भांग का नशा है। मेरे जिले में तो अनेकों निजी महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं। मैं देखता हूं कि वहां अधिकांश छात्र भांग का नशा करते हैं और उन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के आस-पास रहने वाले लोग भी पूर्णकालिक तौर पर इसी व्यवसाय को कर रहे हैं। भांग खुले में उगती है और उसको उगाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता। यह पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पाई जाती है। भांग बरसात में खूब होती है। मैं देखता हूं कि मेरे यहां सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही काम होता है। वे भांग मलते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और छोटे बच्चों को भी उस व्यवसाय में लगा रखा है। जो हमारे कॉलेज के छात्र हैं जिनसे हमारे देश का भविष्य है, जिनको आगे चलकर इंजीनियर बनना है, ग्रेजुएट होना है या आगे चलकर जिन लोगों ने देश का नेतृत्व करना है, उनको वे यह नशा मुहैया करवाते हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस के पास इसकी सारी सूचना रहती है, उनके सूत्र हैं। उनको मालूम होगा कि ये कौन लोग हैं? यह एक बड़ा नेट वर्क है। एक संगठित अपराध की तरह यह पूरा कारोबार इस प्रदेश में चला हुआ है। मेरा सरकार से निवदन रहेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस समस्या से निपटा जाए। आप पुलिस विभाग को आदेश दें कि इस मुहिम में ऐसे अधिकारियों को लगाया जाए जो स्वयं भी ईमानदार हों और जिनमें खुद में भी चाहत हो कि नहीं, हम इस प्रदेश को नशे से मुक्त करेंगे। ऐसे अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। पहले तो करने वाले को संकल्प चाहिए। अगर करने वाले में ही संकल्प नहीं होगा, तो कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को निर्ममता से कुचलना चाहिए क्योंकि ये लोग

हमारी युवा पीढ़ी को कुचल रहे हैं, हमारे देश और प्रदेश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। भांग के नशे के ऊपर मैंने चर्चा की।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यहां श्री लखनपाल जी ने कहा कि हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वहां से अवैध शराब हमारे प्रदेश में आ रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी कालका

10/03/2016/1505/RG/AG/2

के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां से बड़ी तादाद में अवैध शराब हमारे चुनाव क्षेत्र में पहुंच रही है। पहले यह परवाणु आती है और परवाणु से हमारे क्षेत्र में पहुंचती है। इसके लिए पूरा नैट वर्क है, लोग इसमें लगे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मैंने अनुभव किया है कि जिसकी भी सरकार आती है उस सरकार के लोगों के नजदीक होने का प्रयास करते हैं और नजदीक हो भी जाते हैं और वे अपना बचाव करने में सफल हो जाते हैं। मेरा इसके लिए निवेदन रहेगा और ऐसे लोग आईडेंटीफाईड हैं। कम-से-कम जो हमारा पुलिस विभाग है उनको मालूम है कि कौन-कौन से लोग इस धंधे में लगे हुए हैं, पूरी सूचना उनके पास है। बड़ी सख्ती से इसको कुचलने की आवश्यकता है क्योंकि अनेकों दुर्घटनाएं हमारे प्रदेश में शराब के पीने से हुई हैं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, कुछ कफ सीरप्स हैं, कुछ मैडीसिन्ज हैं जोकि नशे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जेसे कोरेक्स का इस्तेमाल इसमें बहुत होता था जिसके ऊपर अभी बैन हो गया है। लेकिन उसके अब कई सब्सटीटियुट्स आ गए हैं। क्योंकि ज्यादातर कफ सीरप्स में क्लोरोफिनरामिन मैलिएट होता है जोकि थोड़ा नींद लाता है और इन कफ सीरप्स का प्रयोग, पेन क्लर्ज का प्रयोग, ईथर का प्रयोग, इस प्रकार के गैर-परम्परागत नशे युवाओं में बहुत प्रचलित हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से और आपसे भी अनुरोध रहेगा, वैसे यह सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, सरकार का दायित्व तो है ही, परन्तु यह पूरे समाज का दायित्व है और यह समाज शास्त्र का भी विषय है। इसके कारणों में जैसे

चर्चा की गई कि पेरेन्टिंग ठीक से होनी चाहिए। परिवार बिखर रहे हैं जहां पर माता-पिता की आपस में बनती नहीं है ऐसे उन परिवारों के बच्चे नशे का शिकार जल्दी होते हैं। वे सहारा ढूंढते हैं और सहारे के चक्कर में ऐसे गलत हाथों में वे पड़ जाते हैं जो उनको नशे की प्रवृत्ति की ओर धकेल देते हैं। Peer pressure इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यानि अपने दोस्तों के दवाब में आकर नशे की प्रवृत्ति की ओर जाना और

एम.एस. द्वारा जारी

10/03/2016/1510/MS/AG/1

डॉ0 राजीव सैजल जारी----------

तीसरा कारण आउट ऑफ क्योरोसिटी है कि इसको पी कर देख लेते हैं इससे क्या होता है। इस तरह धीरे-धीरे वह अभ्यास में आ जाता है और फिर एडिक्शन की तरफ चला जाता है। एडिक्शन का मतलब है कि जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं यानी शरीर उसकी मांग करने लग जाता है। जब वह एडिक्शन होती है तब समस्या खड़ी हो जाती है। फिर उससे अनेकों अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ती है क्योंकि नशे से और खासकर यह जो भांग और शराब का नशा है इससे आदमी में गलत और ठीक करने की क्षमता की कमी हो जाती है। वह सही और गलत में भेद ही नहीं कर पाता है और जब वह भेद खत्म हो जाता है तो निश्चित तौर पर अपराध ज्यादातर नशे में ही होते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हम सब और सरकार इसके लिए पूरी सख्ती के साथ प्रयास करे और जो लोग इस नशे के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं, उनको कुचले। मैंने देखा है कि इसमें 14 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के ज्यादा फसने की संभावना होती है। इसलिए ऐसी वर्कशॉप्स स्कूल/कॉलेज के अंदर होनी चाहिए जिनमें एक्सपट्र्स जाएं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग जाएं व एन0जी0ओज0 के लोग जाएं बल्कि चिकित्सा क्षेत्र से भी उसमें लोग हो सकते हैं। यह किस प्रकार से अपराध है और किस प्रकार से अपराध की सीमा में आता है, उस बारे में बताने के लिए पुलिस विभाग के लोग भी वहां होने चाहिए ताकि युवाओं को इस बुराई के प्रति जागरुक किया जा सके। यदि हम सब ऐसा प्रयास करेंगे तो सही रहेगा। जितना अधिक हम इसमें कर पाएंगे, मुझे

लगता है कि यह देवभूमि और इस देश पर ऋण होगा। हम अपनी युवा पीढ़ी को इससे बचा पाएं और अपने इस देश का भविष्य उज्ज्वल बना पाएं, इसके लिए प्रयत्न होने चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

10/03/2016/1510/MS/AG/2

अध्यक्षः अब चर्चा में मुख्य संसदीय सचिव श्री नन्द लाल जी भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय सचिव)ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने नियम 101 के तहत जो संकल्प प्रदेश के युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति व उससे आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोत्तरी को रोकने बारे लाया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। आज हिमाचल के अंदर भी एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है और इन लोगों को इस नशे से बचाने के लिए हम सबको सोचने की जरूरत है। अभी यहां काफी सुझाव आए भी हैं। इसमें पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि यह नशा कहां से आता है और यह होता कैसे है? जो एल्कोहल और टोबेको है ये नशा तो मार्किट में उपलब्ध है और हरेक 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, he can directly get it from the shop. ये जो इलीसिट ड्रग्स है ये बाहर से आती है। यहां पर भी इसके रैकेट्स काम करते हैं और इसको बाहर के राज्यों से यहां पहुंचाकर यहां के बच्चों तक पहुंचाया जाता है। फिर यहां पर एक्सैस उनकी बन जाती है। जैसे कोकीन, ओपियम या केनेबिस है ये कुछेक चीजें हमारे हिमाचल प्रदेश में भी खासकर पहाड़ के जो दूर-दराज के एरियाज हैं उनमें यह गाई जाती है बाकी ड्रग्स बाहर से आती है। अब सवाल यह है कि हमको इससे कैसे बचना है और अपने बच्चों को इससे किस तरह से बचाना है? यह एक बहुत गम्भीर समस्या है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की है लेकिन मेरा यह मानना है कि Government has very limited role here. यह सोसाइटी का जो एक बहुत बड़ा भाग है उसका काम है, एन0जी0ओज0 का काम है और हम सबका काम है। इसमें हमें यह देखना होता है कि अवेयरनैस किस तरह क्रिएट की जाए। सरकार ने बाहर से आने वाली ड्रग्स पर चैक

रखा हुआ है। उसका चैक पोस्ट्स में प्रॉपर्ली चैक है मगर फिर भी यहां पहुंच जाता है। उसके बाद सूचना मिलने पर जहां-जहां केनेबिस वगैरह उगाई जाती है वहां पुलिस के लोग जाते हैं और उसको उखाड़ते और काटते हैं लेकिन फिर भी it is there. मेरा सरकार से यह कहना है कि जो प्रयास वे कर रहे हैं वे काफी हैं लेकिन सोसाइटी

10/03/2016/1510/MS/AG/3

को देखना होगा कि इसको हम किस तरह से दूर कर पाएं। जो डि-एडिक्शन सेंटर्ज खुले हैं यह भी अच्छी बात है। जो नशा करते हैं उनकी इस आदत को छुड़वाने के लिए उनको इसमें डाला जा सकता है।

सरकार की तरफ से इन्डोर स्टेडियम बनाने की बात की है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

10.03.2016/1515/जेएस/एएस/1

श्री नंद लाल (मुख्य संसदीय सचिव):------**जारी**------

यह बहुत अच्छा है। इन्डोर स्टेडियम होने से जो यूथ है उसकी जो एनर्जी है वह चैनेलाईज हो जाएगी अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ताकि वह नशे की गिरफ्त से बाहर रहें। यह जो स्पेशल कमेटी बनाई है to create awareness. स्कूल में, कॉलेजिज में या दूसरी जगह, उससे भी अवेयरनैस की वजह से इसमें एक चैक मिलेगा। यहां पर एक बहुत अच्छा सुझाव आया, डॉ0 सैजल जी ने सुझाव दिया कि वर्कशॉप क्रिएट की जाए। वर्कशॉप भी अवैयरनैस के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। स्कूल्ज में आजकल वर्कशॉप्स करवाई जा रही है, कॉलेजिज़ में वर्कशॉप्स चलाई जा रही है। इससे काफी बड़ा फायदा होगा और अवैयरनैस में इज़ाफा होगा। हमारी सरकार ने इससे पहले स्मोकिंग को पूरे शिमला के अन्दर प्रोहिबिटिड किया हुआ है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है इससे भी एक चैक मिलेगा। यह देखना जरूरी है कि क्यों ये बच्चे ड्रग्ज को सप्लाई करने में जुट जाते हैं । इसके लिए बेरोज़गारी भी एक बडा कारण है यह बहुतही हल्का और सस्ता धंधा है। इसमें इनको बहुत प्रोफिट मिलता है। थोड़ी सी चीज़ ये इधर से उधर ले जाते हैं तो उसमें काफी पैसा मिलता है । We have to take care of unemployed youth.

उनको पता है कि छोटा सा काम करने से उनको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। रही बात पुलिस की, पुलिस का जो, अब आप देखिये कि आजकल हर रोज न्यूज में आ रहा है कि फलां जगह चरस पकड़ा गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस का काम ठीक है और अपने हिसाब से वह अलर्ट है और उससे इसको एक चैक मिलेगा। मुझे बताया गया कि पिछले साल करीब-करीब 622 केसिज केसिज पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। मेरा तो यह कहना रहेगा कि जो 731 लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए जो इसको बेचते हैं या सप्लाई करते हैं। मेरा तो इसमें यह कहना रहेगा कि इसमें कुछ फोरनर्ज़ भी जिम्मेदार हैं। मैं तो चाहूंगा कि पुलिस वालों को भी कुछ इन्सैंटिव होना चाहिए। उनको भी, when they do something, they should be rewarded. अगर उसको रिवॉर्ड मिलेगा उससे उसका मोराल ऊपर रहेगा और वह भी अपनी पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा

10.03.2016/1515/जेएस/एएस/2

इन चीज़ों को पकड़ने की करेंगें। जैसे कि यहां पर बाकी माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम सबको अपना एक आदर्श इम्प्रूव करना पड़ेगा। सोसाईटी में सबको अवैयरनैस देनी होगी। खाली सरकार के ही सहारे नहीं रहा जा सकता । सरकार के जो काम हैं वे चल रहे हैं। सरकार की जो कोशिश है वह तो चल रही है, वह अपना काम करेंगे। But at the same time, at large, it's our duty कि हम अवैयरनैस लाएं बच्चों को समझाएं जहां भी मौका मिले उनको ये चीजें बताई जाएं ताकि उनको नशे से दूर रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना था। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Speaker: Now, there are still two members to speak and we have consumed about one hour. Another two resolutions are remaining. We can't be finished by 5 o'clock. So, I think the members strict to their time or if they cut short the number of speakers that will be fine. एक घंटा हो गया है। दो रेजोल्युशन हैं उनके लिए टाईम नहीं रहेगा। अब श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

10.03.2016/1515/जेएस/एएस/3

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय कर्नल इंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा संकल्प इस माननीय सदन में लाया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र इतना ही कहना चाहूंगा कि नशा कौन करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खेती होती है, यह सब चर्चा में आ चुका है। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी ने बिल्कुल सही और सटीक कहा। आप लोग और हम जिस चीज़ को, जैसे जानवरों को हम बाड़ से रोकते हैं तो जानवर उस बाड़ की तरफ जरूर जाता है । यह साइकॉलोजिल डिसऑर्डर है हम सभी का कि हमें जिस तरफ रोकने की कोशिश करेंगें, उस तरफ हम जरूर जाएंगें। कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि ट्राईब्ज़ में बड़ा खुलापन है तो मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं क्योंकि हमारे वहां भी इसी तरह का खुलापन है और इस बात को भी बड़े होश और इत्मीनान के साथ बोल रहा हूं कि यह कहना कि हर युवा वहां शराब में इन्वॉल्व होता है लेकिन वह विलिंग पर होता है

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

10.03.2016/1520/SS-AS/1

श्री हंस राज क्रमागतः

जो लेना चाहे वह ले। परन्तु इसमें एक चीज़ और भी है, हमारी मैक्सिमम ज्वाइंट फैमलीज़ हैं। जो लोग खामियाजा भुगत रहे हैं जिनके बच्चे ज्यादातर बिगड़ रहे हैं, समाजशास्त्री होने के नाते मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि समाज में अगर नशा बढ़ा है या ड्रग्ज़ एडिक्शन बढ़ी है तो उसका मूल कारण मात्र न्यूक्लियर फैमली का कंसैप्ट है। माता-पिता दोनों कर्मचारी हैं या दोनों अन्य कामों में इंवोल्व हैं और अपने बच्चे या पोते को चैक करने वाला कोई नहीं। अब उसमें चैक की भी बात नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा मैं उस बात पर अब भी कायम हूं। अब हमने भी 20-22 साल तक कभी नशा नहीं किया। उसके बाद हमने भी कोशिश की। मैं यह सीधे-सीधे बोल रहा हूं। परन्तु उसका मतलब यह नहीं है कि हम उसके एडिक्ट हो गये हैं या हम उसकी एडिक्शन में चले गये हैं। मैं

यहां पर सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जितने भी कानून बना लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कब से कानून बन रहे हैं? लोग रोज़ जेलों में जाते हैं। जेलें भरी हुई हैं। हम रोज़ नाके लगाते हैं, रोज़ लोग पकड़े जाते हैं। उसमें से कुछ निकल भी जाते हैं। इस समस्या का और कोई समाधान ही नहीं है। मैं यहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इसका केवलमात्र एक ही समाधान है और वह है सोशल अवेयरनैस। सोशल अवेयरनैस भी इस तरह से करनी पड़ेगी कि जो परिवार अच्छे चले हैं उनका एग्जैम्पल देकर आपको समाज में एक मिशनरी के रूप में काम करने की ज़रूरत है। मिशनरी फॉर्म्ज़ में लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो सचमुच में इसमें इंट्रस्ट लें कि नशा बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब हम चुराह की ही बात कहें। हर महीने या दो महीने में कोई-न-कोई चरस में पकड़ा ही जाता है। अब चरस की खेती होगी तो नेचुरली पकड़े जायेंगे। अब हमें वहां पर ऑल्टरनेट मोड चाहिए क्योंकि बेरोजगारी है। जो भी सरकारें सत्ता में रही हैं उन्होंने वहां पर इम्प्लॉयमैंट के साधन जनरेट नहीं किये। मैंने सीमेंट प्लांट का ज़िक्र किया था, अगर इस तरह के कारखाने स्थापित हो जायेंगे तो नशे से मुक्ति पाई जा सकती है। "खाली बैठे शैतानी सूझे" एक मुहावरा है। अब अगर व्यक्ति खुद कामों में एंगेज रहेगा तो वह क्यों इस तरह के कृत्यों में पड़ेगा? ऐसा है, जब हम कॉलेजों में जाते हैं या महफिलों में जो लोग रहते हैं वे तो यह भी बोलते हैं कि अलताब राजा ने ठीक कहा है कि

10.03.2016/1520/SS-AS/2

"पीता हूं इस गरज़ से कि जीना है चार दिन,
पीता हूं इस गरज़ से कि जीना है चार दिन,
मरने के इंतजार ने पीना सीखा दिया। "

इसलिए जिन्होंने पीना है वे तो इस तरह के आग्युमैंटस भी करते हैं। परन्तु हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम पियें कि नहीं पियें। तो यह साइकोलोजिकल डिसऑर्डर है। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने ड्रग्ज़ डि-एडिक्शन सैंटर्ज़ खोलने की बात कही है हम उसका स्वागत करते हैं और इस तरह के अवेयरनैस कैम्पस मुझे लगता हैकि छठी क्लास के बच्चे से लेकर टॉप कॉलेज तक करने पड़ेंगे। अवेयरनैस के माध्यम से ही इस चीज़ को रोका जा सकता है। हम रोकेंगे तो और बढ़ेगा। Action, reaction and then makes a relationship. यह इसका कंसैप्ट है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

10.03.2016/1520/SS-AS/3

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस माननीय सदन में माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह जी ने रखा है वह अत्यंत सामयिक है और गम्भीर समस्या जोकि युवाओं और बच्चों में नशीले पदार्थों के बढ़ते हुए उपयोग की प्रवृत्ति पर चिन्तन करने की दृष्टि से इस माननीय सदन में रखी है मैं उस संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, समय का अभाव है बोलने केलिए इसमें बहुत कुछ था क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जोकि इस धरती से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि भांग और अफीम की फसल यहां अनादिकाल से लगती है और यहां तक कि हमारे परिधान में पट्टू में जो गुम्नी लगती है उसमें एक चक्कूर है, द्रंग में भी यह रिवाज था कि उससे अफीम के डोडे को कट लगाते थे ताकि अच्छा पोश्त निकले और अफीम दवाई केलिए बांट देते थे। बेचने की आदत अब पड़ी, उस समय नहीं थी।

जारी श्रीमती ए0वी0

10.3.2016/1525/AV//1

जारी श्री महेश्वर सिंह----------

हंस राज जी ने एक बात सही कही कि जब उसका सदुपयोग खत्म किया तो दुरुपयोग बढ़ गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया कि वहां पर भांग के ठेके हैं तथा अफीम की खेती होती है। वहां उसको सरकार ने मान्यता दी है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हिमाचल में यह मान्यता क्यों नहीं? हिमाचल की हालत यह हो गई है कि आपके जो ऊंचे पहाड़ है चाहे मलाना या चोहार घाटी का क्षेत्र है; उनके आय के साधन क्या है? वे लोग मजबूरी में चरस बेचते हैं और अफीम तैयार करते हैं। उसका अवैध धंधा इतना हो गया है कि आज कसोल जैसी जगह में मून लाइट डिनर होते हैं और खुले में नशा किया जाता है। इसको रोकने की आवश्यकता है और इसको कैसे रोकना है यह सोचने का समय आ गया है। बाकी चीजों के बीज तो इन दुर्गम क्षेत्रों में नहीं आते हैं।

लेकिन इस आधुनिक युग में इटली से हिप्पी लोग भांग का बीज लेकर आए और यहां हाइब्रिड भांग तैयार हो गई। यह इतनी प्रचूर मात्रा में हुई कि उसकी इलिसिट ट्रैफिकिंग बाहर होती है फिर उसी से कनसंट्रेट तैयार करके यहां आता है। उस कनसंट्रेट में अगर एक मैच स्टिक डाले और सिगरेट में लगायें तो आदमी को बेहोश करने लायक पूरा नशा हो जाता है। लोगों ने इस तरह के नये-नये तरीके अपनाये हैं। जो कनसंट्रेट बनता है उसके लिए यहीं से भांग जाती है और फिर कनसंट्रेट बनकर यहां दोबारा आ जाता है। इस तरह के नये-नये तरीके हैं। इसलिए सरकार को यह सोचना होगा कि वहां पर उनको आय का कोई-न-कोई वैकल्पिक साधन दिया जाए, कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया जाए। भारत सरकार ने कहा था कि मलाना के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनेगा। आपके ड्रंग में चोहार घाटी के लिए बनेगा। वहां जड़ी-बूटियां लगाकर लोगों को उसमें व्यस्त करना होगा ताकि वे अपनी आजीविका कमा सके। माननीय सदस्य का यह संकल्प लाने का उद्देश्य की जो इसका बढ़ता हुआ उपयोग है विशेषकर युवाओं में, स्कूल जाने वाले बच्चों में; आखिर इसको कौन करता है? हमारे ही लोग करते हैं, वहां मंडराते रहते हैं और बच्चों को इस तरह के कनसंट्रेट पिलाते और खिलाते हैं। स्मैक और हिरोइन

10.3.2016/1525/AV//2

का उपयोग करने वाले बच्चों को जब यह नशा नहीं मिलता तो वे मैली जुराबों को निचोड़ कर भी नशा करते हैं। क्रोसीन का दुरुपयोग करते हैं। बूट पॉलिश के सैंड विच बनाकर खाते हैं, यह कैसे रुकेगा? अभी कहा कि ये चीजें बाहर से भी आ रही है। इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने की आवश्यकता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही है हर सरकार अपने-अपने समय में इसको रोकने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही है। पुलिस जो कानून देखती थी वह भांग उखाड़ने जा रही है; इससे ज्यादा क्या करें? ऐसे यह खत्म होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए तो समाज को जागना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए एक जन-आन्दोलन तैयार करना होगा। जगह-जगह जाकर चाहे एन0जी0ओज0 हैं या समाज है; हम क्यों नहीं इस प्रकार का आन्दोलन चला सकते? स्कूल में जा-जाकर छापे मारने चाहिए और

जो इस प्रकार का काम करता है और बच्चों को बुरी आदतें सिखाता है उसको कड़ी-से-कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी भी लोग पकड़े जाते हैं। स्कूल के ईर्द-गिर्द जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो उनको क्या सजा होती है? उनको बहुत माइनर सी सजा होती है इसलिए कानून में परिवर्तन लाना चाहिए और उनको सख्त-से-सख्त सजा होनी चाहिए। इसके लिए समाज को जागना होगा तथा हर स्कूल में अगर रैकी करेंगे तो यहां तक पाया जायेगा कि कहीं-कहीं तो स्कूल में जो स्टाफ बैठा है यानि कई अध्यापक भी इस काम को करते हैं। जब तक इस स्तर पर यह नहीं रुकेगा सरकार कुछ नहीं कर पायेगी। जब तक समाज नहीं जागेगा मुझे नहीं लगता कि यह हटेगा। ज्यों-ज्यों सरकार इसको रोकने की कोशिश कर रही है त्यों-त्यों नशे करने के नये-नये उपाय आ रहे हैं। अभी बीच में किसी ने कहा कि भुक्की क्या होती है? यह सारी खोज है, आप जो पोस्त निकाल लेते हैं उसका डोडा जो खाली हो जाता है उसके शैल को घ्राट में जाकर पीसते हैं उसमें थोड़ी मात्रा अफीम की रह जाती है। उसको बेचते हैं जैसे कई कत्था खाते हैं, कोई कुछ दूसरी नशे की चीज खाते हैं, उसी प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर इस भुक्की का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके ये सारे उत्पादन तैयार हो गये हैं। इन चीजों को रोकने के लिए हम सबको चाहे हम चुनाव जीते हुए जनप्रतिनिधि या कोई सामाजिक प्रतिनिधि है; एक जन-आन्दोलन खड़ा करे और तय कर लें कि हमारे गांव में जो भी इस प्रकार के काम करता है उसको कड़ी-से-कड़ी सजा हो।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2016/1530/TCV/DC/1

जारी श्री महेश्वर सिंह----------

जो ये 'मून लाईट डिनर' बगैरह है, इनकी सरकार बाकायदा अनुमति देती है। ये पुलिस विभाग से एन0ओ0सी0 लेते हैं, तब यह मून-लाईट-डिनर होते हैं। These should be stopped. ये जगह हैं जहां चरस, गांजा और अफ़ीम खुले रूप से इस्तेमाल होते हैं। कई बार तो वहां पर कई क्राईम भी होते हैं। इसलिए इनको रोकने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए और माननीय सदन का आभार वयक्त करते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

10/03/2016/1530/TCV/DC/2

अध्यक्षः श्री जय राम ठाकुर जी, Kindly be brief.

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो यह संकल्प मान्य सदन में लाया गया है, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जहां तक इस संकल्प की जो मंशा है, मेरा ऐसा आग्रह है कि प्रदेश में नशाखोरी का जो प्रच्चलन बढ़ता जा रहा है, इस पर नीति बनाई जानी चाहिए। मेरा यह मानना है कि कानून वर्तमान में भी है और जहां सुधार की गुंजाईश हो, वह करना चाहिए। नीति भी मुझे लगता है कि वर्तमान के इस दौर में है। लेकिन उसमें सुधार की दृष्टि से और क्या किया जा सकता है,उस पर बात होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यह सचमुच में चिंता का विषय है। एक जमाने में जो शराब पीता था उसको कहते थे कि वह शराब पीता है, नशा करता है। लेकिन शराब तो आज की तारीख में नशा ही नहीं रह गया है। क्योंकि इसका प्रच्चलन आम हो गया है। हम चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते सभी सदस्यगण यहां पर बैठे हैं। आप मुझे बताईये कि जश्न का कोई भी कार्यक्रम, चाहे वह चुनाव की जीत का है, चाहे आपकी जन्मदिन का है। लेकिन कोई भी पार्टी शराब के बिना संपन्न होती हो, ऐसा बहुत कम है। अभी पंचायत के चुनाव हुए, मैं एक जगह जा रहा था, पंचायत के प्रधान ने धाम रखी थी। मुझे फोन आया कि आप लेट हो रहे हैं, आप जल्दी आईये। मैंने कहा बस आ ही रहा हूं। उन्होंने कहा कि उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यानि देर से जाने का मतलब है कि उसके बाद खान-पीने का कार्यक्रम खुला शुरू हो जाएगा। हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जितने भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। जब चुनाव का दौर आता है, जैसे आदरणीय श्री लखनपाल जी ने कहा कि अखबार में खबर आती है कि फलां हलके में इतनी पेटियां शराब की पकड़ी गई। आखिरकार कहीं तो जवाब देने की गुंजाईश हमको भी रखनी पड़ेगी। हमें व्यवहारिक रूप से इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि समाज की जिम्मेवारी एक और तरह की है। लेकिन समाज के प्रति, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, हमारा दायित्व क्या है? ये भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या हम इस जिम्मेवारी को ठीक से निभा रहे हैं, प्रश्न तो पैदा यह भी होता है? यहां पर चर्चा का विषय शराब के नशे की लत नहीं है। लेकिन क्या उसको प्रमोट करने के लिए हमने भी

तो उसमें योगदान नहीं दिया है? क्या यह सोचने का विषय नहीं बनता है। हमने अभी पंचायत के चुनाव में देखा है कि चुनाव के दिनों में बड़े स्केल में वहां पर खुला कार्यक्रम चलता है और हम उसे रोक नहीं पाते है,

10/03/2016/1530/TCV/DC/3

क्योंकि हमें इस माननीय सदन में पहुंचने के लिए उन्हीं लोगों के बीच जाकर हाथ जोड़ने पड़ते हैं। यह परिस्थितियां है, जिनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये परिस्थितियां छूटते-छूटते ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई है, जहां पर हम इसको रोकने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हमको कहीं से तो शुरूआत करनी ही पड़ेगी। हम नीचे के प्रतिनिधियों पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि अगर कोई पंचायत में चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि है और इन्क्रोचमैंट की कोई मिसल उसके परिवार के नाम होगी तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा------ जारी

10.03.2016/1535/RKS/AG/1

श्री जय राम ठाकुर द्वारा... जारी

क्या आने वाले समय में भी हमको इस तरह के प्रावधान पर सोचना पड़ेगा? अगर सचमुच में हमको इन सारी चीजों को रोकना है, तो हमें शक्ति करनी पड़ेगी। शक्ति के साथ-साथ जो इन चीजों के कारण नुकसान समाज में हो रहा है, जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उन सारी चीजों के कारण जो नुकसान समाज को झेलना पड़ रहा है उसके बारे में हम जब तक जानकारी नहीं देंगे, जानकारी नहीं पहुंचाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा अवेयनेस कैम्पेन करना चाहिए। जो अवेयरनैस कैम्पेन सरकार की तरफ से चल रहे हैं, वहां पर हम भाषण देते हैं। भाषण किस पर देते हैं, जो सरकार की नीतिया हैं, किसी भी स्कीम पर, चाहे वह पंचायती राज संस्थाओं से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे लोगों के बीच में हैं, चाहे किसी एन.जी.ओज के माध्यम से अवेयनैस के लिए देते हैं। इस बात को हमें अभियान के रूप में जोड़ना

चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधायक को , चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि को, पंचायत वार्ड मैम्बर, पंचायत प्रधान, उप प्रधान या जिला परिषद् के मैम्बर को भी यह दायित्व दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने वार्ड में जहां से वे चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आते हैं, अवेयरनैस कैम्प के नाते अवेयरनैस लाने के लिए अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाई। विधायकों ने अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाई। अगर इसको नीति के तहत लिया जाए तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। हम यह उम्मीद करते हैं कि, वे शुरूआत करें, वे ठीक करें। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक करने की शुरूआत हमें यहां से करना पड़ेगी। हमारी भूमिका क्या हो, इस पर नीति बननी चाहिए? इस पर हमें बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो नई पंचायतें बनी हैं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू होगा, जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो क्या हम इस कार्यक्रम को इसमें जोड़ सकते हैं? अगर नशे के खिलाफ पंचायत के जो अधिकार हैं, उसके बारे में उन्हें जागरूक करना है, उसके बारे में जानकारी देनी है, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है तो क्या हम यह कर

10.03.2016/1535/RKS/AG/2

सकते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि वे अपनी-अपनी पंचायतों को नशा मुक्त करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं? उस दृष्टि से उनकी ट्रेनिंग बहुत लाजमी है। जो बजट का प्रावधान इसमें है अगर शुरूआत हम यहां से करें तो मुझे लगता है कि इसमें लाभ होगा। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं हम भी उस कैम्पेन में जाकर भाग लें। अवेयरनैस कैम्प में चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो हर विधान सभा क्षेत्र में अलग-अलग स्तर पर यह कार्यक्रम होना चाहिए। ताकि लोगों को उचित जानकारी मिल सके। आदमी किस चीज से डरता है? मौत से डरता है। एक बीमारी का नाम आया, एच.आई.वी.। एच.आई.वी.का जिक्र होने के बाद जब अवेयरनैस बढ़ी तो लोगों को मालूम पड़ा। मीडिया के माध्यम से , दूसरी जानकारियों के माध्यम से पता चला कि इस बिमारी से आदमी बच ही नहीं सकता है । इसमें आदमी मर जाएगा। लेकिन आज इस बात को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अवेयरनैस है। वहां लोगों को इन चीजों की जानकारी है। ट्यूबरकूलोसिज छूत की

बीमारी है। अगर इस बीमारी का आपने इलाज नहीं किया, परहेज नहीं किया तो आप मर सकते हैं। जब इसके लिए अवयेरनैस कैम्पेन पूरे राष्ट्रीय स्तर में चला , पूरी दुनियाभर में चला तो आज टी.वी. के केसिज में एक्साइजऐबल डिक्रिज आई है। उसमें बहुत बड़ी रोकथाम आई है। यह कार्य किया जा सकता है। इसी तरह से हम नशे के ऊपर भी करें कि नशे का मतलब है आप अपनी जान से खेल रहे हैं, आप अपने परिवार की जान से खेल रहे हैं, आप समाज के जीवन के साथ खेल रहे हैं। तो क्या हम इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि नशे के कारण तुम्हारी भी मौत होगी, परिवार के बाकि सदस्य भी इस लत में आ जाएंगे, वह भी मर जाएंगे, वह भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन तक जानकारी पहुंचाना बहुत कठिन काम नहीं हैं। इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है अध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः प्रो0 प्रेम कुमार धूमल।

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

10.03.2016/1540/sls-ag-1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि हर सदस्य इसमें अपने-अपने सुझाव भी दे रहा है। जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मूलतः इसका कारण क्या है? कारण है भ्रष्टाचार। हम सब सहमत होंगे कि अगर कोई भी ऐंटि-सोशल ऐक्टिविटी किसी भी क्षेत्र में होती हो, यह नहीं होता कि पुलिस को उसका पता न हो। आम कहावत है कि जब एक एस.एच.ओ. ट्रांसफर होता है तो अपने एरिये की रिपोर्ट और सूची दूसरे को देकर जाता है कि यहां ये-ये ऐंटि-सोशल ऐलिमैंट हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लोग इन्वाल्वड हैं, वह कुछ पैसे के कारण पूरी-की-पूरी पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं। आप चाहे जितने मरज़ी कैंप लगा लो, अगर पुलिस ईमानदारी से अपने-अपने एरिया में अपना काम करे तो वह उससे बढ़िया काम उसे

रोकने में कर सकते हैं। मुझे याद है, हमारे जिला में एक पुलिस अधिकारी थे। अब वह सी.बी.आई. में हैं। उन्होंने ड्रग के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको देखकर बड़े-से-बड़े बदमाश भी भाग जाते थे। उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया। उन दिनों वहां पर काफी कंट्रोल भी हो गया था। इसलिए पुलिस को पूरी जानकारी होती है। हम पहले तो यह शुरू करें कि अगर पुलिस ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो हम राजनीतिक लोग टेलिफोन नहीं करेंगे और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। पुलिस को अपना कर्तव्य पूरा करने में दो चीजें रोकती हैं। एक तो भ्रष्टाचार के कारण उनको पैसे का हिस्सा मिल जाता है जिससे वह आखें बंद कर लेते हैं। दूसरे, अगर हम राजनीतिक लोग गलत आदमी के लिए फोन करते हैं तो वह कार्रवाई नहीं कर पाते।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव है । यहां पर अच्छे सुझाव आए कि कैंप्स लगें, ट्रेनिंग हो और लोगों को जागरूक किया जाए। English

चुने हुए प्रतिनिधि समाज के प्रभावशाली लोग हैं। क्या हम अपने बच्चों को इतना समय दे पाते हैं? क्योंकि माफिया का एक रोल यह भी है कि वह प्रभावशाली परिवार के बच्चों को प्रभावित करते हैं ताकि अगर कल को वह फंसते हैं तो वह बच्चे उनको

10.03.2016/1540/sls-ag-2

छुड़ाने के लिए आगे आएं, क्योंकि उनका सप्लायर वही है। इसलिए पहले तो सब अपने आस-पास, घर, पड़ोस, मुहल्ले, गांव, पंचायत और मतदान केंद्र में देख लें; वहां से अगर शुरू करेंगे और देखेंगे कि कहीं ऐसे प्रभावशाली लोगों के परिवारों को प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है। इससे भी एक चैक नशे के फैलाव पर रहेगा। तीसरे, कई बार इस हाऊस में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। जो शिक्षा संस्थान हैं; पहले तो कॉलेजिज तक सोचते थे लेकिन अब तो स्कूल्ज तक भी नशा हो गया है, नशे की लत छोटे-छोटे बच्चों को पड़ गई है, क्या शिक्षा संस्थानों में इतनी फोर्स लगाना संभव होगा कि सादा कपड़ों में वहां पुलिस रहे और ईमानदार लोगों को वहां पोस्ट किया जाए; वह चैक करें।

जारी ..गर्ग जी

10/03/2016/1545/RG/AS/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल-----क्रमागत

सप्लायर वहीं मंडराता है, उनको वहां पकड़ा जाए। कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो इन्टर स्टेट भी हैं और इन्टरनेशनल भी हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी आज यदि किसी कौम या किसी स्टेट को तबाह करना हो और यदि आप उसकी युवा पीढ़ी को नशे में डुबो दो, तो फिर वह अपने आप तबाह हो जाता है। इसलिए हमारे देश में इस तरह की बातें करने की एक अन्तरराष्ट्रीय साज़िश भी हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है? फिर चर्चा हो रही थी कि आवारा पशु या उनको बेसहारा पशु कहो। वे इस किस्म के आ रहे हैं जो हमारे प्रदेश में ऐसे नॉर्मली देखे ही नहीं जाते। तो बॉर्डर एरिया में ट्रकों में भरकर छोड़ दिए जा रहे हैं। इसी तरह से ड्रग की स्मगलिंग हो रही है। हमें दूसरे प्रदेशों के साथ सहयोग करना चाहिए। हम पंजाब वालों को दोष देते हैं और पंजाब वाले हमें देते हैं कि हमने छापा मार दिया। फैक्ट्री यहां पकड़ ली। यहां दवाइयां ऐसी बनती थीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल से सप्लाई होता था। हम कहते हैं कि यह माल पंजाब से सप्लाई हो रहा है। क्या कभी इस बीमारी का हल ढूंढने के लिए इन्टरस्टेट लेवल पर या मुख्य सचिव के स्तर पर या पुलिस महानिदेशक के स्तर पर आपकी चर्चा पड़ोसी राज्यों में हुई है? सहयोग करें, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि यह मसला हल हो सकता है। यदि इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, तो ठीक है। साथ-साथ में जैसा कहा गया कि राजनैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम सब मिलकर प्रयास करें। लेकिन प्रशासनिक सबसे महत्वपूर्ण होगा, वह करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत ज्यादा है। हमारे यहां भी यह बीमारी फैल रही है इसलिए इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

10/03/2016/1545/RG/AS/2

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में उठाया है। इस विषय पर पूर्व में भी चर्चा हुई है। सदन के दोनों ओर के माननीय विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया है। सभी ने इस संकल्प का समर्थन किया है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, उसका समर्थन किया है और हमारे विपक्ष के नेता ने भी इसका जोरदार समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि इस आधुनिक युग में जहां हम आगे बढ़े हैं और मानव की बहुत उपलब्धियां भी हैं। वहीं कुछ ऐसे खतरे भी पैदा हुए हैं जो समाज को खोखला कर रहे हैं, परिवारों को खोखला कर रहे हैं, जनजीवन को खोखला कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा खतरा इन तत्वों का है जिनका सेवन करने से नशा होता है। चाहे वह शराब हो, ड्रग्ज हो या चाहे वह नारकोटिक्स हो। इसका सेवन भारत में ही नहीं बल्कि संसारभर में बढ़ रहा है। यह मानवता के लिए एक खतरे की घण्टी है। बहुत से मुल्कों में तो इसको बहुत ही जघन्य अपराध माना गया है। जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो इसका व्यापार करते हैं या जो इसको ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उनको सख्त-से-सख्त सजा देने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पहले अमरीका ने तो एक मिलिट्री ऑपरेशन से अपने पड़ोस कोलम्बिया से वहां के राष्ट्रपति को भी इसके लिए पकड़कर लाया और उसको जेल में बंद कर दिया। क्योंकि उस मुल्क से बहुत बड़ी मात्रा में इन मादक पदार्थों की तस्करी होती थी।

अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब शराब पीना, सिगरेट पीना और ड्रग्ज लेना या नारकोटिक्स का इस्तेमाल करना बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन आज समाज की शैली ऐसी हो गई है कि आज खुशी मनाने का कोई भी ऑकेजन या सेलेब्रेशन हो या शादी ब्याह हो या कोई और उत्सव हो, उसमें सरेआम शराब का इस्तेमाल होता है। अगर शराब न हो, तो लोग समझते हैं कि क्या पार्टी थी और पार्टी की शान शराब पिलाने और पीने से ही बढ़ती है।

एम.एस. द्वारा जारी

10/03/2016/1550/MS/As/1

मुख्य मंत्री जारी----------

ये पहले कुछ परिवारों या वर्गों में होता था लेकिन आज सारे वर्गों में यह चीज फैल गई है। यह खतरे की घण्टी है। हमें इसके लिए सख्त-से-सख्त कदम उठाने चाहिए। इसको सिर्फ कानून के ज़रिये खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे अभी धूमल जी ने भी कहा कि इसके लिए सामाजिक चेतना पैदा करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस नशाखोरी को बन्द करने के लिए जन आंदोलन और सामाजिक आंदोलन होने चाहिए, तभी जाकर इसको कन्ट्रोल किया जा सकता है। महज़ प्रशासन और पुलिस इसको कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है। मेरे पास आंकड़े हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस थाने ने कितना काम किया है, कितने आदमी पकड़े गए हैं और कितनों को सजा हुई है। ये आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जो नशा करते हुए पकड़े गए, जो नशा बेचते हुए पकड़े गए या एक जगह से दूसरी जगह नशा ले जाते हुए पकड़े गए हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जिनको जेल और जुर्माना हुआ है उनकी तादाद भी बढ़ रही है लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी और लोगों को पकड़ेगी लेकिन वे सबको तो नहीं पकड़ सकते हैं परन्तु जितनों को पकड़ सकते हैं, वे पकड़े जाएंगे और सजा भी होगी। मगर हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। इसके सेवन को निषेध करना चाहिए कि यह निषेध है और यह सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके सेवन से आदमी पर मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरा असर पड़ता है। यह चीज हमें समाज के अंदर डालनी चाहिए। यह भी कहना चाहिए कि शादी-ब्याह में जैसे पहले प्रथाएं होती थीं उनके मुताबिक हम चलें। लेकिन शराब पिलाना या मादक वस्तुओं का इस्तेमाल करना कोई फैशनेबल नहीं है। यह कोई बड़प्पन की निशानी नहीं है बल्कि यह तो गिरावट की निशानी है। ऐसा एहसास हमें जगाना चाहिए। मेरे पास यहां पूरे आंकड़े हैं कि कहां पर क्या हुआ है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। मैं नहीं कहता कि जितने भी लोग नशा देते हैं या नशा बेचते हैं, वे पकड़े गए हैं लेकिन जो पकड़े जाते हैं और जिनको सजा होती है, उनकी तादाद निरंतर बढ़ती जा रही है।

10/03/2016/1550/MS/As/2

दूसरी बात यह है कि ये डि-एडिक्शन सेंटर्ज भी जरूरी हैं। वास्तव में क्या होता है कि नाबालिग बच्चे अनजाने में या बुरी संगत के कारण नशे में फस जाते हैं तो उनको नशे से डि-एडिक्शन करने के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे 12 डि-एडिक्शन सेंटर हर जिले में हैं। अगर और भी जरूरत पड़ी तो और भी खोलेंगे। परन्तु नशे की आदत को छुड़वाने के लिए माता-पिता और परिवार-जनों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी नशाखोर है तो उसको अस्पताल में डि-एडिक्शन में भेजो लेकिन वह डॉक्टर्ज की दवाई की वजह से ठीक हो जाएगा, यह समझना बहुत गलत है। दवाई के साथ-साथ परिवार का प्यार और देखभाल भी बहुत आवश्यक है। तभी जो आदमी नशाखोरी में फसा हुआ है वह बाहर निकल सकता है। तो ये सारी समस्या है। हालांकि हिमाचल में यह चीज बहुत कम है और हम इस चीज में अभी बहुत पीछे हैं। अच्छी बात है अगर हम ऐसे ही पीछे रहें बल्कि यहां नशाखोरी जल्दी खत्म की जा सकती है। क्योंकि यहां पर इसका प्रचलन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं हुआ है। आप पंजाब में देखिए। कहते हैं कि one full generation has been spoiled because of drug addiction. जो पहले फौज के लिए भर्ती होती थी, उसमें पंजाब के नौजवानों को प्राथमिकता दी जाती थी क्योंकि वे लम्बे, हट्टे-कट्टे और,

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

10.03.2016/1555/जेएस/डीसी/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी--------

और चौड़ी छाती वाले होते थे ।अब वह बात नहीं रही। अब जितना फौज़ वहां से भर्ती करना चाहती है उस लायक वहां पर केंडिडेट नहीं मिलते। एक बात और है। जब आदमी को खुशहाली होती है, जेब में पैसा आता है, चाहे वह किसी भी कारण से आए, वह चाहे उद्योग के द्वारा आए, चाहे वह पैसा अपने माँ-बाप के घर से चोरी करके आए, जब पैसा आता है तो उसकी वज़ह से नशाखोरी बढ़ती है। नशे के कई तरीके हैं। अभी-अभी इसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है कि कैसी-कैसी चीज़ों से नशा होता है और उसका सबको मालूम है। प्रश्न यह है कि how to eliminate this problem? That is the issue not only before us but before every government. हर समाज के सामने यह समस्या है। उसके लिए सबसे बड़ी बात पेरेंटल केयर बहुत जरूरी है। माता-

पिता को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। आज जीवनशैली ऐसी हो गई है कि कभी मातर-पिता और बच्चे इकट्ठे बैठ कर समय बिता ही नहीं सकते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बाय-बाय कर रहा है, कोई गुडबाय कर रहा है, कोई गुड नाईट कर रहा है और कोई फोन ही कर रहा है । जिन परिवारों के अन्दर अभी भी यह जीवनशैली है और परिवार इकट्ठा रहता है, जो देखभाल करते हैं और जिनको अपने बच्चों का फ़िक्र है, उनकी आदतों के बारे में फ़िक्र है वहां पर फिर भी यह समस्या कम है। जहां पर न्यूट्रल फैमिलिज ज्यादा है वहां पर यह समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। इस बात को सब जानते हैं । सरकार किसी हद तक काम कर सकती है। हम कानून का सख्ती से पालन करवा सकते हैं और उसके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा भी हो सकती है परन्तु इससे पूर्णतः यह समस्या हल होने वाली नहीं है जब तक इसको समाजिक समस्या समझकर हम इसके ऊपर प्रचार के द्वारा समाज के सहयोग से इस चीज़ को नियंत्रित न कर सके। इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ कर, समाज सुधार का एक अदब होना चाहिए। आपने देखा कि हमारे देश में कई बार परिवर्तन आए हैं, जैसे कि विधवा स्त्री का विवाह। उसके लिए आंदोलन हुआ। स्वामी दयानंद के समय आंदोलन हुआ। ब्रह्म समाज के वक्त में आंदोलन हुआ। सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए आंदोलन हुए। आज आंदोलन के बावजूद भी वे कुरीतियां जो है वे अभी भी हैं। मगर ज्यादातर खत्म हो गई हैं। समाज ने परिवर्तन को माना है । इस तरह से एक सामाजिक आंदोलन होना चाहिए जो कि राजनीति से ऊपर उठ कर हो। उस आंदोलन के द्वारा उसमें लोगों का सहयोग ले कर तभी ऐसे आंदोलन कर सकते हैं

10.03.2016/1555/जेएस/डीसी/2

जिससे कि यह जो कठिन समस्या है उस पर हम काबू पा सकें। आज दुनिया भर में इस बात को माना जा रहा है कि punishment is no solution for controlling this issue वहां तो लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। फांसी भी दी गई है जो ड्रग को इस्तेमाल करते हैं, उसको लाते हैं या उसको बनाते हैं और उसको बेचते हैं। In few countries it is captive offence. They can be hanged for it, they can be shot for it फिर भी यह समस्या पूर्णतः खत्म नहीं हुई है। आज वहां पर भी यह महसूस किया जा रहा है कि जन आन्दोलन और अवेयरनैस के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार अपना

काम कर रही है और करती रहेगी और दृढ़ता और मज़बूती के साथ हम कोशिश करेंगें, कोई भी सरकार हो, कोशिश करेगी कि

श्री एस.एस. द्वारा जारी...

10.03.2016/1600/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

<u>यहां पर ड्रग्ज़ पर कंट्रोल हो, उसका जो डिस्ट्रिब्यूशन है उस पर कंट्रोल हो और लोग एडिक्ट न हो जाएं उसके लिए कदम उठाये जायेंगे।</u> डि-एडिक्शन के लिए सरकार सैंटर खोल सकती है। सरकार की काम करने की सीमा सीमित है। वह उनके खिलाफ एक पुनिटिव ऐक्शन लेगी, उनको सज़ा देगी। मगर सुधार नहीं सकती। वह सुधार या तो परिवार कर सकता है या समाज कर सकता है। सामाजिक चेतना पैदा करना बहुत आवश्यक है। सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए सबको इकट्ठे हो कर एक जन-आंदोलन करने की आवश्यकता है। लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। लोगों की सोच को बदलने की आवश्यकता है। तभी जाकर इस कठिन परिस्थिति से जिससे आज हमारा समाज या चाहे कोई भी देश गुजर रहा है उस पर हम पूर्ण काबू नहीं तो कम-से-कम नियंत्रण कर पायेंगे। आपने इस प्रस्ताव के द्वारा इस सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और जो मैंने जवाब दिया है उसको ध्यान में रखते हुए कर्नल इन्द्र सिंह जी से जिन्होंने प्रस्ताव रखा है प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापिस लें। इस पर सम्पूर्ण रूप से चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर के बाद अपना संकल्प वापिस लेना चाहेंगे?

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि ----(व्यवधान)----

10.03.2016/1600/SS-DC/2

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं। ड्रग्ज़ लेने का एक मुख्य कारण यह है कि नौजवान स्ट्रैस से मुक्ति पाने चाहते हैं जिसकी वजह से ड्रग्ज़ लेते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए मैडिटेशन के कोर्सिज़ वगैरह दिये जाएं। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि के दिन जो लोगों को घोटा देते हैं उसको बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रचार किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर अगर बादाम और दूध मीठे के साथ पानी दिया जाए तो इस तरह से लोगों का ध्यान थोड़ा-सा डाईवर्ट किया जा सकता है।

अध्यक्ष: तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

संकल्प वापिस हुआ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब केवल एक घंटा बाकी है और दो प्रस्ताव शेष हैं। आप बिल्कुल संक्षेप में बोलें और जो प्रथम वक्ता है वह उसमें अपना अभिप्राय जाहिर करे और उसके बाद बाकी सदस्य थोड़ा-थोड़ा बोलें तो अच्छी बात रहेगी। अब श्री महेन्द्र सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

10.03.2016/1600/SS-DC/3

श्री महेन्द्र सिंह: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस संकल्प को माननीय सदन में प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में बादल फटने एवं भारी वर्षा से जान माल की क्षति व भूमि कटाव को रोकने के लिए एक बृहद योजना बना कर केन्द्र सरकार को भेजी जाये और उसके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जाए।

अध्यक्ष: संकल्प प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में बादल फटने एवं भारी वर्षा से जान माल की क्षति व भूमि कटाव को रोकने के लिए एक बृहद योजना बना कर केन्द्र सरकार को भेजी जाये और उसके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जाए। इसके लिए 45 मिनट निर्धारित हैं। अब चर्चा में भाग लेंगे, जिन्होंने रेजोल्यूशन दिया है। मैं महेन्द्र सिंह जी से कहूंगा कि वे चर्चा आरम्भ करें।

जारी श्रीमती ए0वी0

10.3.2016/1605/AV//1

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में मौसम का मिजाज बहुत बदला हुआ है और इस मौसम के मिजाज बदलने से कई देशों में भयंकर बर्फबारी हो रही है, कई देशों में भारी बाढ़ आ रही है और कई देशों में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। उसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश का यह पहाड़ी राज्य, यह देव भूमि भी मौसम की मार से अछूती नहीं रही है। अगर हम आज से 25-30 वर्ष पीछे मुड़कर देखें तो हमारे जो पानी के स्रोत, नदी-नाले व खड्डे थीं उनमें 12 महीने व्यापक पानी रहता था। लेकिन जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है उसकी वजह से हमारे देश और विशेषकर के हमारे इस पहाड़ी राज्य में एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जैसे कि आजकल के मौसम में अभी बर्फ पड़ती थी। व्यापक वर्षा होती थी लेकिन इन 5-6 महीनों से हम उससे बिल्कुल वंचित है और किसान आसमान की तरफ देख रहा है। मैं ज्यादा पीछे न जाता हुआ पिछले तीन वर्षों के बारे में कहना चाहूंगा। अगर वर्षा हो रही है तो इतनी ज्यादा हो रही है कि उससे हमारे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बहुत ज्यादा तबाही और नुकसान हो रहा है। हम ऐसा देख रहे हैं कि जो नुकसान या तबाही हो रही है वह कुछ चिन्हित स्थानों पर ही हो रही है। हमारे प्रदेश में ऐसे लगभग 22 चिन्हित स्थान हैं जहां भारी वर्षा होने के दौरान बादल फटने की घटनाएं अमूमन होती है। इस बादल फटने की प्रक्रिया से पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस हाउस के बीच में बार-बार यह चर्चा होती है कि बादल फटने से मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, बादल फटने से मेरे जिला के अंदर, बादल फटने से फलां क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। मैं सरकार का ध्यान और विशेषकर आदरणीय कौल सिंह जी का; जिनके पास यह विभाग है उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कौन से ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां पर अमूमन बादल फटने की घटनाएं होती रहती है। अगर हम चम्बा से शुरू करें तो मैं

10.3.2016/1605/AV//2

समझता हूं कि बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल का क्षेत्र, चम्बा के दूसरे क्षेत्र तथा धर्मशाला का क्षेत्र इस रेंज में आता है। अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो ठाकुर कौल सिंह जी का क्षेत्र जो कि भंगाल के साथ लगती हुई चोहार की घाटी है वहां पर हम

अमूमन बादल फटने की घटनाओं को देखते हैं। अगर हम उससे पीछे हटकर जाएं तो हमारा जो मनाली-कुल्लू का ऊपर का क्षेत्र है वहां पर भी अमूमन बादल फटने की घटनाएं हमारे ध्यान में आती रहती है। अगर उससे आगे बढ़े तो हमारे किन्नौर जिला का क्षेत्र जो कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी का चुनाव क्षेत्र है; वहां पर भी बादल फटने, भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की घटनाएं होती रहती है। भारी बर्फबारी भी तब होती है जब बर्फ पड़ने का मौसम नहीं होता है। हमारा चांशल का क्षेत्र जो कि चिड़गांव, सराहं और रामपुर के ऊपर आता है। चूड़धार का क्षेत्र है वहां पर भी सिरमौर और राजगढ़ के क्षेत्र में तथा इसके अलावा सिराज और धर्मपुर का क्षेत्र है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2016/1610/TCV/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह __जारी___

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 2013, 2014 और 2015 में बादल फटा था। मैं नहीं कहता कि मेरे क्षेत्र में ऐसी स्थिति हुई है। जिन-जिन स्थानों का मैंने पीछे नाम लिया है, उन-उन स्थानों में ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इन तीन वर्षों के बीच में एक तबाही का मंजर हमें देखने को मिला है और उस तबाही को लेकर के इस मान्य सदन में हर वर्ष चर्चा होती रही है। हम नहीं कहते कि चर्चा नहीं हुई है। हर वर्ष चर्चा होने के उपरान्त यहां से Memorandum of damages due to heavy rainfall in the State of Himachal Pradesh हम भारत सरकार को भेजते रहे हैं, इसी तरह से मैमोरेंडम वर्ष 2013 में भेजा था। हम 1972.08 लाख रूपये का मैमोरेंडम भेजते रहे। जब मैंने इस मैमोरेंडम को ध्यान से देखा तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम मैमोरेंडम भेज रहे हैं कि भारत सरकार से राहत राशि मिले। हम मैमोरेंडम राहत राशि के लिए दे रहे हैं, क्योंकि किसी का घर/गौशाला गिरी है, किसी की जान चली गई है या फिर किसी का माल-मवेशी का नुकसान हुआ है। लेकिन हमें इस मैमोरेंडम के बीच में जो असली काम करना चाहिए, वह हम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमें इस मैमोरेंडम में चाहिए था कि हम इस मैमोरेंडम में उन क्षेत्रों की डी0पी0आर0 बनाते। एक डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट हम बनाते कि इन क्षेत्रों में बादल फटने/भारी वर्षा होने की

प्रक्रिया अमूमन हमारे सामने आ रही है। हम इस क्षेत्र को किस प्रकार से बचा सकते हैं? मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ऐसी घटनाओं वाले क्षेत्रों की डी0पी0आर0 बनाई जाये। वैसे तो सरकार को चाहिए था कि इस तरह की डी0पी0आर0 आज तक बन जानी चाहिए थी। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें सारे विभाग इन्वॉल्वड है। इसमें एग्रीकलच्चर, फॉरेस्ट और विशेष करके आई0एंडपी0एच0 का विभाग इन्वॉल्वड है। राजस्व विभाग डी0पी0आर0 नहीं बनायेगा। डी0पी0आर तो आई0एंडपी0एच0 विभाग बनायेगा या स्वायल-कंजर्वेशन विभाग बनाएगा। लेकिन अभी तक जो असली काम हमें करना चाहिए था, हमने उस काम की

10/03/2016/1610/TCV/AG/2

शुरूआत नहीं की है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि हमारे इस पहाड़ी राज्य में लगभग 2554 ऐसे छोटे-बड़े ग्लेशियर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं,उससे माननीय अध्यक्ष जी क्या नुकसान होने वाला है? वह किस क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते है? इस पर भी हमने कोई सर्वे नहीं किया है। 2000 में हमारी पारछू झील से पानी छूटा था और सतलुज नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। उसमें सैंकड़ों आदमी मर गए थे। उसमें सैंकड़ों मकान चले गये थे और बहुत बड़ा प्रदेश के राजस्व का नुकसान हुआ था। लगभग 17-18 उसमें पुल बह गये थे। हमें उन स्थानों को भी चिन्हित करना चाहिए और जो ग्लेशियर है, अगर वे कहीं टूटें तो उससे फलां-फलां एरिया प्रभावित होगा, यह भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उस एरिए के लोगों को आगाह करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि मौसम विभाग को रीडार लगाने की आवश्यकता है। ताकि रीडार के लगने से पूर्व सूचना उस क्षेत्र को मिल जाये कि फलां-फलां क्षेत्र में बादल बहुत बड़ी मात्रा में इक्ट्ठे हो रहे हैं और वहां बादल फटने की संभावना बन रही है। आज आगाह करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। आज हर आदमी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है। आप उसमें मैसिज़ कर दीजिए। आज हर घर में टी0वी0 लगा हुआ है। आप टी0वी/रेडियो के माध्यम से भी ऐसी वार्निंग दे सकते हैं। ताकि उस क्षेत्र को हम किसी प्रकार से बचा सके। मैं एक और निवेदन करना

चाहूंगा, मैंने प्राय देखा है और विशेष करके

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी

10.03.2016/1615/RKS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह द्वारा ...जारी

मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर तीन साल से लगातार बादल फट रहे हैं, जिसका मुआयना माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और राजस्व मंत्री जी भी वहां पर गए थे। उस क्षेत्र में लगातार 3 साल से बादल फट रहा है। लोगों का कहना है और मेरा भी यह मानना है कि वहां पर जो एयरटैल का टावर लगा हुआ है, उस एयरटैल के टावर की वजह से कोई ऐसी घटना तो नहीं घट रही है। इस पर भी हमें देखने की आवश्यकता है कि जहां-जहां इस तरह के टावर लगे हुए हैं, वहां-वहां इन टावरों की वजह से ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा है। पिछली बार जब माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था तो इन्होंने कहा था कि हम आने वाले समय के लिए हिमाचल के अंदर एन.डी.आर.एफ. की दो बटालियनें खड़ी करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जो आपने 2 एन.डी.आर.एफ. की बटालियनों का वायदा किया था क्या वह खड़ी हुई है? जब ऐसी घटनाएं घटती है तो उस समय प्रभावित क्षेत्र के उन लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एन.डी.आर.एफ. की टीम वहां पर तुरंत पहुंचनी चाहिए, उससे हम अभी तक भी दूर हैं। मैं चश्मदीद गवाह हूं और मेरे चुनाव क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से ऐसा हो रहा है। जब बादल फटने की घटना घटती है तो टॉप पर पानी पड़ता है। पानी इस प्रकार से पड़ता है कि पानी के डोरे वहां पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब डोरे पड़ना शुरू होते हैं तो बिजली कड़कती है, जब बिजली कड़कती है, तो भूमि फटती है, जब भूमि फटेगी तो टॉप से लैंड स्लाइड चलेगा। लैंड स्लाईड जैसे-जैसे नीचे चलेगा वह चारों तरफ अपने साथ पूरी डैब्रिज को लेकर नाले के माध्यम से, खड्ड में और खड्ड से नदी के बीच में जाता है। माननीय मंत्री जी आप जो भी फ्लड प्रोटैक्शन वर्क करें आप उस वर्क को बोटम से टॉप की तरफ न करें। इस फ्लड प्रोटैक्शन वर्क की जो भी डी.पी.आर. बनें वह टॉप से बॉटम की तरफ बनें। यदि हम सुरक्षा दिवारें लगाएंगे, अगर सुरक्षा दिवार क्रेट वर्क की होगी तो वह सबसे बढ़िया रहेगी। क्रेट वर्क टूटता नहीं है,

वह धंसता है। लेकिन पी.सी.सी. और आर.सी.सी. की दिवार टूट जाती है। ऊपर से जब डैब्रिज आती है, वह डैब्रिज नीचे के गांव में इकट्ठा हो जाती है। इस तरह एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि नाला पूरी तरह भर जाता है और अगली बार जब ऊपर से पानी आएगा वह पानी जो इस तरफ के गांव का हिस्सा है उसमें घुसेगा या राइट साइड में जो गांव का हिस्सा है उसमें घुसेगा। इस तरह जो लैफ्ट और राइट में हैबिटेशन होती है, वह निशाने पर होती है। जो मकान वहां से वाश हो गए, वह तो चले गए। लेकिन जो मकान वहां पर बचे हैं, हम उन मकानों को, गौशालाओं को उन जमीनों को कैसे बचा

10.03.2016/1615/RKS/AS/2

सकें, इसीलिए मैंन यह प्रस्ताव यहां पर लाया है? यह प्रश्न धर्मपुर का नहीं है, प्रश्न एक जिला का नहीं है, प्रश्न पूरे प्रदेश के 12 जिलों का है और 12 जिलों में भी विशेषकर जो 22 चिन्ह्ति स्थान है उन 22 चिन्ह्ति स्थानों की डी.पी.आर. आई.पी.एच. विभाग बनाएं, कृषि विभाग का सॉयल एण्ड कंजरवेशन विभाग बनाएं। यदि उन एरियाज में किसी सर्वेयर की कमी है , ड्राफ्स मैन की कमी है, इंजीनियर की कमी है तो आप आउटसोर्स करके उस एरिया को बांट दीजिए ताकि उस एरिया की डी.पी.आर. उस क्षेत्र के मुताबिक बनें। अगर वह सारी डी.पी.आर. एक-एक कैचमेंट की बनें और उन डी.पी.आरज को हम भारत सरकार को भेजें, तो भारत सरकार के पास फ्लड प्रोटैक्शन वर्क में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरा जो प्रभावित क्षेत्र है, उस प्रभावित क्षेत्र की एक डी.पी.आर. बनकर तैयार हुई है। जो फ्लड प्रोटैक्शन वर्क और नाला चैनेलाइजेशन ऑफ बहरी, तनेहड़, मलोहट, थनोटू, समोर खड्ड मेरा

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

10.03.2016/1620/sls-as-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि यह डी.पी.आर. 47-48 करोड़ रुपये की बनी हुई है। यह आई.पी.एच. विभाग के इंजीनियरों ने बनाई है। पिछली बार स्टैक की मीटिंग में लगी थी और वहां से अप्रूव हो चुकी है। मुझे मालूम नहीं है कि सैक्रेटरी, आई.पी.एच. या मंत्री

महोदय ने इस डी.पी.आर. को सी.डब्ल्यु.सी. को भेज दिया है या अभी तक नहीं भेजा है। अगर नहीं भेजा है तो मेरा निवेदन रहेगा कि ऐटलिस्ट जो आपके पास डी.पी.आर. बनी है उसको आप भारत सरकार तक पहुचा दें ताकि उसमें हम भी अपना ज़ोर लगा सकें क्योंकि हम उस प्रभावित क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कुछ ज़ोर सरकार भी लगाएगी। इस तरह अगर एक-एक डी.पी.आर. हमारी निकलती रहेगी, उससे हम पूरे हिमाचल प्रदेश के उन प्रभावित क्षेत्रों को बचाने में सक्षम हो सकते हैं।

ज्यादा वक्त न लेता हुआ, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यही चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो ऐसे स्थान हैं, जिनमें से कुछ स्थानों का मैंने ज़िक्र किया है, उन सब स्थानों के लिए हम एक मास्टर प्लॉन बनाएं जो कैचमैंट एरिया के मुताबिक बनें, और कैचमैंट एरिया के अनुसार जो डी.पी.आर. बनती रहेंगी उनको हम स्टैक से पास करवाकर भारत सरकार और सी.डब्ल्यु.सी. को भेजते रहें ताकि एक-एक करने डी.पी.आर. सैंक्शन होकर हिमाचल प्रदेश को धनराशि मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस महत्वपर्ण विषय को नियम-101 के अंतर्गत इस सदन के बीच में लगाया है। आपका धन्यवाद। जयहिंद।

10.03.2016/1620/sls-as-2

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह जी द्वारा जो यह प्राईवेट मैंबर संकल्प लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो महेन्द्र सिंह जी ने बहुत विस्तृत चर्चा की और इस पर इनके सुझाव सही में ही सराहनीय हैं। इन्होंने कहा कि यह समस्या किसी एक इलाके की नहीं है,

पूरे प्रदेश में जो बादल फटने से या जो हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट बने हैं, उनकी वजह से औरजो क्लाइमैटिक चेंजिज आए हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसकी वजह से भी भूमि कटाव बहुत अधिक हो रहा है। चम्बा जिले में बहुत सारे हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट्स बने। शुरुआती दौर में 1960 के दसक में बैरास्यूल प्रोजैक्ट बना। उसके बनने से जो हमारा चुराहा का ज्यादातर इलाका है और मेरा इलाका भी प्रभावित हुआ है।

मौसम और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तथा पानी के सोर्सिज सूखने के कारण भी काफी ज्यादा लैंड स्लाइड्ज होते हैं और जब भी वारिस और बरसात का मौसम होता है तो भूमि कटाव बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से चमेरा स्टेज- I, II, III और माननीय मंत्री महोदय भरमौरी जी के इलाके में बहुत सारे प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं जिनकी वजह से चम्बा जिले में बहुत ज्यादा भूमि कटाव जगह-जगह पर हो रहा है।

भूमि कटाव के लिए डी.पी.आर्ज़. बनाई जाएं, यह बहुत अच्छा सुझाव है। हर जिले में अच्छी तरह से ज्ञात होता है कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भूमि कटाव या बादल फटने की घटनाएं बार-बार होती हैं। वह चाहे कुल्लू हो या चम्बा हो। चम्बा में जो हमारा साओ का इलाका है उसकी एक वॉउल लाइक सिचुएशन है। उसमें ऊपर कैचमैंट एरिया है। उसका सारा पानी इकट्ठा होकर नीचे आता है। जब वहां बादल फटता है तो वहां पर भारी नुकसान होता है। अभी पीछे हम सभी वहां गए हुए थे; मंत्री जी भी गए थे। वहां पर इस वजह से भारी नुकसान हुआ है। जैसी डी.पी.आर. इन्होंने अपने इलाके की बताई, उसी तरह की एक डी.पी.आर. साओ की भी बनी हुई है। वह भी इसी तरह से लगभग 40 करोड़ रुपये की है। अध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं है कि स्टेट गवर्नमैंट इनकी फंडिंग कर सके। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जहां पर भी भूमि कटाव होता है,

जारी ..गर्ग जी

10/03/2016/1625/RG/DC/1

श्रीमती आशा कुमारी-----क्रमागत

दो-तीन एजेन्सीज हैं जो बंटे हुए धन को लगाती है जिसका काई फायदा नहीं होता। वन विभाग चैक डैम्ज लगाता है, छोटे काम इन्होंने भी किए हैं, कृषि विभाग स्वायल कंजरवेशन के काम करता है, कुछ पैसा वहां बंट जाता है, सिंचाइ एवं जन-स्वास्थ्य विभाग बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा लेता है। लेकिन अब तो मैंने देखा है कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग का बाढ़ नियंत्रण का काम बहुत कम हो गया है। लेकिन भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है और बाढ़ नियंत्रण की जरूरत अब ज्यादा होती जा रही है। विशेष करके जैसा मैंने आपको कहा कि चमेरा वन जो बांध है उसके ऑल अलाँग जो

सड़क बनी हुई है वह सड़क ही भूमि कटाव के कारण पूरी बैठ गई है। वहां पानी का प्रैशर इतना ऊपर-नीचे होता रहता है जब पानी नीचे जाता है, तो वहां भूस्ख्लन होता है। एक समय तो ऐसा आया कि पूरी-की-पूरी सड़क ही बैठ गई। इसी प्रकार से जो खेत हैं जो रावी के साथ हैं जहां ये प्रोजैक्ट्स बने हुए हैं, वहां लोगों की निजी भूमि में भारी कटाव हो रहा है और निजी भूमि एकड-की-एकड़ बहती जा रही है। या तो हम उनका तबादला दें क्योंकि मलकीयती भूमि राजस्व अभिलेखों में जैसा आपको मालूम है कि इस व्यक्ति के नाम इतनी मलकीयती भूमि है, लेकिन मौके पर वह भूमि है ही नहीं। इससे हमारी कृषि भी प्रभावित हो रही है। इसलिए मैं महेन्द्र सिंह जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं समझती हूं कि सदन को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि यह मुद्दा किसी एक चुनावी क्षेत्र का नहीं है, किसी एक जिले या जगह का नहीं है। यह सबको प्रभावित करता है। इसलिए केन्द्र सरकार को हमें योजना बनाकर भेजने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें, तो मैं समझती हूं कि हमें इनके संकल्प का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि यह पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। हम एक व्यापक योजना बनाकर फण्ड्ज मांगे। फण्ड्ज मांगने के लिए हम यदि यह प्रस्ताव भेजते हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसमें हमें कोई पार्टी लाईन्ज देखनी चाहिए या अन्य कुछ देखना चाहिए। यह प्रदेश के हित की बात है। प्रदेश में जो भूमि कटाव हो रहा है, जो किसानों का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है उनके हित की बात है। इसलिए हमें मिल-जुलकर यह संकल्प यहां से अवश्य पारित करना चाहिए और केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए। धन्यवाद।

10/03/2016/1625/RG/DC/2

अध्यक्ष : अब श्री रवि ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री रवि ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह जी जो संकल्प यहां लेकर आए हैं कि 'प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में बादल फटने व भारी वर्षा से जानमाल की क्षति व भूमि कटाव को रोकने के लिए एक योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी जाए,' मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बादल फटना, अकाल, सूखा, महामारी, बाढ़, हिमपात ये सब अभी से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से हो

रहा है और कई सदियों से हो रहा है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अभी आइस एज आ रहा है, कई कहते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यह विषय भी एक डिबेट का है। पिछले साल 55 वर्ष बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई, मगर जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब गर्मी पड़ती है, तो एक मिनट में ऐसा लगता है कि जैसे जून माह आ गया है और तेज धूप लगती है और एक ही मिनट में ऐसा मौसम हो जाता है कि बहुत ठण्ड हो जाती है। तो ये अकस्मात जो बादल फटते हैं ये भी एक बहुत अलग-थलग बात है। इसमें जो लैण्ड स्लाइड्ज होते हैं, स्लिप्स होते हैं, ऐवलैन्चेसिज आते हैं, यह बहुत खतरनाक है। इससे हमारे घर ढह जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, सड़कों की ब्रेस्ट और रिटेनिंग वॉल ढह जाती है। इसके लिए बहुत अहम और जरूरी है कि रैस्क्यु ऑपरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से ऐसी टीमें बनाकर रखें जिससे लोगों की मदद की जा सके। लोगों को हम राशन मुहैया करा सकें, उनको शेड्ज दे सकें। जो प्रभावित हैं उनकी वहां से वैकेशन हो सके। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स रखने की जरूरत है। इसके लिए हमें एक कार्यक्रम बनाना चाहिए और जो इन्होंने कहा है कि जहां-जहां नुकसान हुआ है वहां के लिए डी.पी.आर. बनाकर भेजी जाए। इसके अलावा मैं यह भी समझता हूं कि जैसे हमारे तमिलनाडु में इस बार बहुत बाढ़ आई थी, इसी प्रकार से बिहार में बाढ़ आती है, सुनामी आती है। तो यह प्राकृतिक आपदा है। इसी प्रकार से हमारे यहां कभी-कभी बहुत ज्यादा हिमपात हो जाता है

एम.एस. द्वारा जारी

10/03/2016/1630/MS/AG/1

श्री रवि ठाकुर जारी---------

तो लैण्ड स्लिप्स तथा एवलांचीज जैसी घटनाएं होती हैं। हमारे लाहौल-स्पिति के जो क्षेत्र हैं वहां पर ऊपर बड़ी-बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के शीघ्र ही आइस मेल्टिंग के कारण जहां निकासी का स्थान है, वहां से एकदम फ्लड्स आते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खासतौर पर अगर आप लाहौल घाटी पर नज़र डालें तो मडग्रां नाले की वजह से हमारी मटर की पूरी फसल खराब हो जाती है क्योंकि नाला इतना ज्यादा चढ़ जाता

है कि वहां से ट्रक आ नहीं पाते हैं। इसलिए हर साल वहां मटर की फसल खराब हो जाती है। इसी तरह से हमारा म्याड़ नाला है उस नाले में अढ़ाई-तीन साल पहले फ्लड्स आए थे और उसमें तीन पुल और सड़कें वहां पर ढह गई थी और वे अभी तक नहीं बन पाए हैं। हम जब भी दौरे पर जाते हैं तो लोग वहां कार्यक्रम होने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और अपनी मांगें करनी शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमारा कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है क्योंकि ऑरिजनल वर्क्स में वे काम होते नहीं हैं। जब काम ऑरिजनल वर्क्स में नहीं होते हैं तो उसके लिए इन्स्टेंट पैसा हम कहां से दें? हम इन्स्टेंट ठेकेदारों से काम करवा लेते हैं कि विधायक का दौरा है इसलिए इस पर काम कर दो लेकिन उनकी पेमैंट्स नहीं हो पाती हैं। अभी हमारी लायबिलिटीज लोक निर्माण विभाग व सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में भी बनी हुई है क्योंकि अभी उनकी भी जितनी कूहलें और पाइपें हैं वे सारी ढह जाती हैं। इसके लिए कोई ठोस नीति जैसे हम सेंटर में दे रहे हैं, उसी तरह प्रदेश में भी एक रिजर्व और बैकअप होना चाहिए जिससे कि हम इन्स्टेंट रिलीफ दे सकें। जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा हुई और विधायक या एडमिनिस्ट्रेशन का वहां दौरा हुआ तो वैसे ही वहां पैसा पहुंच जाए और पब्लिक को मरहम लग जाए। यह मैं बहुत जरूरी समझता हूं। इसी तरह से हमारे वहां चौखंग गांव है वहां पर तकरीबन 18-19 बीघा जमीन लोगों की चली गई। इसी तरह से गेमूर नाला है वहां पर भी बहुत नुकसान हुआ है। गुमरंग जगह पर भी प्राकृतिक आपदा हुई। वहां पर बादल फटा और बहुत नुकसान हुआ।

10/03/2016/1630/MS/AG/2

पागलनाला भी हर साल टूट जाता है और उसके लिए हमने एक अल्टरनेट रूट ही बना दिया है। इसी तरह से सीचलिंग में जब बादल फटा था तो कई सरकारी मकान भी ढह गए थे। इसी तरह से हुलिंग है और एक जगह चण्डीगढ़ भी स्पिति घाटी के अंदर है जहां एक बहुत बड़ा पुल ढह गया था। मगर इन सबका निर्माण नहीं हो पाया। वजह यह है कि ये नई स्कीमें नहीं हैं और ये ऑरिजनल वर्क्स में नहीं आती हैं। इनकी हम एकदम से रिपेयर और मैंटीनेंस कर देते हैं और इसकी पेमेंट नहीं हो पाती है। यह बहुत ज्यादा परेशानी की बात भी है। इसे भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह जी ने जो पारछू झील का जिक्र किया, उसी तरह से मनाली में वर्ष 1995 में जब बाढ़ आई थी तो कुल्लू-मनाली की सुन्दरता पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। वहां पर जो भूमि कटाव के कारण पेड़ों और जमीन को नुकसान हुआ था, वह अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसी तरह से स्पिति की जो हमारी नदी है उससे भी बहुत ज्यादा भूमि कटाव होता है। माननीय वन मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक सिबकथॉन लगाने का जो हमारा कार्यक्रम है उसको ज्यादा व्यापक तरीके से चलाया जाए और वहां पर ज्यादा-से-ज्यादा सिबकथॉन लगाए जाएं। जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काऊंसिल की मीटिंग में हमने पॉलिसी डिसीजन लिया था कि 50 प्रतिशत बजट जो हमारा प्लांटेशन का है, वह सिबकथॉन लगाने के लिए लगाया जाए। सिबकथॉन की लकड़ी ईंधन के काम भी आती है और इसमें जो फ्रूट बैरी होती है उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट है और इसमें अमेगा 3,6,7 और 9 होता है। इसके अलावा इससे 100 से ज्यादा इन्ग्रीडियेंट्स बनते हैं। इस तरह से हमें अपने क्षेत्र को बचाना है। खासतौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग है इसमें एडिशनेल्टी की हमें कमी आ रही है क्योंकि जितना नुकसान हमें पहुंचता है उसको पूरा करने के लिए यह बहुत ही अहम चीज है।

माननीय रिखी राम कौंडल जी ने जो सौलर एनर्जी के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया था, इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सौलर एनर्जी भी बहुत ज्यादा काम आती है। क्योंकि इससे हमें इन्स्टेंट बिजली और एनर्जी मिलती है। इसके अलावा इससे हमारी

10/03/2016/1630/MS/AG/3

लिफ्ट्स और अन्य चीजें भी जैसे रोपवेज हैं, वे चलते हैं। इसलिए सोलर एनर्जी भी बहुत जरूरी है और पूरी स्पिति घाटी के अंदर जैसे अभी 2.5 मेगावाट सोलर एनर्जी है वह इन्स्टॉल हो रही है। मुख्य मंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि उसको भी जल्दी पूरा किया जाए और एक हजार मेगावाट का प्रोजैक्ट जिसके बारे में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अभी बताया था, उसका भी वहां पर काम बड़े

जोरों से चल रहा है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

10.03.2016/1635/जेएस/एजी/1

श्री रवि ठाकुर जारी----

वहां की ज़मीन भी नाप ली गई है। यह कार्य लद्दाख की तरज़ीह पर हो रहा है। जब फारूख अब्दुल्ला जी माननीय रीन्यूएबल एनर्जी रीसोर्सिज़ मिनिस्टर थे तो हम लोग दिल्ली में मिले थे। उस समय इसका कार्य लद्दाख में चला हुआ था। हमने उनसे गुज़ारिश की थी कि स्पिति घाटी में भी उसी तर्ज़ पर किया जाए। हमारी हिमाचल सरकार और दिल्ली सरकार मिल करके काफी प्रयत्नशील है। तो मेरी यही गुज़ारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाए। अंत में मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

10.03.2016/1635/जेएस/एजी/2

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हुई। इस प्रस्ताव को माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने रखा और श्रीमती आशा कुमारी और श्री रवि ठाकुर ने भी उसमें अपने विचार प्रकट किए।

अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा बता कर नहीं आती। वह तो अकारण, कभी बादल फटने से आ जाती है, कभी बाढ़ आने से नुकसान होता है, कभी भारी बर्फ पड़ने से नुकसान होता है और कई बार सूखा पड़ने से भी फसलों की तबाही होती है। यह प्राकृतिक आपदा है यह किसी के हाथ की बात नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और जो कुदरत से छेड़छाड़ इन्सान कर रहा है, उससे भी इसमें इज़ाफा हो रहा है। जैसे कि फोरैस्ट कवर का कम होना, प्लांटेशन का कम होना और नदी के किनारे मकान आदि बनाना। जब बाढ़ आती है तो मकान बह

जाते हैं और सरकार को पैसा देना पड़ता है। प्रस्ताव बहुत अच्छा है लेकिन यह प्रस्ताव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जाना चाहिए था जो फ्लड प्रोटैक्शन का काम करता है। ऐग्रिकल्चर का स्वॉयल डिपार्टमैंट करता है। फोरैस्ट डिपार्टमैंट का भी स्वॉयल कंजर्वेशन विंग है, वह भी प्रोटैक्शन वर्क करता है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो स्वॉयल कंजर्वेशन की आपने बात की है, यह हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। यहां जहां भी ल्हासे आते हैं, वहां चैक डैम लगने बड़े जरूरी है। अगर वहां चैक डैम न लगाएं, वहां पर प्लांटेशन न करें तो वहां ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए वन विभाग और आईपीएच विभाग को भी मैं कहूंगा कि इस बारे में एक विस्तृत योजना बनाएं । कृषि विभाग लोगों की कृषि भूमि को बचाने के लिए प्रबन्ध करें, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक आपदा प्रबन्धन की आपने बात कही है कि पैकेज दिया जाए, आपदा में हमारा कोई पैकेज नहीं होता । भारी बारीश से, बादल फटने से, भारी बर्फ पड़ने से जो नुकसान होता है, उसके लिए रेवन्यू विभाग

10.03.2016/1635/जेएस/एजी/3

मैमोरेंडम तैयार करता है, विज्ञापन बनाता है और उस ज्ञापन को केन्द्र सरकार की होम मिनिस्टरी को भेजता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हमें पैसा दिया जाए। पीछे समय-समय पर पैसा मिलता रहा है । कुछ हमारे जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड हैं, उससे हम पैसा देते हैं और कुछ जो नैशलन डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसमें पैसा आता है । पिछली बार हमने सात सौ कुछ करोड़ रु0 का प्लैन मैमोरेंडम केन्द्र सरकार को भेजा। मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिला। मैंने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा लेकिन अभी तक वह पैसा केन्द्र सरकार से नहीं आया है लेकिन जो इमिजिएट रिलीफ देने की बात होती है, वह निश्चित तौर पर हम देते हैं। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट बनाया है

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

उसके मुताबिक सभी राज्यों को और जिले के संस्थान को अपनी आपदा प्रबंधन योजना बनानी होती है। इस बारे में प्रदेश सरकार ने अपनी बड़ी विस्तृत प्लान बनाई है और मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि केन्द्र सरकार ने हमारी डिजास्टर मैनेजमैंट के संबंध में बनाई गई कम्प्रीहैंसिव प्लान की सराहना की है और दूसरे राज्यों को भी हमारे इस प्लान को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने कहा है। केन्द्र सरकार ने हमें इसमें एप्रीशियेशन लैटर भी भेजा है। इसी तरह जो आपदा प्रबंधन हेतु आर्थिक आबंटन वित्तायोग की सिफारिश के अनुसार होता है, हमने केन्द्र सरकार से एक अनुरोध किया है। यह क्राइटेरिया केन्द्र सरकार ने फिक्स किया है कि वह आबादी के आधार पर डिजास्टर मैनेजमैंट का फंड देती है। कैलामिटी रिलीफ फंड देती है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि जितना नुकसान जिस स्टेट में होता है, vulnerability of the damage caused due to cloud burst or heavy rain or floods, उसके आधार पर डिजास्टर मैनेजमैंट फंड/कैलामिटी फंड राज्यों को मिलना चाहिए। यह हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार हमारी बात को मानेगी और हमें उसके मुताबिक कैलामिटी फंड देने की कोशिश करेगी। आपने एन0डी0एफ0आर0 की बटालियन के बारे में कहा है। हमने यह मामला केन्द्र सरकार से उठाया है। हमने नूरपुर के पास एक जगह चयनित की है। उस जगह की हमने लैंड एक्विजिशन भी कर दी है। केन्द्र सरकार से हमने उसके लिए पैसा भी मांगा है कि आप उसको करें और अभी केन्द्र सरकार ने उस बारे में नहीं कहा है। **हम दोबारा इस मामले को केन्द्र सरकार से उठायेंगे।** लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जैसे ही बरसात आती है या बर्फ का मौसम होता है हम केन्द्र सरकार के दो ग्रुप स्थापित करते हैं। एक धर्मशाला में स्थापित करते हैं और एक शिमला में करते हैं ताकि जब भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो वहां से तुरन्त फोर्स प्रभावित जगह भेजी जाए। उसके लिए हमने प्रयास किये हैं। हमारी कोशिश है कि जो बटालियन है, केन्द्र सरकार उस पर गौर करेगी। पहले सत्ता में यू0पी0ए0 सरकार थी, उन्होंने काफी हद तक इसको मान लिया था और हमें पूरा विश्वास है कि चूंकि सरकार कंटीन्यू प्रोसैस है अब एन0डी0ए0 सरकार भी हमारी बात को मानेगी।

10.03.2016/1640/SS-AG/2

आपने ग्लेशियर की बात कही। यह ठीक है कि 2554 ग्लेशियर हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर आइडेंटीफाई किये हैं। उन पर पूरी निगरानी की जा रही है और दूसरे विभागों से कॉर्डिनेट करके इसके बारे में ध्यान रखा जाता है। पारछू झील का जो फ्लड आया था, वह भी उसका एक कारण है। हम यह भी कहते हैं कि जैसे वाटर हार्वैस्टिंग होती है वैसे स्नो हार्वैस्टिंग भी होनी चाहिए। अगर स्नो हार्वैस्टिंग करेंगे तो हमारे ग्लेशियर ज्यादा देर तक चलेंगे। उस पर भी जब मैं आई0पी0एच0 मिनिस्टर था तो मैंने केन्द्र सरकार को प्रॅपोजल भेजी थी। केन्द्र सरकार ने उसको काफी एप्रीशियेट किया था। उसके बाद आगे क्या हुआ है उसके बारे में पता नहीं है।

जहां तक आपने कहा कि कोई डी0पी0आर0 बनाई है, बनाई होगी तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री को कहूंगा कि आपकी एक खड्ड का चैनेलाइजेशन करना जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से काफी तबाही आपके बस-स्टैंड की हुई। ऊपर से नाला आता था, उससे भी नुकसान हुआ है। उसके लिए भी आपको पता है कि हमने सबसे ज्यादा फंडस दिये हैं। कैलामिटी रिलीफ फंड का एक करोड़ रुपया एच0आर0टी0सी0 को दिया है ताकि वे अपने बस-स्टैंड को रिस्टोर कर सकें। --(व्यवधान)--आप इंकार क्यों करते हैं? अब आपको वह पैसा थोड़े जाना था, वह पैसा तो एच0आर0टी0सी0 को गया। उसके लिए भी हमने तुरन्त ऐक्शन लिया है। --(व्यवधान)-- ये पॉजिटिव रिस्पोंस दे रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि यहां माऊंटेन्ज़ हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ क्षेत्र vulnerable हैं। पीछे 1990-91 में हमारे इलाका चौहार में एक ऐसा कलाऊड ब्रस्ट हुआ कि उसमें दो गांव पूरी तरह से तबाह हो गये। 18 आदमी मर गये। कितने जानवर खत्म हो गये, घर के घर खत्म हो गये, ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं उसमें आपका क्षेत्र भी शामिल है।

जारी श्रीमती ए0वी0

10.3.2016/1645/AV/as/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी ----------

हमने उस वक्त वहां पर देवी-देवताओं की पूजा की तो उसके बाद काफी रक्षा हुई है। आप भी अपने क्षेत्र में पूजा करवाएं क्योंकि आपके क्षेत्र में लगातार; हम पिछले साल भी गये थे और इस साल भी गये है। आगे ऐसी बात न हो उसके लिए भी हम अपनी तरफ से हर सम्भव कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आशा जी ने भी अच्छे सुझाव दिए हैं। अगर पिछले तीन सालों का देखें तो वर्ष 2013-14 में हमने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 151.38 करोड़ रुपये दिए हैं और केंद्र सरकार से 95.84 करोड़ रुपये की राशि आई। हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर डिजास्टर मेनेजमैंट फंड के तहत 247 करोड़ रुपये युटिलाइज किए। वर्ष 2014-15 में हमने 158.95 करोड़ रुपये अपने एस0डी0आर0एफ0 से दिए और केंद्र सरकार से हमें 145.41 करोड़ रुपये आए। इस तरह से 304.36 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्ष 2015-16 में हमने अपने एस0डी0आर0एफ0 से 236 करोड़ रुपये जो हिमाचल में नुकसान हुआ यानि किन्नौर में नुकसान हुआ, जहां-जहां भी नुकसान हुआ। लाहौल-स्पिति में काफी नुकसान हुआ। यहां मयाड़ नाले की बात हुई उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। अभी केंद्र सरकार को हमने 747.47 करोड़ रुपये का एक ज्ञापन भेजा है मगर केंद्र सरकार से उसका अभी कोई पैसा नहीं आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी बात निश्चित तौर पर मानेंगी क्योंकि हमने बाकायदा पूरे नुकसान का मैमोरेंडम दिया है। हिमाचल प्रदेश में हमने जो 22 भूस्खलन क्षेत्र चिन्हित किए हैं इन भूस्खलन क्षेत्रों का सर्वेक्षण निरंतर किया जा रहा है। इनकी रोकथाम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। हाल ही में उपायुक्त किन्नौर से प्राप्त तीन परियोजना रिपोर्टों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार को भेजा गया है। भारी बरसात, बादल फटने या भारी बर्फबारी के कारण होने वाले नुकसान का सरकार द्वारा आकलन किया जाता है तथा विस्तृत ज्ञापन भारत सरकार को प्रदेश में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा भी प्रदेश को एस0डी0आर0एफ0 और एन0डी0आर0एफ0 के तहत राशि प्रदान की जा रही है। यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह हमारे विभाग से सम्बंधित नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापिस लें और अगली बार आप आई0पी0एच0

10.3.2016/1645/AV/as/2

डिपार्टमैंट और तीनों डिपार्टमैंट्स की कोऑर्डिनेशन के लिए प्रस्ताव भेजें, सरकार उस पर विचार करेगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना प्रस्ताव वापिस लें।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में आपदा राहत की बात की है। जबकि मेरा संकल्प जो कि आपके माध्यम से गया है यह बड़ा साफ है कि प्रदेश में चिन्हित क्षेत्रों में बादल फटने एवं भारी वर्षा से जान-माल की क्षति व भूमि कटाव को रोकने के लिए एक बृहद योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाए। यह कमी तो सरकार की है कि किस मंत्री के पास जाना चाहिए था। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने जो आपको संकल्प दिया हुआ है और आपने जो संकल्प सरकार को भेजा हुआ है, यह बड़ा साफ है। हमारा संकल्प है कि जो भारी वर्षा के कारण भारी नुकसान हुआ है उसके लिए एक बृहद योजना बनाओ जिसका मेरी बहन आशा जी ने भी समर्थन किया है। इसमें इनको क्या आपत्ति है? इसको अडोप्ट करने में आपत्ति क्या है? अगर आपत्ति है तो ठाकुर जी, आप बताओ कि यह आपत्ति है।

टी सी द्वारा जारी

10/03/2016/1650/TCV/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह ---- जारी ।

इसमें कोई इगो का प्रश्न नहीं है। हम ऐसा न माने कि हम आज रूलिंग के बैंचिज़ पर बैठें हुए हैं और रूलिंग के बैंचिज़ पर बैठ करके हम विपक्ष के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करें? यह प्रदेश हित का सवाल है। प्रश्न केवल मात्र धर्मपुर/मण्डी जिला का नहीं है। प्रश्न पूरे हिमाचल प्रदेश का है। जब पूरे हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, तो मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसको अडोप्ट करने में दिक्क्त क्या है? दो डी0पी0आर्ज बनी हुई है। एक बहन आशा जी की और एक मेरी बनी है। आप उन दोनों डी0पी0आर्ज़ को भारत सरकार को भेज दो। अगर वह स्वीकृत

होगी तो ठीक है और यदि नहीं होगी तो आप उसके लिए दोषी नहीं होंगे। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है है कि आप इसको अडोप्ड करें और जो हमारी योजनाएं हैं, उनको भारत सरकार को भेज दें। आप जिला मण्डी से संबंध रखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें।

Health and Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, Shri Mahender Singh has raised the issue that the Resolution should be accepted by the Revenue Department. My contention is that it does not pertain to the Revenue Department. It pertains to IPH Department or other department.अगर आप इन्होंने जो लिखा है उसको देखें कि एक वृहद योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी जाये। इसके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जाये। We cannot ask for economic package. It is a different department who should prepare the DPR. We don't prepare the DPR. जब लोक निर्माण विभाग नुकसान की असैस्मैंट देता है तो हम लोक निर्माण विभाग को डिजास्टर क्लैमिटीज का पैसा देते है और जब आई0एंडपी0एच0 डिर्पाटमैंट अपनी असैस्मेंट देता है तो उसको भी पैसा दिया जाता है। काम तो इन विभागों को करना होता है। इसी तरह से हम एग्रीकलच्चर डिपार्टमेंट और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी पैसा देते हैं। इसलिए Himachal Pradesh has made a most comprehensive action plan on climate change. However, the issue of climate change cut across factors and geographical boundaries, hence collective efforts are required. So my respectful submission is that since it does not pertain to Revenue Department, I request the Hon'ble Member to withdraw it. He has

10/03/2016/1650/TCV/AS/2

one more opportunity for Private Members' Day. He can avail this opportunity and ask the Resolution for the IPH Department, Forest Department or Agriculture Department.

Speaker: In view of the Hon'ble Minister's reply that this pertains to some

other department; it is advisable that you approach to that Department so that the scheme can be sanctioned.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, विधायक का क्या कसूर है। आप मेरा कसूर बताईये। मैनें इसमें लिखा है कि क्या आई0पी0एच0 विभाग जवाब दें या कषि विभाग जवाब दे या फिर राजस्व विभाग इसका जवाब दे? हमने तो संकल्प आपके माध्यम से सरकार को भेजा है। ये तो सरकार का कर्त्तव्य बनाता है कि किसने उत्तर देना है? माननीय मंत्री जी आप उत्तर दे रहे है, आप एज ए मिनिस्टर उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप गर्वनमैंट की तरफ से उत्तर दे रहे हैं। आपको इसको अडोप्ट करने में दिक्कत क्या है। आप कह रहे हैं कि अगला प्राईवेट मैंबर-डे आएगा, उसमें आप इस विषय को उठा लेना। लेकिन अगला प्राईवेट मैंबर-डे का प्रश्न ही नहीं बनता । ये हमारे द्वारा तय नहीं किया जायेगा कि कौन सा विभाग इसका जवाब देगा? ये तो सरकार ने तय करना है। आप सरकार के तौर पर सभी विभागों के रिप्रेजन्टेटिव है। आप इसको अडोप्ट कर लो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है।

अध्यक्षः मन्त्री महोदय, आप क्या कहना चाहेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रीः यदि यह भारत सरकार को भेजना है और यदि कोई फ्लड कंट्रोल का कोई काम है तो इसके लिए आई0पी0एच0 विभाग कनसर्न विभाग है। यह काम आई0पी0एच0 विभाग का है। लेकिन यह कहते हैं कि चैनलाईजेशन का कोई प्रोजेक्ट बना है। (--- व्यवधान---) वह बात अलग है। My submission is that this does not pertain to the Calamity Relief Fund or State Natural Disaster Fund. इसलिए हम इस रजोल्यूशन को कैसे स्वीकार करेंगे? क्या हम बनाएंगे डी0पी0आर्ज0 और हम इन्हें केन्द्र सरकार को भेजेंगे? वह डी0पी0 आर्ज0 तो अलग-अलग डिपार्टमैंटस को जाएगी।

Speaker: You have already said that some schemes have been send by us to Centre. Which are those schemes?

...Continued in English by Smt. DC ….

10.03.2016/1655/RKS/DC/1

Health and Family Welfare Minister: No doubt Sir, I admit that this soil conservation and soil preservation is very important subject , but I want to say that only Revenue department does not prepare DPR. How we can accept it? Let me make him very clear that he should give this resolution to IPH department and IPH department will prepare the DPR जब नैचूरल कैलेमिटिज प्रदेश के अंदर होती है, उस नैचुरल कैलेमिटिज में संबंधित डिपार्टमेंट जब बोलता है कि हमारा इतना नुकसान हुआ, हम उसके मुताबिक डिपार्टमेंट को पैसा देते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट इम्पलीमेंट करता है। सॉयल कंजरवेशन का काम करना है, कोई दूसरा काम करना है, वह अलग-अलग डिपार्टमेंट करते हैं।

Speaker: What you want to say. आप अपनी स्कीम को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : आप बताएं कि हमारा क्या कसूर है, अगर किसी विधायक ने तय करना है कि फलां मंत्री जवाब देगा तब तो हमारा कसूर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने अपना संकल्प आपको भेजा, आपने संकल्प सरकार को भेजा, सरकार का जवाब आना था, सरकार का रिप्लाई किसने देना यह यह सरकार का काम है। हमने सोचा कि जो राजस्व मंत्री जवाब दे रहें हैं, As a whole दे रहे हैं।

Speaker: The Hon'ble Minister says this is not his subject, it is difficult for him to reply.

10.03.2016/1655/RKS/DC/2

श्री महेन्द्र सिंहः सर, यह सरकार की तरफ से रिप्लाई आ रहा है न कि किसी व्यक्ति विशेष की ओर से हो रहा है। जब सरकार रिप्लाई कर रही है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? प्रश्न अलग-अलग डिपार्टमेंट का नहीं है। प्रश्न यह है कि जब हमारा संकल्प लगा तो सरकार को चाहिए था कि संबंधित मंत्री इसका जवाब दे।

Health and Family Welfare Minister:- Speaker Sir, Hon'ble Member wants that the DPRs which have been prepared by the IPH Department should be sent to the Government of India for approval. **I assure him that I will request my colleague that these DPRs to be sent to Government of India for approval and Government will send that approval. He should withdraw the Resolution.**

Speaker:- ---(interruption)---It is already going to be 5 O' clock. We have to close down. क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार है?

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प वापिस हुआ।

अब माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

10.03.2016/1655/RKS/DC/3

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं,

जो इस प्रकार हैः-

" यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विश्व बैंक या विदेशी सहायता द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं से वंचित पंचायतों में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति हेतु विश्व बैंक या विदेशी सहायता के लिए भेजा जाए"

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि " **यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विश्व बैंक या विदेशी सहायता द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं से वंचित पंचायतों में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति हेतु विश्व बैंक या विदेशी सहायता के लिए भेजा जाए।"**

अब यह प्रस्ताव यहां रिकॉर्ड हो गया है।

अजय महाजनः मैं प्रदेश की तरफ से और नूरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की ओर से जो इन्होंने एनाऊंस किया है कि नूरपुर क्षेत्र में एन.डी.आर.एफ. की बटालियन आ रही है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक शुक्रवार, 11 मार्च ,2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांकः 10 मार्च, 2016 **सचिव।**